Real and Imaginative Perception of Space in the eyes of Postcolonial writers: Rudyard Kipling, Salman Rushdie and Ruskin Bond

DR. MD MUNTAZIR ALAM
PATNA UNIVERSITY, PATNA, BIHAR

Abstract

In the hands of the Indian English postcolonial writers, India ceases to be an objective cartographic reality or a point on the atlas. The nation becomes a subjective perception of the mind, etched by the writer's imaginative. Thus from geographical representation of India, the postcolonial writer now turn to an imaginative perception of space, whereby the nation is re-located in the contours of the mind. The present paper dealt with the discussion about the postcolonial writers: Rudyard Kipling, Salman Rushdie and Ruskin Bond.

Key Words: Imaginative, Literature,

Rudyard Kipling, Salman Rushdia and Ruskin Bond cover a wide spectrum; their writing careers divided by the historical process of British imperialism and Indian independence. They produce themselves as representatives of the literature, and as creators of an imaginative India Rudyard Kipling's Kim, Salman Rushdie's 'Midnight's Children' and Bond's 'The Coral Tree', 'My Father's Tree in Dehra' are written from different perspectives : 'Kim' from an imperialist's perceptive of an orient, 'Midnight's Children' from an immigrant's nostalgic perceptions on his 'home' and 'The Coral Tree' and 'My Father's Tree in Dehra', from a sheer desperation to identity with his displaced home. These texts share a unifying vision of India, a vision that transcends the 'Real' space to from an 'imaginative' space.

Rudyard Kipling born in Bombay in 1965, was brought to England in 1971, Where he spent five years with a family in South sea separated from his parents. He worked for seven years as a journalist in India, and in 1889 he went back to London. Rushdie, too, has almost a similar biography. He born in Bombay as a Muslim, he had much of his education in England and is a resident there, while his family still lives in Pakistan. Both Kipling and Rushdie, therefore, have and outsider's vision of India, who seize an unfamiliar territory and proclaim it as their domain. But Ruskin born in England and brought up in India and spent only an interim period of four yeas in England (1951-1955) before settling down as a permanent resident of Mussoorie, in the hill-station of North

India. Bond is an insider, whose vision of India is direct and first hand, as distinguished from the extraneous vision of an imperialist like Rudyard Kipling and Salman Rushdie.

In the novel of Kipling's 'Kim', Kim in the son of a drunken Irish soldier but is brought up by a half caste woman who pretends to be his ant. In Rushdie's Midnight Children, a Muslim family brings up Saleem, who is born to the English-Hindu parents both novels are texts of surrogate parents. To both Kipling and Rushdie India remains a surrogate land which they try to encapsulate by disguising their origins. Regarding to white skin and black masks, Kim's "Whiteness" as an instrument of native disguise which asserts imperial superiority over the colonials. Kim is a white boy who can discard his colours at whim . Though the sleeps, eats and lives in the social world of colonial India, he moves in and out of his roles as native and British black, and white. He finds it easier to "slip into Hindu or Mohammedan garb when engaged on certain business". "when compared to the native boys, Kim reads and writes better. When compared to the native boys Kim reads and writes better. Kim belongs to India and yet, like his roles and disguises, discards India at his whim. India remains for him a space for adventure where he can outdo and fool the natives and the play the rate of spy.

The whole of India, from Banaras to the Himalayas becomes Kim's private playground. India is invested with a child's fantasy, scoured and protected from the destructive realism of the adult world. The enclosed childhood that killing spent in the cold, damp England as if by the touch of a magic wind, in Kim's adventurous Childhood, in the warm air, on the open roads of India. Kim seems to be the natural descendant of Mowgli. Mowgli adopted and befriended by the animals of the jungle, is taught to inhabit the jungle by the natives as an instrument to se the alien nation to his disadvantage. Kipling's imagination creates a great and wonderful land, an exotic oriental world to his heart's content.

India is also the basic purpose of Rushdie in midnight's children. Rushdie confirms imagination as one of the node of creating homeland especially for all these immigrant India writers who writer who write about India.

Rushdie's 'Midnight's Children' is a creation of on imaginably India that is removed from the ethos of the original home and colored by the perception of the west. 'The children born in the first hour of India's independence the children that Saleem talks with at night when the lies in bed, are every child's imaginary friends. The children he plays with plays with reject Saleem, 'expelled from the gang which was spread over the length and breadth of the country and, whose head quarters were behind my eyebrows'. In his attempt to portray India Rushdie takes help of the secret place of a child's fantasy with miracles inside it and expands it until it becomes coextensive with the subcontinent itself. Like Kim, who is spy, a magician, a conjurer, Saleem's story is also rooted in science fiction. Saleem is clerk Kent valiantly guarding his secret identity, and the children of

midnight are the Midwich Cuckoos bestowed with mysterious gifts that threaten the adult notion of a real India. Both Rudyard Kipling and Salman Rushdie use child imagination to challenge the realistic modes of representing space and home.

Ruskin Bond is an eye witness of colonial and postcolonial era in India. He lived in India in both colonial and post colonial and globalization. He is close to different cultures that developed with the passage of time. Thus Ruskin Bond humbly succumbs to India, he adopted home, with stronger love and faith than he never feels for England his original home. Yet examining his perception of India which shows remarkable preference for hill-stations than that of the plains. It means that this choice is possible influenced by his European roots. During the course of the nineteenth century hill stations sprang up all across British India, especially in the Himalayas. Though the chief purpose of the fill stations was to offer the British expatriate elites a kind of physical relief from the oppressive heat of plains, yet they were also both politically and psychologically significant. Mahatma Gandhi once wrote: 'Delhi, most certainly, is not the symbol of Indian slavery. The place which is the real headquarters of the rulers in Simla'. On Psychological level the hill stations evoked a memory of distant homelands for the British elite. The atmosphere of the hill-stations, their peace and isolation provided the British with the illusion of living in home. Thus Indian hill stations became a replica of English countryside an alternative home replacing the original home.

Ruskin Bond shares with the British their inclination for Hill-Stations and his portrayal of India shows a blind glorification of the hills as against disgust for the plains. He makes serious attempts to perfect his imagination of the pristine hills from the corrupting influences of the plains. The hills and that too, only the north-eastern hill region of India, 'acquire the status of home' for Ruskin Bond. Though Bond does not share Kipling's imperial perception yet his bifurcated vision of India that sets the "hills" against the "plains" is unquestionably British in its origin. In "The coral Tree" the conversation between the narrator and the little girl shows how imaginative space envelops everything: 'Would you care to go England?' 'I want to go every where' she said, 'To America and Africa and Japan'. Ruskin Bond's purpose is to highlight that Africa, America, Japan are all one and the same, mere points on the globe conforming to the objective notion of boundary and conforming to the objective notion of boundary and space. Like Kipling and Rushdie, Bond once again uses child imagination, because for a child, places exist in the map on the mind, unrestricted by the adult vision of reality.

In 'My Father's Trees in Dehra' the Indian geography is reframed by the English imagination. While talking of Dehra the narrator says: 'It acquired a certain size and importance with the coming of British and Angle Indian settlers. The English have an affinity with trees and in the rolling hills of Dehra they discovered a treat which, in spite of snakes and mosquitoes reminded them, just a little bit of England's green and pleasant

land'. The geography of India is alien, and thus with the help of imagination Bond recreates an alternative India rustic and pastoral in charm. Bond follows Kipling's footstep in creating a pastoral India that the British so lovingly cherished. 'Is this urge to encapsulate the whole of reality?' This incurable 'disease' that has affected Kipling, Rushdie and Bond. In their passion to swallow India they go beyond reality to create a neo-India. The India of their imagination. Imagination therefore is not divorced from reality but is a valid counterpart of reality.

References:-

(1) Cronin,Richard; Imaginative India, Landan, Macmillan Press Limited.
(2) Kipling, Rudyard,Kim,Project Gutenberg & Book 2008.
(3) Rushdie,Salman : Midnight Children,Londan Vintage 1995.
(4) Bond, Ruskin : The Complete short stories and novels, New Delhi, Penguin.
(5) Kennedy Dane, The Magic Mountain : Hill-Stations and British Raj-Delhi Oxford University Press 1996.
(6) Rushdie, Salman : Imagery Homelands : Essays and Criticism, London, Penguin.

Abdul Qayuum Ansari, Journalism and Momin Movement

Abdul Azim Akhter

Abstract

When the leadership of the Muslim community was in the hands of people considered to be elite (*ashraf*) in the society, Abdul Qayuum Ansari and has Momin movement provided space and voice to the backward castes (*Ajlaf* &*Arzal*) from the community and Momin / Ansari caste in particular in the National Movement. This movement later on came to be also known as *Pasmanda* movement. He was also a journalist, and despite his hectic political engagements took out time to immerse in the world of words. The present paper dealt with the analysis of Momin movement and Abdul Qayuum Ansari.

Keywords: Momin, Pasmanda, Muslim Leader, Ansari, Ashraf, Ajlaf, Arzal

Abdul Qayuum Ansari is counted among hard core nationalist leaders who contested the claim of Md. Ali Jinnah to be the only representative of Indian Muslims, and his Momin Party caused significant damage to the Muslim League in Bihar. Ansari through his movement rebutted the claim of Jinnah to be what Ayesha Jalal called 'sole spokesman'. He was popular in United Province, and Bihar region awakened the lower strata of the Muslims against the British rule.

He was born in a Momin Ansari family at Dehri-on-Sone, Bihar on 1 July 1905. After studying at Sasaram and Dehri-on-Sone High Schools, he went on to attend Aligarh Muslim University, Calcutta University, and Allahabad University, though his education was interrupted from time to time due to his active involvement in the freedom movement.

Abdul Qayuum Ansari was also an accomplished journalist, writer and poet. His association with journalism was natural. Among the important journals of this series are *Al-Islah* (1924-72), *Musawat* (1933), and *Tehzeeb* (1953). Apart from this literary journal 'Husno Ishq' (1924-1926) was also brought out by him.[1] In fact, Ansari started his public life from journalism, and this was the reason why qualities of truth, integrity, morality, and fearlessness came out. His career began with the editorial responsibility of 'Husno-Ishq' and 'Al-Islah' which reached its climax with 'Momin Duniya'. Sheikh Imamuddin writes about the cause of his passion for journalism: 'Al-Hilal has created stir, *Comrade* and *Hamdard* was also inspiring the youth..these papers guided Abdul Qayuum Ansari..Gandhiji had closed Non-Cooperation and Civil Disobedience...He wanted to carry out the voice of freedom in a silent manner for which journals and papers were required. Thus two journals, 'Husn-o-Ishq' and 'Al-Islah' were launched in his editorship. Husn-o-Ishq was a treasure of literature and Al-Islah kept the flame of freedom burning among the Urdu readers.'[2] About his association with journalism, the April 1976 issue of *Murgh-e-Chaman* writes: 'Sasaram has a pride of place as the first biography of Shad Azimabadi was published from here. This biography was published by Moin Ahmed Qais

Rizvi, pupil of Shad from Al-Islah press in 1925..The introduction inside was written by Abdul Qayuum Ansari, joint editor 'Al-Islah' and 'Husn-o-Ishq' and it also has advertising of 'Al-Islah' on the other page.'[3] Another journal patronised by him was 'Ishara', which was a literary magazine.

He was involved in the freedom struggle of India at a very early age and as a part of the same he left the government run school at his home town. He established a national school for the students who had boycotted government schools in response to the call of the Indian National Congress. For this he was arrested and imprisoned at the young age of 16, since it amounted to participation in Non-Cooperation and Khilafat Movements.

He was known for his commitment to national integration, secularism and communal harmony. He was a leader who worked against the demand of Muslim league for creation of a separate Muslim nation from India as an independent state.He worked closely with the Indian National Congress throughout as a youth leader and even took part in the students' agitation against the Simon Commission during its visit to Calcutta in 1928.He opposed the communal policies of the Muslim League.

Ansari was against the Muslim League demand for the creation of Pakistan. To counter the demand of the Muslim League for a separate Muslim nation he started the Momin Movement in 1937-38. Under this banner he worked for the social, political, economic emancipation and also upliftment of the backward Momincaste which constituted large proportion in India's Muslim population.Momin movement supported the Indian National Congress Party which he perceived to be fighting for freedom for a united India, and for the establishment and development of social equality, secularism and democracy. He also worked for the welfare of the artisans and weavers communities, and for the development of the handloom sector in the textile industry of the country.

Another distinguishing quality of his is the unflinching faith in united national identity. And if he is called a pillar of National integration and unity, it would not be wrong. The Nationalist Movement which was founded by Husain Ahmed Madni, Maulana Azad, Dr. Zakir Hussain and Maulana Abul Kalam Azad was carried forward by leaders among whom Ansari is among the leading ones.[4]

The leadership of Abdul Qayuum Ansari became obvious in 1946 elections, in which Abdul Majid from the United Provinces and Abdul Qayuum Ansari from Bihar challenged the claim of the Muslim League for being the only representative of the Muslim community. In this election six candidates of the Momin Conference—including Ansari were declared successful.[5] Ansari was inducted in the first Bihar Congress cabinet in 1946 at the behest of Patel, when Maulana Azad had removed his name.

Dr. Hasan Nishat Ansari writes: 'Sardar Patel had asked for an exception to be made in his case and recommended his inclusion in the Bihar cabinet. The Amrita Bazar Patrika of April 30 1946 reported that Mr. Ansari was the first Momin to become a minister of the Crown.'[6] Eventually he dissolved the Momin Conference as a political body, and made it a social and economic organization. He was a Minister in the Bihar Cabinet for about 17 years and held various important portfolios and discharged his

responsibilities most ably, building up a reputation for selfless service and integrity.His personality was not boring and dull like other politicians. He has many interests and colourful personality. Before entering politics, he has been a poet and also founded two journals. After he came in politics, such hobbies ended but the interest remained till the very end. With his own contribution, he founded one daily and one literary journal from Patna.[7]

During the aggression of Pakistan on Kashmir in October 1947, he came forward and condemned the same and strenuously worked to rouse the Muslim masses to counter such aggressions as true citizens of India[8]. As an aftermath of this he founded the Indian Muslim Youth Kashmir Front in 1957 for liberation of Pakistani occupied areas of Kashmir. He supported the Indian Governmentin the anti-Indian uprising of the Razakars in Hyderabad during September, 1948.A champion of the poor and downtrodden, Abdul Qaiyum Ansari worked for the spread of education and literacy and the first All India Backward Classes Commission was appointed by the Government of India in 1953 largely at his initiative.

Abdul Qaiyum Ansari died on 18 January 1973, at village Amiawar of Bihar, while inspecting damages caused to the village by the collapse of the Dehri-Arrah canal and organizing relief to its homeless people. The Postal and Telecom department issued stamp in his honour in 2005. His legacy is carried on.

References:-

1- Ghulam Mujtaba Ansari, Abdul Qayoom Ansari, Bihar Urdu Academy, Patna, 2006, p. 14
2- quoted in ibid., P. 15
3- ibid.,
4- Shahid Ramnagri, Abdul Qayuum Ansari: Hayat aur Karname, Phulwari Sharif (Patna), 1986, p. 147
5- ibid., p. 23
6- quoted in Ghulam Mujtaba Ansari ed., op. cit., p. 88
7- Shahid Ramnagri, op. cit., p. 20
8- Abdul Azim Akhtar, Colonialism, Nationalism and Journalism....Thesis, Patna University, 2012

महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा

डॉ0 सूर्यभान रावत
एसोसिएट प्रोफेसर–समाजशास्त्र
किसान पी0जी0 कालेज, बहराइच

प्रियंका पासवान
असिस्टेन्ट प्रोफेसर–समाजशास्त्र
आर0पी0एस0पी0पी0जी0 कालेज निमड़ी, अयोध्या

सशक्तिकरण में शिक्षा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है– सा विद्या या विमुक्तयो' इसी कसौटी पर आज की शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। नई प्रणाली को हुनर शिक्षा और आर्थिक उत्पादनशीलता के लिए अभिमुख होना पड़ेगा। यह शिक्षा ऐसी हो जिसमें चरित्र निर्माण हो–जहाँ ईमानदारी, कार्य कुशलता, न्यायपरायणता और देश प्रेम जैसे मूल्यों को तेजस्वी व प्रखर बनाया जाए। वह ज्ञान की लालसा तथा देश भ्रमण की उत्सुकता उत्पन्न करें, वह महिला में जिज्ञासा भर दें। ऐसी शिक्षा सहजता से उपलब्ध हो, यह आज की प्रमुख आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए कि महिला के पास हुनर की आमदनी का जरिया हो सरकारी योजनायें कम पड़ रही हैं। किसी भी शैक्षिक संस्था में कम से कम 8 वर्श बिताये बगैर कोई हुनर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। यदि महिलाओं में परम्परागत ढंग से कोई हुनर सीखा है तो उसे आगे बढ़ाने की कोई शिक्षा प्रणाली आज की सरकारी योजना में नहीं है। हुनर सीखी महिला जब अपने हुनर को व्यावसायिक रूप में ढाल कर रोजी रोटी का साधन चाहती है उसे अन्य कई मुद्दों पर ट्रेनिंग और सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे छोटे अवधि के कोर्स अभी तक सरकारी योजनाओं में कहीं नहीं है, जो महिला व्यवसायी की आवश्यकता अनुरूप लचीले, सुलभ और कम खर्चे पर उपलब्ध है।

चीन के बीजिंग शहर में सितम्बर 1995 में हुए चौथे विश्व महिला सम्मेलन में पुरूष के मुकाबले स्त्रीयों को को अवसरों और दर्जे की समानता देने की जरूरत पर जोर दिया गया था। स्त्रियों को स्वावलम्बी बनाने और लक्ष्य प्राप्त तथा अपने मन पसन्द क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए उनमें आत्म विश्वास उत्पन्न करने में शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। बीजिंग घोषणा पत्र में इस बात की पुष्टि की गयी कि भारत सहित अन्य सभी देशों की सरकारें संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा तथा अन्य अर्न्तराष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों विशेषकर महिलाओं के विरूद्ध हर प्रकार के भेद भाव की समाप्ति सम्बन्धी सन्धि और बाल अधिकार सन्धि तथा स्त्रियों के खिलाफ हिंसा मिटाने की घोषणा और विकास के अधिकार की घोषणा में निर्दिष्ट अन्य उद्देश्यों व सिद्धान्तों के प्रति वचनबद्ध रहेगी। बीजिंग सम्मेलन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि इसमें भाग ले रहे देश राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के जरिये सरकारों तथा अर्न्तराष्ट्रीय बिरादरी में स्त्रियों के सशक्तिकरण और उन्नति के लिए प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाने की जरूरत को स्वीकार किया है। यह भी महसूस किया गया कि बड़ा क्षेत्र जिसमें कार्यवाही की जरूरत है वह है लड़कियों और औरतों की बुनियादी शिक्षा, जीवन पर्यन्त शिक्षा, साक्षरता व प्रशिक्षण तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिये निरन्तर आर्थिक उन्नति के साथ–साथ जन केन्द्रित निरन्तर विकास को बढ़ावा देना। इसीलिए वैश्विक स्तर पर यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा से सशक्तिकरण होता है तथा जीवन पर्यन्त व निरन्तर शिक्षा मानव जीवन के स्तर को उन्नत करती है। सदियों से स्त्रियों के प्रति भेदभाव किया जाता रहा है और उन्हें शिक्षा, उन्नति, विकास और

निर्णय लेने के अधिकार से वंचित रखा गया है। भारत जैसे पारम्परिक समाजों के बारे में तो यह बात विशेष रूप से सच है जहाँ कि 80 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी गांवों में रहती है।

आक्स फैम इन्टरनेशनल द्वारा प्रकाशित ''एजूकेशन नाउ ब्रेक दि साइकिल ऑफ पावर्टी'' के बारे में गरीबी और शिक्षा की कमी के बीच सम्बन्ध और स्त्रियों के जीवन पर शिक्षा के प्रभावों के बारे में एक प्रभावपूर्ण विश्लेषण दिया गया है। रिपोर्ट में निरक्षता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि बीसवीं सदी के अन्त में मानवता के लिए यह सबसे बड़ा अभिशाप था। इसने करोंड़ों वयस्कों को वंचित, असुरक्षित और कंगाल कर डाला। इसके शिकार अधिकांशतः गरीब हैं, बड़ी संख्या लड़कियों और स्त्रियों की है। यह अभिशाप कोई बीमारी नहीं बल्कि व्यापक निरक्षरता है जो शिक्षा के अवसरों से वंचित रखे जाने से उत्पन्न हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त बाजार में गड़बड़ियों के विपरीत विकासशील देशों में शिक्षा के संकट पर मीडिया का ध्यान आर्कषित नहीं होता और न ही बिम्ब के शक्तिशाली देशों में कोई कदम उठाने की इच्छा जागती है। दूसरी तरफ सूखा, बाढ़ यह नागरिक विद्रोह, गरीबी, अधिकारिता और निरक्षता से उत्पन्न खराब स्वास्थ्य से समाज में फैली त्रासदी आसानी से कैमरे में कैद करके अन्तर्राष्ट्रीय जनमत के सामने पेश कर दी जाती है। आज प्राथमिक स्कूल जाने वाले बच्चों में अक्सर लड़कियाँ ही स्कूल छोड़ देती हैं। युगान्डा की एक महिला इस रिपोर्ट में कहती है ''शिक्षित व्यक्ति के सामने अधिक अवसर होंगें अगर मेरी बेटी पढ़ लिख सकती है, तो उसका जीवन बेहतर बनेगा। वह अधिक खुश होगी और दूसरों पर कम निर्भर होगी।'' इसलिए हर कीमत पर निरक्षरता दूर करना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इससे स्त्रियों को अन्ततः अपनी जिन्दगी में कुछ कह पाने का अधिकार मिल सकेगा। अनपढ़ महिला का तो इस बात में भी दखल नहीं होता कि उसके कितने बच्चे हों या वह उन्हें स्कूल भेज सकती है या नहीं। भारत जैसे पितृसत्तात्मक समाज में लड़कियों की शिक्षा पर खर्च बेकार माना जाता है क्योंकि एक दिन उसे घर छाड़कर पति के घर जाना है। इसी सोच को आज बदलना होगा विशेषकर ग्रामीण इलाकों में। भारत के शहरी इलाकों में जीवन निर्वाह की भारी लागत की वजह से इस सोच में काफी परिवर्तन आया है। घर खर्च चलाने और बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए पति पत्नी को काम करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी महिला वर्ष 2000 की चुनौतियां रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन्दा रहने के लिए औरतों पर बुरी तरह निर्भर ग्रामीण समाज उन्हें शिक्षित करने का विरोध करता है। उदाहरण के तौर पर अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में 93.8 प्रतिशत स्त्रियां निरक्षर हैं जबकि शहरों में अनपढ़ स्त्रियों का प्रतिशत 56.4 है। ग्रामीण महिलाओं के बच्चे भी अधिक पैदा होते हैं। वे अधिक गरीब भी होती हैं। जीवन संघर्ष में उनके पास प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए या तो समय नहीं होता और होता भी है तो कम होता है। इसके अलावा उनमें इसके लिए ताकत भी नहीं होती है। भारत को दक्षिण कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों के उदाहरणों का अनुकरण करना होगा जिन्होंने अपनी जनता की शिक्षा पर काफी संसाधन खर्च किये हैं और तत्पश्चात तेजी से उन्नति की। इन देशों ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश के तीव्र विकास के लिए भारत को ये दूरदृष्टिपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने होंगें।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने अपने नागरिकों को शिक्षा की गारन्टी देने की पहल की। हांलाकि प्रगति हुई, कभी–कभी जनसंख्या का बडा आकार बाधा बन जाता है। दक्षिण राज्यों की जनसंख्या उत्तरी राज्यों की अपेक्षा कम है। इसलिए वे साक्षरता लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक कामयाब रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1951 की तुलना में महिला साक्षरता में पांच गुना बृद्धि हुई है। अब यह दर पुरूषों की लगभग 64 प्रतिशत की तुलना में 39.29 प्रतिशत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1979 में पारित और अन्य देशों के साथ–साथ भारत द्वारा पुष्टि इस संन्धि को सामान्यतः महिलाओं के लिए एक अर्न्तराष्ट्रीय विधेयक कहा जाता है। रिपोर्ट यह बतलाती है कि केरल में पूर्ण साक्षरता है जबकि राजस्थान में महिला साक्षरता दर केवल 20.8 प्रतिशत ही है। राज्यों के बीच इस अन्तर की खाई को कम करना है ताकि लिंग भेद सम्बन्धी समस्यायें घट सकें।

राजस्थान की शिक्षा कर्मी परियोजना, उत्तर प्रदेश की बुनियादी शिक्षा परियोजना, आन्ध्र प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा परियोजना, बिहार की शिक्षा परियोजना, तमिलनाडु की दोपहर भोजन योजना जैसी तमाम शिक्षा के विकास से सम्बन्धित परियोजनायें, लड़के लड़कियों का साक्षरता स्तर उन्नत बनाने में काफी हद तक मदद की है।

भारत में शिक्षा के बिना स्त्रियों का सशक्तिकरण सम्भव नहीं है। दक्षिणी राज्यों ने उत्तरी राज्यों की तुलना में काफी प्रगति की है। देश भर में बच्चियों का शिक्षा स्तर ऊँचा उठाने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की ओर से एक सार्थक एवं जागरूक प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास में पुरूषों की भी भागीदारी व सहयोग की अपेक्षा है क्योंकि शिक्षित महिला से सम्पूर्ण समाज को लाभ पहुंचता है। आज आवश्यकता है महिलाओं को शिक्षित बनाने की जिससे वे पुरूषों के साथ विभिन्न तरह की प्रकार्यात्मक भूमिकाओं का निष्पादन कर सकें, और समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने योगदान को रखांकित कर सकें।

सन्दर्भ सूची–

1. डॉ0 एस0एन0 वर्मा : सामाजिक मुद्दों पर निबन्ध, (2014), भारती पब्लिसर्श एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स फैजाबाद।
2. जया इन्द्रेशन : एजूकेशन फार वोमेन्स इम्पावरमेन्ट, (2002) कोणार्क पब्लिकेशन्स
3. एस0पी0 अग्रवाल : वोमेन्स एजूकेशन इन इण्डिया (1995–98), कान्सेप्ट पलिसिंग कम्पनी 2001,
4. सुतेन्द्र सिंह, आशा अरोड़ा : एजूकेशन एण्ड वोमेन्स इम्पावरमेन्ट (1999), एसोसिएशन ऑफ इण्यिन यूनिवर्सिटीज.

वर्तमान वैश्विक समाज में बुद्ध के उपदेशों की प्रासांगिकता

डॉ0 नरेन्द्र सिंह

असि0 प्रोफेसर
प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व
विद्यान्त हिन्दू पी0जी0 कालेज, लखनऊ

भगवान बुद्ध अपने उपदेशों में जीव एवं जगत के प्रति समान एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते थे। वह सामान्य बोल चाल की भाषा में सरल ढंग से जनता को उपदेश दिया गरते थे। सरल एवं ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाने वाली पालि एवं प्राकृत भाषा में की गई बात अनपढ़ एवं पढ़ा–लिख समाज आसानी से समझ जाता था। भगवान बुद्ध अपने लोक कल्याणकारी उपदेश उदाहरण देकर समझाया करते थे। उन्होंने खुद को ऐसे सवालों में कभी नहीं उलझाया, जिनका कोई महत्व नहीं था। जैसे–मनुष्य अजर अमर है, जीव और शरीर एक है; मनुष्य का पुर्नजन्म होता है आदि। भगवान बुद्ध के अनुसार यह सब मिथ्या एवं आडम्बरपूर्ण था। भगवान बुद्ध जीव एवं मनुष्य को सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाना चाहते थे। उनका दर्शन ऐसे ज्ञान से सम्बन्धित था जिसके आलोक में तृष्णा एवं वासना का नाश हो सके। वह सभी जीवों एवं इंसानों में करूणा एवं मैत्री के द्वारा सार्वभौम सत्ता स्थापित करना चाहते थे जिसमें सभी का कल्याण हो। बौद्ध धम्म में शील एवं प्रज्ञा के बिना मनुष्य को एक रेगिस्तान की भाँति बताया गया। क्या ठीक है? क्या ठीक नहीं है? इस बात का ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक बताया गया है। भगवान बुद्ध के अनुसार जिस कार्य से दूसरे को पीड़ा हो वह कार्य मंगल एवं कल्याणकारी नहीं हो सकता।[1] इसके लिए मनुष्य में स्वयं देखभाल की प्रवृत्ति (प्रत्यवेक्षा) होना परमावष्यक बताया गया है। अच्छे बुरे का बोध होना एक अच्छे उपासक का धर्म होता है। भगवान बुद्ध के अनुसार–अविद्या, व्यापाद चित्त की चंचलता, अकर्मण्यता एवं हिंसा आदि इंसान को दुर्बल एवं निश्क्रिय बना देती है इसलिए इनसे बचना चाहिए। इन प्रवृत्तियों का बौद्ध ग्रंथों में शमन भी बताया गया जो दृढ़ संकल्प से ही सम्भव है।[2] मनुष्य के गोत्र, वंश, परिवार, धन–सम्पत्ति से प्रवृत्तियों का शमन नहीं हो सकता है।[3]

भगवान बुद्ध का दर्शन एक दम व्यवहारिक था उसमें जटिलता नहीं थी। उनके अनुसार व्यक्ति को वाणी से बुरा नहीं होना चाहिए, किसी को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए, विनय पूर्वक संयत रहना चाहिए, जीव हिस्सा से बचना चाहिए। इससे लोककल्याण होता है। भगवान बुद्ध ने कटु वचन बोलने वाले को उसी प्रकार बताया जिस प्रकार हवा के विपरीत फेंकी गई धूल उसी व्यक्ति के ऊपर गिरती जो किसी और पर फेंकता है। ऐसे ही कटु वचन उसी व्यक्ति के पास लौट कर आ जाते जो किसी दूसरे को कहता है।[4] प्रज्ञा के द्वारा व्यक्ति अच्छे एवं बुरे की पहिचान करके सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होता है। बौद्ध धम्म में समाधि का सम्बन्ध मनुष्य की ध्यानावस्था से है, मन को संतुलित करने से है। बुद्ध के अनुसार शील निरूपित मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को अपनी बुद्धि एवं विवेक पर निर्भर रहना चाहिए। एक बार केसपुत्त के कालामों को उपदेशित करते समय भगवानने कहा था–"न श्रुति से, न परम्परा से, न शास्त्र की अनुकूलता से, न वक्ता के रूप से, न श्रमण हमारा गुरू है इस विश्वास से तुम किसी काम को करो। जब तक तुम यह न देख लो कि कही गई बात सही है या गलत है जब तुम्हारी कसौटी पर बात सही साबित हो तभी तुम उसे स्वीकार करो।[5] धम्म के सम्बन्ध में तथागत की भावना थी, कि यह नदी पार करने का नौका के समान है यदि कोई व्यक्ति नाव को सिर पर रखकर नदी कर करता है तो वह मूर्ख है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति धम्म का मन की बुद्धि एवं शील के विरूद्ध अंधविश्वास एवं कर्मकाण्ड को बढ़ावा देता है तो वह मूर्ख है।[6]

भगवान बुद्ध के अनुसार किसी व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण एवं परीक्षण के बाद ही अच्छा बुरा सोचना चाहिए। तथागत ने एक बार वशिष्ठ से प्रश्न किया कि "जिस ब्रह्मा की तुम बात करते हो उसको कभी तुमने देखा है या किसी को दिखा सकते हो, यदि ऐसा नहीं कर सकते तो तुम अंधों की भीड़ से चल रहे हो तुम्हारा समस्त प्रयास व्यर्थ है।[7] बुद्ध ने न तो पूर्व जन्म की बात की है और न ही पुर्नजन्म की, वह वर्तमान की बात करते थे। एक जगह अपने भिक्षुओं को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था–"हे भिक्षुओं मैंने चेतना को कर्म कहा है, चेतना पूर्वक कर्म किया जता है[8] कर्म के इसी भाव को बुद्धघोष ने भी स्वीकार किया है।[9]

भगवान बुद्ध के उपदेशों में सामाजिकता की महत्ता थी। वह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के प्रबल समर्थ थ। वह समाज में व्याप्त ऊँच–नीच, जाति–पाँति, रूढ़िवाद, कर्मकाण्ड आदि के प्रबल विरोधी थे। वह इंसान को उसके कर्म के आधार पर ही छोटा बड़ा मानते थे। दासता एवं जाति प्रथा से तथागत को चिढ़ थी। वह सामाजिक समरसता एवं स्वतंत्रता के पोषक थे। उन्होंने प्रत्येक इन्सान को अपना–अपना कर्म करने के लिए उपदेशित किया। तथागत ने मानव जीवन को दुर्बलताओं एवं कुरीतियों से ऊपर उठकर देखा इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास एवं साधना की। सम्यक सम्बोधि प्राप्ति से पूर्व वह एक साधारण इंसान की भाँति थे–अपने एक उपदेश में वह भिक्षुओं से कहते हैं–सम्यक सम्बोधि प्राप्त करने के पूर्व मैं जन्म, मरण, जरा, रोग, दुःख आदि के वशीभूत था मैं भी उन्हीं वस्तुओं की खोज में था जो इनके अधीन है जैसे–स्त्री, बच्चे, दास, दासियाँ, हाथी, घोड़े, सोना, चाँदी आदि। भिक्षुओं मैंने सोचा क्यों न मै जन्मरहित, जरारहित, रोगरहित, मृत्युरहित एवं पापरहित स्थिति को प्राप्त कर लूँ , जिससे अविद्या समाप्त हो जाय। हे भिक्षुओं इसी के निमित्त मैंने सम्बोधि प्राप्ति का निर्णय लिया है।[10]

भगवान बुद्ध को अनुभव एवं व्यवाहिरक ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में अपार कष्ट झेलने पड़े। एकान्त वास करते हुए, उन्हें जो अनुभव हुआ वह इस प्रकार हैं–अरण्य में रहने वाले के लिए एकान्त वास अत्यन्त कठिन होता है क्योंकि उसने अभी मन को एकाग्रचित्त करना नहीं सीख होता है उसे मृत्यु का भय ग्रस लेता है इनसे मुक्ति पाने के लिए उसे वन में, श्मशान में, पेड़ के नीचे रात बितानी चाहिए। सम्बोधि प्राप्ति से पूर्व जब बुद्ध ध्यान लगाकर बैठते तो हवा द्वारा पत्ते खड़कने की अनुभूति भय को जन्म देती थी किन्तु अड़िग रह कर इन सब पर विजय प्राप्ति के पश्चात उन्हें सम्बोधित प्राप्ति हुई।

भगवान बुद्ध का जीवन शिक्षाओं एवं उपदेशों के प्रचार–प्रसार में ही बीता। वह अपने उपदेशों में नैतिक जीवन जैसे आचरण और सद्चरित्र पर बल देते थे। तथागत प्रातः उठकर स्नान करने के उपरान्त भिक्षाटन के निमित्त निकल जाते थे। किसी गृहस्थ के यहाँ भिक्षा लेकर उसे धर्मोपदेश से अनुगृहीत करते थे तत्पश्चात बिहार वापस लौटते थे। भोजन के बाद वह भिक्षुओं को ध्यान के लिए प्रेरित कर स्वयं ध्यान के लिए एकान्त में चले जाते थे।[11] शाम का वक्त उपदेश के लिए था जब वह भिक्षुओं एवं आम लोगों के उपदेश दिया करते थे। सायं काल स्नान के पश्चात भिक्षुओं को अमृत रूपी उपदेश पदान करके वे स्वयं शयन हेतु एकान्त में चले जाते थे। निश्चय भगवान बुद्ध के उपदेश एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित थे जिसमें नैतिक आचरण, प्रज्ञा, करूणा एवं मैत्री का अद्भुत संगम था। तथागत का जीवन दर्शन आज सम्पूर्ण विश्व में उतना ही प्रासंगिक है जितना आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व था। इतिहास गवाह है युद्ध से युद्ध ही होता है–शान्ति नहीं। यह कैसे सम्भव है कि एक तरफ हम परमाणु हथियार की बात करते हैं, दूसरी तरफ शान्ति की, यह एक अजीब विरोधाभास है। आज सम्पूर्ण विश्व जब आपसी मतभेद, परमाणु हथियार की होड़ तथा आपसी प्रतिस्पर्धा कर रहा है जिससे युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। यदि हम भगवान बुद्ध के करूणा, मैत्री एवं प्रज्ञा युक्त उपदेशों को ग्रहण करें उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर लें तो सम्पूर्ण विश्व में यकीनन शान्ति लाई जा सकती है।

सन्दर्भ सूची

1. मज्झिम निका 2.2.1
2. संयुक्त निकाय 1.53
3. मज्झिम निकाय 3.262
4. भगवान बुद्ध एवं उनका धम्म, पृ0 332—डा0 बी0आर0 अम्बेडकर
5. अंगुत्तर निकाय 3.7.5
6. मज्झिम निकाय 1.4
7. मज्झिम निकाय 1.13
8. अंगुत्तर निकाय 2.157
9. विशुद्धिमग्ग 2.614
10. मज्झिम निकाय 1.91
11. संयुक्त निकाय 1.146.8
12. प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास—डा0 जयशंकर मिश्र

भारत में साम्प्रदायिकता का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ0 शक्ति सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
गनपत सहाय पी0जी0 कालेज, सुलतानपुर (उ0प्र0)

ईश्वर को अनुभूति एवं साक्षात्कार हेतु तथा लौकिक एवं अलौकिक के सम्बन्ध को नियमित एवं परिभाषित करने हेतु जो कल्पाचार (कर्मकाण्ड) निर्धारित होता है उससे मार्ग बनता है। मत विशेष से सम्बन्धित कर्मकाण्डों को करने वाले पन्थ का रूप लेते है। पन्थ के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए। प्रो0 गौरीशंकर भट्ट (सन् 1979) ने लिखा है कि भाईचारे की भावना पर आधारित पन्थ एक ऐसा समूह है जो कुछ अनुष्ठानों कल्पों, प्रतीको (लौकिक एवं अलौकिक) दीक्षा–समारोह तथा वंशानुगत या सर्वसम्मत से निर्वाचित गुरू की सत्ता के आधार पर संगठित रहता है। संगठन को चलाने के लिए गुरू के अलावा और पदाधिकारी होते है। पन्थ के सदस्यों का आदि गुरू से विशेष आध्यात्मिक लगाव होता है और आदि गुरू के चमत्कारिक देवत्व में विश्वास तथा उसकी अनुकंम्पा की कल्पना इस लगाव का ठोस आधार है। मत एवं मार्ग व्यक्ति परक है जबकि पन्थ समूह परक है। पन्थ की सदस्यता में दीक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है जो प्रत्येक पन्थ की अपनी होती है। जो आधार पन्थ को संगठित करते है वही उसमें आत्मविच्छेद उत्पन्न करके उसे विभाजित करते है। कालान्तर में जब अपने मत–मार्ग के प्रति पन्थ में आग्रह उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वह औरों से अपने को श्रेष्ठ समझता है और उसमें सैद्धान्तिक जुड़ता आ जाती है तो पन्थ सम्प्रदाय की श्रेणी में पहुंच जाता है।

इस प्रकार साम्प्रदायिकता का मूल आशय भाषा, धर्म अथवा अन्य किसी आधार पर किसी समूह या संगठन विशेष के हितो को प्राथमिकता प्रदत्त कर राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करना है तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को प्रभावित करते हुए शासकों पर ऐसा दबाव डालना है जिससे सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्ध व्यक्तियों की सत्ता, प्रशासन, राजनीतिक अधिकारों आदि में वर्चस्व हो क्योकि सम्प्रदायिकता का सम्बन्ध मुख्यतः अल्पसंख्यकों से रहा है। विदेशियों ने राष्ट्र को विखण्डित करने हेतु इस भावना के विकास में अधिकाधिक योगदान दिया है क्योकि साम्प्रदायिकता द्वारा प्रथकतावादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जाता है।

भारत में साम्प्रादायिकता की समस्या को केवल हिन्दू–मुस्लिम प्रश्न अथवा इसको हिन्दू मुस्लिम धर्मों का विरोध मानना ठीक नहीं। साम्प्रदायिक प्रश्न का अधार राजनैतिक अधिक और धार्मिक कम है। इन दो धर्मों के अतिरिक्त इस त्रिभुज में एक तीसरा पक्ष भी था। अंग्रेजों ने हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदायों के बीच अपने आपको स्थापित कर एक साम्प्रादायिक त्रिभुज खड़ी कर दी। इस त्रिभुज की सबसे दृढ़ तथा आधार भुजा अंग्रेज थे। वे न ही मुसलमानों के मित्र थे न ही हिन्दुओं के शत्रु। वे तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मित्र थे और ''बांटो और राज्य करो'' में विश्वास करते थे।

आरम्भिक काल में सर सैयद अहमद खान ने हिन्दू और मुसलमानों को एक सुन्दर वधू (भारत) की दो आँखे बतलाते हुए कहा कि हिन्दू और मुसलमान केवल दो धार्मिक भिन्नताएं प्रकट करते हैं अन्यथा सभी लोग चाहे वे हिन्दू अथवा मुसलमान हों, चाहे इसाई भी हों, जो इस देश में रहतें हैं, सभी इस मामले में, एक ही राष्ट्र से सम्बन्ध रखते हैं। हमें मन से और हृदय से एक होने का प्रयत्न करना चाहिये और कार्य भी एक होकर करना चाहिये। यदि हम एक होंगे तो हम एक दूसरे का आश्रय बन सकते हैं और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक दूसरे का विरोध करने से हम दोनों का पतन और नाश हो जायेगा परन्तु कुछ दिनों बाद ही

अपनी नीतियों और विचारों में परिवर्तन करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दू और मुसलमान न केवल दो राष्ट्र हैं अपितु विरोधी राष्ट्र हैं। यदि अंग्रेज भारत से चले जाएँ तो मैं अभी भी एक साझा राजनैतिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। इस प्रकार दोनों धर्मों के बीच महत्वपूर्ण भेदों की और दोनों धर्मावलम्बियों में भिन्न स्तर की बात करते हुए कहा कि यदि साधारण चुनाव प्रणाली अपनायी जायेगी तो बड़ी जाति छोटी जाति की अवहेलना करेगी, वे मुस्लिम हितों के पूर्व पक्षपाती और वह इस बात को भलीभाँति जानते थे कि मुसलमान शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं और वह राजनीतिक संस्थाओं के लिए परिपक्व नहीं है इसलिए उनके सम्प्रदाय को उनका उचित स्थान नहीं मिलेगा। इस विचार ने हिन्दू भय का रूप धारण कर लिया और इसके पश्चात् यह समस्त मुस्लिम विचारधारा का महत्वपूर्ण अंग बन गया।

भारतीय इतिहास के कुछ अंग्रेजी लेखकों ने भी हिन्दू–मुस्लिम प्रश्न को लेकर ही इतिहास और भारतीय संस्कृति के विकास की कथा लिखी और इस प्रकार साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। भारतीय इतिहासकारों ने भी इस तथ्य पर बल देते हुए प्राचीन भारत के इतिहास को हिन्दूकाल और मध्यकालीन इतिहास को मुस्लिमकाल की संज्ञा दी अर्थात धर्म की इस काल के इतिहास में प्रमुख मार्ग दर्शक तत्व था। जो भी हो इतिहास के प्रति इस साम्प्रदायिक दृष्टिकोण ने 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरणों तथा 20वीं शताब्दी के प्रथम अर्द्ध में भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

19वीं शताब्दी के दोनों हिन्दू और मुसलमान धार्मिक सुधार और पुनरूत्थान आन्दोलनों के कुछ परस्पर विरोधी रूप भी थे। ये आन्दोलन हिन्दू और मुस्लिम धमा को रूढ़िवादी और विवेक रहित तत्वों से बचाने के लिये आरम्भ किये गये थे परन्तु इससे कुछ अप्रत्यक्ष प्रवृत्तियाँ भी उत्पन्न हो गई। मुसलमान का सभी अमुस्लिम लोगों के प्रति धर्म युद्ध का नारा लगाना और देश में दार–उल–इस्लाम स्थापित करने का स्वप्न लेना हिन्दुओं के लिये स्वीकार करना उतना ही कठिन था जितना कि कुछ हिन्दू सुधारकों द्वारा इस देश को 'आर्यावर्त' में परिणत करना और शुद्धि का आवाहन देना, मुसलमानों के लिए।

इसी प्रकार 20वीं शताब्दी के उग्रराष्ट्रवादियों ने महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविन्द सिंह को राष्ट्र वीरों की सूची में सम्मिलित कर लिया और अकबर, शाहजहाँ और औरंगजेब जैसे राजाओं को विदेशियों की संज्ञा दी अर्थात प्रताप, शिवजी और गुरू गोविन्द सिंह वीर थे, क्योंकि वे हिन्दू थे और मुगल सम्राट विदेशी थे क्योंकि वे मुसलमान थे। इसी प्रकार हिन्द्–मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक बालगंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविन्द और गांधी जी जाने–अनजाने में ऐसी भाषा, उपमा और लक्षणों का प्रयोग करते थे जो केवल हिन्दू थी। जैसे कि एक आदर्श राज्य के महात्मा गांधी 'शमराज्य' की बात करते थे जिसको मुस्लिम जनता पसन्द नहीं करती थी। यह सत्य है कि इन शब्दों का प्रयोग जन–साधारण को उभारने के लिए किया गया था परन्तु अंग्रेजों ने इसका प्रयोग साम्प्रदायिकता को उभारने के लिए किया। एक समय में तो मुस्लिमलीग तिरंगे झण्डे के सामने झुकने की आपत्ति करती थी।

मुस्लिम लीग के राजनैतिक उद्देश्य को लेकर नवाब बक्कार–उल–मुल्क ने अलीगढ़ में कहा कि ''अल्लाह न करे, यदि अंग्रेज राज्य भारत से समाप्त हो जाए तो हिन्दू हम पर राज्य करेंगे और हमारी जान, माल और धर्म खतरे में होगा। मुसलमानों को इस खतरे से बचने का एक ही मार्ग है वह यह है कि अंग्रेजी राज्य को जारी रखने में सहायता करें। यदि मुसलमान पूरे मन से अंग्रेजों के साथ रहेंगे तो उनका राज्य पूर्ण रूप से बना रहेगा।''

धीरे–धीरे एक दशक बाद कुछ उदारवादी मुस्लिम नेता 'मुस्लिम लीग' के प्रभाव में आ गये जिनमें मौलाना मुहम्मद अली, मौलाना मजहर–उल–हक, सैयद वजीर हुसैन, हसन इमाम और मुहम्मद अली जिन्ना

(यह उन दिनों राष्ट्रवादी थे) प्रमुख थे। जिन्ना जो बाद में पूर्णरूपेण साम्प्रदायिकतावादी बन गये और वे हिन्दू और मुसलमानों के बीच खाई और भी चौड़ी कर दी।

भारत का बंटवारा मांगते हुए मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इसी अधिवेशन का यह दृढ़ विचार है कि इस देश में कोई भी संवैधानिक योजना सफल और मुसलमानों को स्वीकृत नहीं होगी।

वहीं दूसरी तरफ हिन्दुओं ने भी हिन्दू महासभा बनाने का निश्चय किया और 1910 में इसको उत्पत्ति ''अखिल भारतीय हिन्दू महासभा'' के नाम से की। हिन्दू महासभा के गठन के तर्क की व्याख्या करते हुए पं0 मदनमोहन मालवीय ने कहा ''मुसलमान और इसाई शताब्दियों से अपने धर्म प्रचार के लिए कार्य करते रहे हैं। भारत के मुसलमानों का मुख्य भाग इन्हीं हिन्दू धर्म से परिवर्तित लोगों का है। इस प्रक्रिया को रोकने के हेतु यह आवश्यक है कि एक हिन्दू मिशन (प्रचारक संस्था) बनाई जाय।'' हिन्दू महासभा के आरम्भिक दिनों में शुद्धि और संगठन यह उसके प्रमुख उद्देश्य थे।

हिन्दू महासभा हिन्दुओं में उतनी लोकप्रिय कभी नहीं हुई जितनी कि मुसलमानों में मुस्लिम लीग। परन्तु फिर भी मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग का प्रतीकार के रूप में हिन्दू महासभा ''अखण्ड हिन्दुस्तान'' का नारा लगाती थी। हिन्दू महासभा के भारत में हिन्दू जाति, हिन्दू संस्कृति, हिन्दू सभ्यता और हिन्दू राष्ट्र की मांग को देखत हुए मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग और दृढ़ होती चली गई। परन्तु यह मानना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग पहली साम्प्रदायिक संस्था थी जो अस्तित्व में आई और उसका साम्प्रदायिक विष फैलता चला गया और हिन्दू महासभा तथा अन्य साम्प्रदायिक संस्थाएं एक दूसरे का विरोध करन के लिए अस्तित्व में आती चली गयी।

अतः साम्प्रदायिक भावना राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक का कार्य करते हुए लोगों के मन में अलगाव के भाव को उत्पन्न करती है जो सारे देश को एक बनाने और राष्ट्रीय उत्थान के बारे में सोचने नहीं देती। जब–जब भी साम्प्रदायिक नेताओं ने विष वमन किया है उसकी लहरें, देश के कोने–कोने तक पहुँची हैं, लोगों में तनाव एवं संघर्ष पैदा हुए हैं, विभाजन, घृणा एवं अविश्वास की भावनाएं तीब्र हुई हैं और विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों में परस्पर सहयोग एवं सहिष्णुता पैदा नहीं हो सकी जिसस सम्पूर्ण देश एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में नहीं उभर सका तथा राष्ट्रीय जीवन में असुरक्षा उत्पन्न हुई।

अल्पसंख्यक की अवधारणा संकीर्णता से भी साम्प्रदायिकता का जन्म होता है। यह मान लिया जाता है कि धर्म के आधार पर जिस मजहब के सदस्यों की संख्या कम है बहुसंख्यक समूहों द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है किन्तु वस्तुस्थिति यह नही हो सकती। राष्ट्र का कर्तव्य है कि सभी को समता के आधार पर ही समान सुविधायें दे अतः राष्ट्र द्वारा बहुसंख्यक समूहों द्वारा यह भेद–भाव अपेक्षित नहीं है। साथ ही धर्म का आशय है लोक कल्याण। अतः धर्म भी जन कल्याण की भावना को प्रश्रय नहीं देता। पी0एच0प्रभु (1963) ने स्पष्ट किया है कि धर्म व्याज्य नही है लेकिन भविष्य में धर्म से कष्ठ की सम्भावना हो या धर्म मानवों के प्रति क्रूर हो तो धर्म का परित्याग ही श्रेयष्कर है। इसी प्रकार अगर किसी मजहब में क्रूरता से सम्बन्धित विचार या अधिकार समाहित है तो वह मजहब अपूर्ण है उसमें संशोधन की आवश्यकता है। अल्पसंख्यकों एवं बहुसंख्यकों के मध्य समय–समय पर जो साम्प्रदायिकत झगड़े या तनाव पैदा होते है। उनके बड़े ही गम्भीर एवं घातक परिणाम निकलते है। राष्ट्र हित की सर्वोपरि रखते हुए इस संदर्भ में विनोवा भावे ने लिया है कि ''हमारे यहां जो मुसलमान, ईसाई, बगैरह अल्पसंख्यक हैं उनका उत्तम रक्षण होना चाहिए। प्रेम से उनका बचाव करना चाहिए। यह वृत्ति अगर नही होगी तो आप लाख कोशिश करें तो भी आपकी आजादी नही रहेगी–यह आप लिख लीजिये।

सम्प्रदायिकता एवं बहु आयामी एवं राष्ट्रव्यापी समस्या है इसके उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय चरित्र के साथ–साथ सम्प्रदायों के नैतिक चरित्र, को भी स्वस्थ्य रूप से विकसित करने की आवश्यकता है। इस उत्तरदायित्व का निर्वाह अकेले सरकार या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा सम्भव नहीं है बल्कि सभी के समन्वित प्रयास से ही सम्भव है उसमें स्वयं सम्प्रदाय विशेष की जागरूकता, सक्रियता एवं स्वस्थ्य दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. प्रो0 गौरीशंकर भट्ट, भारतीय सामाजिक विचार–एथनोग्राफिक एण्ड कल्चरसोसायटी, लखनऊ।
2. Bahadur, Lal, The Muslim League (द मुस्लिम लीग)
3. Coupland, R., The Constitutional Probhem in India.
4. History of Freedam M. of Pakistan4 Vols. (Pakistan Historical Society)
5. Jehnson, A. Compbell : Mission with Mountabatten
6. पी0एच0 प्रभु, हिन्दू सोसल आर्गनाइजेशन, पापुलर प्रकाशन, बम्बई, 1963
7. आचार्य विनोवा भावे, अल्पसंख्यकों की रक्षा पर आजादी निर्भर', नामक लेख सर्वोदय, सामयिकी सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी।

शिक्षा : सामाजिक सुरक्षा

देवेन्द्र कुमार पाठक
असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)
जवाहर लाल नेहरू स्मा0 पी0जी0 कालेज,
महराजगंज, उ0 प्र0।

पिछले कुछ दशकों में भारत में आर्थिक विकास देखने को मिला है। साथ ही, स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर पर स्थिति काफी बेहतर हुई है और गरीबी–दर भी कम हो रही है। यद्यपि दुनिया के अधिकांश हिस्सो की तरह भारत में भी आर्थिक विकास का फायदा सीमित तबके को ही मिल पाया है। परिणाम स्वरूप असमानता बढ़ रही है। यह हमारी विकास की कहानी का नकारात्मक पहलू है। कुल राश्ट्रीय सम्पत्ति का तीन–चौथाई हिस्सा देश के सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों तक सिमटा हुआ है। वहीं, लगभग 60 प्रतिशत आबादी की राश्ट्रीय सम्पत्ति में हिस्सेदारी महज 5 प्रतिशत है। तकरीबन 26 प्रतिशत लोग निरक्षर है और देश की 90 प्रतिशत से भी ज्यादा श्रमशक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करती है। इसमें अलावा अभी भी देश की करीब 20 प्रतिशत आबादी गरीबी–रेखा से नीचे गुजर–बसर करती है।

वास्तव में गरीबों का सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चाहे स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का मामला हो या अर्थव्यवस्था में ढाँचागत बदलाव, वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक आपदा जैसी चुनौतियाँ, इन सबकी मार गरीबों को ही सबसे ज्यादा झलनी पड़ती है। समाज के सबसे निचले तबके के लोगों तक आर्थिक विकास का फायदा पहुँचाने और गरीबी हटाने में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम काफी अहम है। इनमें बुनियादी सेवाओं और सामाजिक फायदों से जुडी योजनाएं शामिल हैं, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता और न्यूनतम आय का सहारा।

शिक्षा को विकास का आधार माना जाता है। यह गरीबी हटाने और असमानता कम करने का सबसे अहम हथियार है। भारत में शिक्षा से जुड़े सूचकांको में अच्छी–खासी बेहतरी हासिल की है।

भारत में प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित आँकड़े

तालिका–1

सूचकांक	2008	2018
नामांकन से जुड़े सूचकांक		
सकल नामांकन अनुपात	82.5	91.64
प्राथमिक से उच्च प्राथमिक–स्तर की तरफ बढ़ने की दर	82.7	90.36
पढ़ाई छोड़ने की दर	8.0	2.72
सुविधा सूचकांक		
% पीने के पानी की सुविधा वाले स्कूल	87.8	89.97
% लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा वाले स्कूल	53.6	95.68
% बिजली की सुविधा वाले स्कूल	35.6	96.25

तालिका–1 के माध्यम से देखा जा सकता है। साल 2008–2018 के दौरान, सकल नामांकन अनुपात और संक्रमण दर 90 प्रतिशत को पार कर गई। इस दौरान, स्कूल छोड़ने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या घटकर एक चौथाई रह गई। साथ ही सुविधा आधारित सूचकांकों में बेहतरी नजर आई। पिछले 10 साल में लगभग तीन गुना बढ़ोत्तरी हुई। भारतीय शिक्षा में हासिल की गयी यह सफलता केन्द्र और राज्य सरकार की नियमित कोशिशों का नतीजा है।

नागरिकों के लिए बुनियादी चीजें उपलब्ध कराने के तहत रोजगार, शिक्षा और मनोरंजन का न्यूनतम स्तर मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने हमेशा गम्भीरतापूर्वक प्रयास किया है। इस सिलसिले में कई कदम उठाए गये हैं, लेकिन इस लेख में सिर्फ इससे जुड़े प्रमुख उपायों पर फोकस किया गया है।

1–मध्यान्ह भोजन :–

तमिलनाडु जैसे राज्यों में स्कूलों में भोजन देने की योजना की सफलता के बाद केन्द्र सरकार राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्टीय पोषण सहयोग कार्यक्रम(एन.पी.एन.एस.पी.ई.) के जरिए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का विस्तार करना चाहती थी। इसके तहत छात्र–छात्राओं को हर महीने गेंहूँ, चावल का वितरण किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवम्बर 2001 को भोजन के अधिकार से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी राज्यों को निर्देश दिया कि व प्राथमिक स्कूलों में भोजन की व्यवस्था करें। अगले तीन–चार साल में पूरे देश में स्कूलों में खाने की व्यवस्था शुरू हो गई। इसके बाद से भोजन की गुणवत्ता ओर मेन्यू में लगातार सुधार दिख रहा है।

2– एकीकृत बाल विकास सेवा योजना :–

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आई.सी.डी.एस.) भारत सरकार का एक अहम कार्यक्रम है। यह माँ और बच्चों की सेहत और पोषण से जुड़ी देश की सबसे बड़ी योजना है। राष्ट्रीय बाल नीति को ध्यान में रखते हुए 1975 में इस योजना को शुरू किया गया था। इसके तहत शिशु देखभाल केन्द्र या आँगनबाडी के जरिए 6 साल से कम बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखा जाता है। ऐसे केन्दों में स्थानीय महिलाएं या सहायकों को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। इन केन्द्रों में भोजन, खेल और नियमित तौर पर स्वास्थ्य जाँच जैसी सुविधाएं दी जाती है। छोटे बच्चों के लिए टीकाकरण जैसी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ हर हफ्ते या हर महीने घर पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के दायरे में 6 साल तक के 15.8 करोड़ बच्चों को शामिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस तरह यह शिशु की देखभाल और छोटे बच्चों के लिए शिक्षा महैया कराने का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है।

3– सर्वशिक्षा अभियान :–

1990 के दशक से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के जरिए शिक्षा के प्रसार पर फोकस किया जा रहा है। ऐसी योजनाओं में आपरेशन ब्लैकबोर्ड और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) शामिल है। इसी एजेण्डे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2001 में सर्वशिक्षा अभियान की शुरूआत की। इसका मकसद स्कूलों में दाखिला बढ़ाना और बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकना है। इस कार्यक्रम के तहत उन इलाकों में नए स्कूल खोले गए, जहाँ पहले से स्कूलों की सुविधाएं नही थीं या क्लासरूम, शौचालय, पीने के पानी आदि की दिक्कत थी। इस योजना के मुख्य लक्ष्यों में छात्र–छात्राओं के सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, सामाजिक और लैंगिक भेद–भाव को दूर करना और स्कूली शिक्षा में सभी स्तरों पर समानता और समग्रता सुनिश्चित करना, व्यवसायिक शिक्षा पर जोर, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से जुडे

कानून लागू करने में राज्यों को सहयोग देना और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों को मजबूत बनाना शामिल है।

4– शिक्षा का अधिकार :–

सुप्रीम कोर्ट ने मोहिनी जैन बनाम केन्द्र सरकार (1992) के मामले में पहली बार शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया था। इसके बाद इस सिलसिले में कानून बनाया गया। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार सीधे तौर पर जीने के अधिकार से जुड़ा है। संसद ने 2002 में संविधान के 86वें संशोधन को मंजूरी दी और अनुच्छेद 21 ए को मौलिक अधिकारों के दायरे में शामिल किया गया। इस तरह 6–14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया।

6– आत्मनिर्भर भारत अभियान :–

कोरोना वायरस के फैलाव के कारण 15 लाख से ज्यादा स्कूलों और उच्च शिक्षा के करीब 40,000 शिक्षण संस्थानों को बन्द करना पड़ा है। इससे सीखने की प्रक्रिया बाधित हुई है। यह सामाजिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। इस महामारी का सामाजिक ढाँचे पर अलग–अलग तरह से असर देखने को मिला है और सबसे ज्यादा तकलीफ गरीबों को झेलनी पड़ी हे। समाज का मलाईदार तबका जहाँ ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई सुनिश्चित करने में जुटा है, वहीं समाज का बड़ा हिस्सा शिक्षा से वंचित हो गया है।

प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। यह एक तरह से आत्मनिर्भर भारत के लिए आह्वान भी था। कोरोना के बाद के दौर में समानता के साथ तकनीक आधारित 'शिक्षा' थीम के तहत शिक्षा को एक प्रमुख क्षेत्र माना गया है।

इस सिलसिले में टेलीविजन के साथ–साथ बड़े पैमाने पर रेडियो और पॉडकास्ट के इस्तेमाल पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही स्वयं प्रभाव डायरेक्ट–टू–होम टेलीविजन प्लेटफार्म के जरिए हर कक्षा के लिए एक चैनल पर भी विचार किया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 'मनोदर्पण' पर भी काम कररहा है, जो छात्र–छात्राओं और परिवारों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोवैज्ञानिक–सामाजिक तौर पर मद्द मुहैया कराएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन. सी.ई.आर.टी.) स्कूलों और शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम सम्बन्धी नया ढाँचा तैयार करने में जुटी है। इसमें छोटे बच्चों का खास ध्यान रखा जा रहा है। दिसम्बर 2020 तक राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और गणना मिशन की शुरूआत की जाएगी, ताकि 2025 तक हर बच्चा पाँचवीं कक्षा तक पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रमों को बेहतर ढंग से सीख सके। इन प्रमुख कार्यक्रमों के अलावा सरकार लड़कियों, कुछ खास समुदायों, अल्पसंख्यकों और खास जरूरत वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य योजनाएं चलाती है। सरकार ने विकास का फायदा देश के सबसे पिछड़े जिलों तक पहुँचाने के लिए जनवरी 2018 में सभावनाशील जिला कार्यक्रम शुरू किया था। संभावनाशील जिला कार्यक्रम के दायरे में देश की तकरीबन 14 प्रतिशत आबादी शामिल है।

कुल मिलाकर कहें, तो शिक्षा क क्षेत्र में विकास यात्रा सकारात्मक रही है। यद्यपि अभी लम्बा सफर बाकी है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे 2014 के अनुमानों के मुताबिक13 साल तक के 3.2 करोड़ बच्चे स्कूल नही जाते थें। बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर भी काफी ज्यादा है। माध्यमिक स्तर पर यह आँकड़ा 10 प्रतिशत है। इसक अलावा, शिक्षा की गुणवत्ता भी चिंता का प्रमुख विषय है। शिक्षा से जुड़े मानव विकास के मापदण्डों के मामलों में भारत की स्थिति, दुनिया के ज्यादातर देशों के मुकाबले कमजोर है।

शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा उपायों का रिकार्ड विभिन्न राज्यों में अलग–अलग है। लोगों के कल्याण में इसके अहम योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए कारगर नीति बनाने और कोशिशें तेज करने की जरूरत है। इसमें पिछले अनुभवों और अन्तर्राष्ट्रीय मॉडल की मद्द ली जा सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत में सामाजिक सुरक्षा की बुनियाद को और मजबू करने के लिए आगे भी विचार–विमर्श चलता रहेगा।

शिक्षा के जरिए सामाजिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए तीन मोर्चो पर कार्यवाही की जरूरत है। इसके तहत सबसे पहले राजकोषीय चुनौतियों से निपटना होगा। मजबूत शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त संसाधन इकट्ठा करने की भी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए कर जी0डी0पी0 के अनुपात में बढ़ोत्तरी करनी होगी। दूसरा विभिन्न योजनाओं के ढाँचे और तौर–तरीके की समीक्षा करने की जरूरत होगी। इस आधार पर जरूरी बदलाव करने के लिए भी पहल करनी होगी। तीसरा समाज के सबसे कमजोर तबके तक पहुँचने के लिए जवाबदेही को बढ़ाने के साथ–साथ जरूरी उपाय करने होंगे, ताकि कार्यान्वयन की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके। सतत् विकास के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा बेहद अहम है। सतत् विकास के चौथे लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ एक दशक का समय बचा है और अनुमानों के मुताबिक, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी आबादी होगी। ऐसे में कुछ मौजूदा समस्याओं को दूर कर सामाजिक सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाना बेहद जरूरी है। भारत की विकास यात्रा में निर्णायक बदलाव के लिए यह आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1, 2, 3, 4, 5, 6 स्रोत–यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफार्मेशन सिस्टम फार एजुकेशन

स्रोत–मानव विकास रिपोर्ट , संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

बिरहोर जनजाति के बदलते सामाजिक–सांस्कृतिक प्रतिमानों का अध्ययनः

(गुमला जिले के विशेष संदर्भ में)

सुनैना
शोध छात्रा
स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग
रांची विश्वविद्यालय रांची

आदिवासी समुदाय भारतीय जनसंख्या का महत्वपूर्ण भाग हैं। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसमें सांस्कृतिक विविधताओं वाले जनजातीय लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धता है। आदिवासी एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जिनमें सरल तकनीक और संस्कृति के सजातीय लक्षण हैं। जनजातियों को उनके जातीय और विशिष्ट सांस्कृतिक लक्षणों के लिए जाना जाता है, लेकिन तेजी से बदलतेपरिदृष्य शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण, वे अपनी विशिष्ट पहचान खो रहे हैं। झारखण्ड राज्य का एक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (आदिम जनजाति समूह) बिरहोर बहुत ही गरीब सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में रह रहा है। स्वाभाविक रूप से, वे खानाबदोश शिकार–एकत्रित अर्थव्यवस्था वाले वनवासी हैं। शहरीकरण और औद्योगीकरण ने बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का जो दृष्य प्रस्तुत किया है उसके बदले में उनकी पूरी संस्कृति और समाज प्रभावित हुई हैं। आदिवासी विकास और आधुनिक शिक्षा प्रणाली आदि के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्यधारा की संस्कृति के संपर्क में आना, उनकी भाषा और विशिष्टसामाजिक–संस्कृति संरचना में तीव्र बदलाव दिखा रहा है। अब समय की जरूरत है कि कमजोर जनजाति बिरहोर 'के जीवन के बदलते सामाजिक–सांस्कृतिक प्रतिमानों का अध्ययन किया जाए और स्वदेशी जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए सही योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया जाए और उनकी अपनी भागीदारी के साथ उनकी पहचान की जाए। इस शोध पत्र के माध्यम से बिरहोर जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमानों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने का प्रयास किया गया है।

मुख्य विंदु– बिरहोर, सामाजिक योजनायें, सरकारी प्रयास, पीडीएस, घुमंतु, शिक्षा

बिरहोर एक कमजोर जनजातीय समूह का माना जाता है। जिन्हें अपनी पारंपरिक शिकारी–जीवन शैली को छोड़ने और जीवन के आधुनिक तरीके के अनुकूल बनाने के लिए मजबूर किया गया था और इसका परिणाम अच्छा नहीं है। इस घुमंतू जनजाति को एक बसे हुए समुदाय में बदलने के लिए सरकार के प्रयास अच्छे थे, लेकिन बाद में जब घरों का निर्माण किया गया तो उसके नकारात्मक परिणाम ही दिखाई पडे। न तो उन घरों में बिरहोरों ने रहना शुरू किया और न ही उसके आसपास अपने आपको समाहित कर पाये और पूर्व की तरह ही घुमंतु या खानाबदोश जीवन जीते रहे।

आदिवासी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाने जाते हैं। रिस्ले[1] (1915) जनजाति को आदिवासी यानि मिट्टी का आदमी कहते हैं। वे अलग–अलग जनजातीय भाशा और खंडीय सामाजिक संरचना (बेली, 1960)[2]के साथ सन्निहित भौगोलिक क्षेत्र[3](नाइक, 1968) में रहने वाल लोग हैं। उनके पास विशिश्ट राजनीतिक तंत्र और आदिवासी एकजुटता (ऑरेनस) के निम्न स्तर के तकनीकी विकास है। शोबर्ट[4] (1933) ने जनजाति को एक वास्तविक आदिवासी समुदाय के रूप में नामित किया। विशिश्ट संस्कृति के साथ उनका पारंपरिक पेशा है, जिसमें जीवन के जनजातीय तरोके, यानी भाशा, रीति–रिवाज, परंपराएं, धार्मिक विश्वास, कला और शिल्प आदि शामिल हैं[5]। घूरये (1959)[6] ने जनजाति को पिछड़े हिंदुओं के रूप में

वर्णित किया क्योंकि उन्होंने पाया कि मध्य भारत की जनजातियाँ जाति व्यवस्था के साथ पूरी तरह से एकीकृत हैं, जिसका अर्थ है कि वे वितरण और परंपरा के मामले में न तो हिंदू जाति से अलग–थलग हैं, और न ही वे सच में स्वतः स्फूर्त हैं। भारत में, आदिवासी समुदायों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वे पूर्व–ऐतिहासिक भारत की प्राचीन संस्कृति की झलक देते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल अनुसूचित जनजाति देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ''आदिम जनजातीय समूह'' नामक एक उप–श्रेणी को अनुसूचित जनजाति के भीतर ढेबर आयोग की रिपोर्ट और अन्य अध्ययनों के आधार पर बनाया गया था, जिन्हें विकास क निम्न स्तर पर माना गया।यह भारत सरकार द्वारा विशेश रूप से कम विकास सूचकांकों के साथ कुछ आदिवासी समुदायों की स्थितियों में सुधार करने के इरादे से बनाया गया था।[7] डॉ। जे एच हटन ने पहली बार 'आदिम जनजाति' शब्द गढ़ा।

इस तरह के समूह का अस्तित्व पूर्व–कृशि प्रणाली की विशेशताओं को दर्शाते हैं अर्थात शिकार और एकत्रीकरण, शून्य या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, अन्य जनजातीय समूहों की तुलना में साक्षरता का स्तर बहुत कम है।[8] विभिन्न भौगोलिक वितरण के कारण, उनकी अर्थव्यवस्था और पूरी संस्कृति में विभिन्न लक्षण दिखाई दते हैं। उनकी आर्थिक गतिविधियां विविध प्रकृति की हैं जो आदिम भोजन जुटाने से लेकर औद्योगिकीकरण और संबद्ध गतिविधियों तक होती हैं।[9] छोटी, स्थिर और घटती आबादी, तकनीक का पूर्व–कृशि स्तर और साक्षरता का बहुत कम स्तर विशेश रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीभीटीजी) की पहचान की विशेशताएं हैं, जिन्हें पहले आदिम जनजाति समूह[10] के रूप में कहा जाता था। वे अभी भी हैं। बिरहोर खानाबदोश जीवन जीने वाले और वनों में शिकार करने वाले लोग हैं। इनका राजनीतिक संगठन बैंड कहलाता है और पारस्परिकता और वस्तु विनिमय प्रणाली ही उनकी आर्थिक गतिविधियों के साधन हैं। अविकसित सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के कारण, वे अक्सर महामारी की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। छोटे जनसंख्या आकार के कारणउनके विलुप्त होने का खतरा हमेशा बना रहता हैं। आदिम जनजातीय समूह अनुसूचित जनजातीय समुदाय हैं जिन्हें उचित, बुनियादी सुविधायें देने पर त्वरित विचार किया जाता है। उनकी खराब रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए उन्हें विभिन्न सुविधाएं दी जाती हैं।

वर्तमान में भारत के चौदह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कुल 75 पीटीजी समूह वितरित हैं। झारखंड में बिरहोर, कोरवा, सौरिया पहाडिया, माल पहाडिया, कोल, कंवर आदि आठ विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह हैं। बिरहोर की पहचान आदिम जनजातीय समूह में से एक है। उनका निवास स्थान जंगलों है जहाँ वे पीढ़ियों से रहते थे। यह उनका निवास स्थान है जो उनके सभी सांस्कृतिक लक्षणों को प्रभावित करता है या हम कह सकते हैं कि पूरी संस्कृति उनके निवास स्थान यानी जंगल या आसपास के जंगलों में घूमती है।

बिरहोर और उनके सामाजिक–आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थितिः –

बिरहोर शब्द बीर अर्थात जंगल और होर अर्थात आदमी से लिया गया है । इस प्रकार इसका मतलब जंगल में रहने वाले आदमी या जंगल के लोग हैं। वन पारिस्थितिकी ने उनके जीवन के तरीके[11] को जन्म दिया है। बिरहोर जनजातियों को मुंडारी समूह का माना जाता हैं जो मध्य और पूर्वी भारत में केंद्रित हैं। वे मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्यों में पाए जाते हैं। उड़ीसा में वे मुख्य रूप से सुंदरगढ़, संबलपुर, क्योंझर, ढेंकनाल और मयूरभंज जिलों में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में, वे मुख्य रूप से बिलासपुर, जशपुर, सुरगुजा, रायगढ़ और कोरबा जिलों में वितरित किए जाते हैं। झारखंड में ये गुमला, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग जिलों में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसारझारखण्ड में इनकी जनसंख्या17241 है। उनकी खानाबदोश आदतें उनके वास्तविक परिस्थितियों को उजागर करने में बाधक बनती हैं।

वे ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की मुंडारी भाषा बोलते हैं – जिसे स्थानीय शब्द में बिरहोरी या पारची या पारसी के रूप में भी जाना जाता है। बिरहोर की अपनी भाषा बिरहोरी है, जो ऑस्ट्रो–एशियाई परिवार से संबंधित है। वे इसे पारसी या पारची भी कहते हैं। वे बिरहोरी में अपने परिवार के सदस्यों और अपने

समुदाय के अन्य सदस्यों से बात करते हैं। लेकिन गांव और बाहरी लोगों के अन्य सदस्यों के लिए, वे नागपुरी, सादरी, पंचपरगनिया और हिंदी बोलते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी आने वाली पीढ़ी आधुनिक शिक्षा प्रणाली, शहरीकरण और आधुनिकीकरण आदि के कारण बिरहोरी में नहीं बोलेगी, जिससे आने वाले दिनों में या निकट भविष्य में बिरहोरी बोली या भाषा विलुप्त हो जाएगी। उनकी साक्षरता दर 16.87 प्रतिशत[12] है। बिरहोर कृषि के किसी भी रूप का प्रयोग नहीं करते हैं और अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरह से वन उत्पादों के संग्रह पर निर्भर हैं। वे ज्यादातर वनोत्पादों के संग्रहण और शिकारी गतिविधियों में ही सम्मिलित रहते हैं। अतीत में, वे आम तौर पर जंगली जानवरों जैसे बंदर, फावल, सुअर आदि का शिकार करते थे। इन क्षेत्रों में वे स्थानीय रूप से मैनकडी, मैनक्रिया या मानकर–खिया कोल के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि उन्हें बंदर खाने और साझा करने की आदत है। उड़िया बोली में मणकर का मतलब बंदरों से है, और कखिया का मतलब खाने की आदत है लेकिन सख्त वन कानूनों और नीति के कारण उन्होंने जंगली जानवरों[13] का शिकार करना बंद कर दिया। वे चिरौंजी (चार), महुआ, तेंदू पट्टा, तेंदू फल आदि जैसे वन उत्पाद इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा, वे बांस की लकड़ी, जलावन की लकड़ी और कुछ अन्य लकड़ियों और पत्तियों को इकट्ठा करते हैं। कुछ बिरहोर औषधीय पौधों, उनके पत्तों, फलों, छाल आदि के संग्रहकर्ता भी हैं क्योंकि वे ग्रामीणों के लिए बैगा या औषधि के रूप में काम करते हैं।वे आर्थिक उपयोग के लिए गाय, बकरी, मुर्गी आदि जानवरों को भी पालते हैं। लगभग प्रत्येक बिरहोर के घर मेंये पालतू जानवर पाये जाते है। वे दूध उत्पादन के लिए गाय को पालते हैं, बेचने के लिए और बड़ी कीमत के लिए वे मुर्गा और बकरी को पालते हैं। घर की सुरक्षा के लिए, वे कुत्ते को पालते हैं और सांपों को दूर रखने के लिए, वे बिल्लियों को पालते हैं। वे विशुद्ध रूप से खानाबदोश शिकारी नहीं हैं। इसके अलावा वे कृषि, पशु चारण भी करते हैं और आस–पास के कारखानों और शहरी क्षेत्रों में मजदूरों के रूप में भी काम करते ह। बिरहोर के कुछ लोग कृषक हैं। वे केवल अपने खेतों में साल में एक बार यानी बरसात के मौसम में चावल उगाते हैं। इसके अलावा वे कुछ दालें और मकई आदि उगाते हैं। चावल उनके लिए मुख्य भोजन है। वे केवल चावल खाते हैं। इसके अलावा, वे कुछ साग, बीन्स, महुआ आदि भी खाते हैं। वे चिकन, बकरी, बंदर, सुअर आदि के मांस के भी शौकीन होते हैं। जब उनके पास कोई भोजन नहीं होता है तो वे अपनी भूख को मिटाने के लिए महुआ खाते हैं। वे खाद्य असुरक्षा, कुपोषण और कुपोषण जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आमतौर पर वे टांडा में रहते हैं यानी 6–7 या 10 –15 झोपड़ियों का समूह एक जगह पर एक साथ। समूह या टांडा के प्रत्येक घर के अधिकांश सदस्य एक–दूसरे के रिश्तेदार हैं। टांडा को टोला या बैंड के रूप में भी जाना जाता है। उनकी झोपड़ी में फूस की छत है। लेकिन, आजकल इस तरह की झोपड़ियों को नहीं देखा जाता है। ओरहा उनके मूल उत्पादन और खपत इकाई के रूप में कार्य करती है, और पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में एकल परिवार के चारों ओर घूमती है। अधिकांश बिरहोर में एकल परिवार हैं। उनमें से कुछ के संयुक्त परिवार हैं। वे एकाकी विवाह पसंद करते हैं। लेकिन बहुविवाह भी पाया जाता है। वे पीढ़ियों से अपनी खराब आर्थिक स्थितियों के कारण एकरसता पसंद करते हैं लेकिन वर्तमान समय के कुछ सामाजिक–आर्थिक कारणों के कारण वे एक से अधिक पत्नी से विवाह करते हैं। झारखण्ड सरकार बीपीएल परिवारों की महिलाओं को विशेष अधिकार प्रदान करती है, अर्थात केवल महिलाओं के पास ही कार्ड हो सकता है, जिसका अर्थ है कि पीडीएस प्रणाली के लिए राशन कार्ड परिवार की महिलाओं के नाम पर हैं। झारखण्ड सरकार प्रत्येक बीपीएल कार्ड मालिक को 35 किलोग्राम चावल प्रदान करती है। इस कारण से, अधिक चावल या भोजन पाने के लिए, वे अधिक पत्नियों से शादी करते हैं। इससे बहुविवाह होता है। जैसा कि वे गरीब सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में रह रहे हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने या बढ़ाने के लिए अधिक हाथों की आवश्यकता होती है। इसलिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, वे अधिक पत्नियों से शादी करते हैं जो उन्हें बांस की टोकरी बनाने में मदद करते हैं। वन उपज संग्रह (महुआ इत्यादि जैसे फल, नट जैसे चार, तेंदू के पत्ते, आग की लकड़ी और बांस की लकड़ी का संग्रह), गोल्डी मेकिंग (एक नायाब या पहाड़ी भूमि कृषि भूमि में बदल गई), कृषि आदि गतिविधियों में भी एक से अधिक

पत्नी के होने से उनको काफी मदद मिलती हैं। बैंड संगठनों में बिरहोरों के बीच कोई केंद्रीय अधिकार नहीं है। चुंकी ये घुमंतू प्रवृति के हैं इसलिए उनका कोई क्षेत्रीय संबंध नहीं है। बिरहोर हमेशा आगे बढ़ते हैं और कई संबंधित घरों के बैंड में रहते हैं। उनके बैंड स्वभाव में लचीले होते हैं और उनमें हमेशा विवाह योग्य समूह शामिल होते हैं। कबीले बहिर्गमन का नियम, पारस्परिकता और व्यक्तिगत परिवारों का सिद्धांत उन्हें एक बैंड से दूसरे में जाने में मदद करता है और यह व्यापक क्षेत्र पर बातचीत और संचार बनाए रखता है।

अगर हम साक्षरता पूर्व के लोगों की संस्कृति को देखें तो पाते हैं कि यह सजातीय है और अनिवार्य रूप से मौखिक परंपरा या इसके सदस्यों की सामूहिक स्मृति[14] द्वारा निर्देशित है। फिर भी उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं उनके पूर्वज पूजा और जीववाद के इर्दगिर्द घूमती हैं। वे ज्यादातर अपने माता–पिता को भगवान और देवी के रूप में पूजते हैं। वे हिंदू जनजातीय धर्म के अनुयायी भी हैं। हिंदू देवताओं में, वे ज्यादातर भगवान शिव, राम, हनुमान और सीता की पूजा करते हैं। बिरहोरों के सर्वोच्च देवता सिंग बोंगा, सूर्य भगवान हैं। उन्हें लगता है कि पूरे ब्रह्मांड को सिंग बोंगा, सूर्य और उनकी पत्नी चंदू बोंगा द्वारा बनाया गया है। उनके लिए, सूरज बेहद शक्तिशाली है और इस धरती पर सभी चीजों का निर्माता है। वह परोपकारी और सर्वशक्तिमान है।

बुध देव, चुल्हा देव, झगडाखान उनके कुछ पुश्तैनी देवताओं के नाम हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों देवताओं की पूजा साल में एक बार आमतौर पर पौष–माघ (जनवरी–फरवरी) के महीनों में होती है। सफेद मुर्गा और सफेद हींग की बलि सूरजगोड के लिए दी जाती है और चाँद देवता के लिए एक काले मुर्गे की बलि दी जाती है। धरती माई, लुगु हरम और बुरही माई अन्य देवता हैं जिनकी वे पूजा करते हैं। हनुमान बीर को जानवरों की प्रजाति लंगूर (प्रेस्बाइट्स एंटेलस) का संरक्षक देवता माना जाता है। बांद्रा बीर (बंदर भगवान), पाबन बीर (बारिश या तूफान का देवता), नंदा बीर (हवा)[15] हापराम और चुरगिन दो पैतृक आत्माएं हैं, जिन्हें बिरहोर मानते हैं। हापराम को अलौकिक देवताओं और मध्यस्थों के बीच में मध्यस्थ माना जाता है। वे अपने वंशजों की देखभाल करते हैं और संकट में उनका मार्गदर्शन करते हैं। हापराम को बूरा बुरही और चौरासी में वर्गीकृत किया गया है जिसमें बुरहा बुरी निकट पूर्वजों की आत्माएं हैं जिनके नाम उन्हें याद हैं, जबकि चौरासी हापराम उन पूर्वजों का उल्लेख करते हैं जिनके नाम याद नहीं हैं। हर बिरहोर परिवार का पैतृक पवित्र स्थान उनके घर में है जिसे अस्थान कहा जाता है, जो हापराम की जगह है। परिवार के सदस्य इसकी नियमित रूप से पूजा करते हैं, और जब भी वे अपने शिविरों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो इन देवताओं को भी साथ ले लेते हैं। वे महसूस करते हैं और मानते हैं कि यह उनका नैतिक कर्तव्य है कि वे अपने हापराम की देखभाल करें और अगर वे ध्यान नहीं देगे तो प्राकृतिक आपदाओं का उनको सामना करना पडेगा। बिरहोर का पूरा जीवन, आर्थिक, घरेलू और सामाजिक–राजनीतिक, सुपर–नैसर्गिकता में उनके विश्वास से जुडा है। जिसके अंतर्गत विशिष्ट मुंडारी देवता जैसे सिंग बोंगा (सूर्य देव), हापराम (पैतृक आत्माएं) आदि आते हैं। बिरहोर धर्म में बुरु बोंगा (पैतृक पारिवारिक आत्माएं) सर्वोच्च स्थान पर हैं। हिंदू पड़ोसियों के संपर्क में आने से सुपर–नैसर्गिकता में उनके विश्वास की आवश्यक संरचना पर कुछ प्रभाव पड़ा है। कुछ हिंदू देवता जैसे देबिमई, कालीमाई और महादेब को उन्होंने अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल किया गया है। बिरहोर का शिकार–एकत्रित अर्थव्यवस्था और अलौकिकता पर आधारित है जिसमें विश्वास व प्रथाओं का स्थान उनके वन निवास पर निर्भर हैं। किसी भी संस्कृति का मूल उद्भव संबंध से होता है। उसी तरह, बिरहोर संस्कृति भी मानव–प्रकृति के संबंध को दर्शाती है।

अध्ययन क्षेत्रगुमला जिले का विवरण

2011 की भारत की जनगणना के अनुसार, गुमला जिले की जनसंख्या 1,025,213 थी, जो झारखंड की कुल जनसंख्या का 3.11 प्रतिशत है। कुल 1,025,656 की जनसंख्या में सेः 514,730 पुरुष और 510,926 महिलाएं हैं। गुमला जिले का लिंग अनुपात 993 है, जो भारत के लिंगानुपात से बेहतर है। गुमला में औसत साक्षरता दर 66.92 प्रतिशत है। गुमला में, 15 प्रतिशत आबादी 6 साल से कम उम्र की है। 3.2 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों से है, और 68.9 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों से हैं।[16] भारत की

2011 की जनगणना के समय, जिले में 50.75 प्रतिशत लोगों ने सादरी, 29.61 प्रतिशत कुरुख, 7 प्रतिशत हिंदी, 4.69 प्रतिशत मुंडारी, 3.73 प्रतिशत खारिया और 2.31 प्रतिशत उर्दू को अपनी पहली भाषा के रूप में मानते हैं। इस क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएँ नागपुरी और कुरुख हैं। यहाँ बोली जाने वाली भाषाओं में लगभग 17,000 द्वारा बोली जाने वाली एक ऑस्ट्रोआटिक भाषा असूरी भी शामिल है।

सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमानों में परिवर्तन

आदिवासी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत के लिए जाने जाते हैं। बिरहोर, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह व जंगलों से जुडे रहने वाले लोग हैं और उनका जीवन मानव–प्रकृति संबंधों के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। पारिस्थितिकी के साथ सामंजस्य बिरहोर के जीवन का आधार है। झारखंड राज्य का यह समूह बहुत ही गरीब सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में रह रहा है। उनमें से कई के पास अभी भी अपनी जमीन नहीं है। वे जंगलों में अनधिकृत भूमि में रहते हैं जिसके कारण उन्हें हमेशा विस्थापन का भय बना रहता है। इन कारणों से वे खानाबदोश जीवन जीते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि अभी भी उन्हें वन संग्रहण और टोकरी आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है। वे आदिम आर्थिक चरणों में रह रहे हैं। उनके बच्चों के पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, वे आमतौर पर मुफ्त में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली स्कूल ड्रेस या नग्न रहते हैं। उनके पास खाने के लिए केवल एक मुख्य भोजन के रूप में चावल होता है। पोषक तत्वों की कमी के कारण, वे ज्यादातर कुपोषित हैं। अन्य आदिवासी समह जैसे गोंड, अगरिया, कावर और जाति समूह जैसे बनिया, सुनार, लोहार आदि के साथ रहते हुए वे न केवल जाति आधारित बल्कि जनजाति के आधार पर स्थापित भेदभाव का सामना कर रहे हैं। क्षेत्र में रहने वाली उच्च जातियां एवं जनजातियां अक्सर उनका अपमान करती है या उनको नीचा दिखाती है।

शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने इन आदिवासी समुदायों पर भी बुरा प्रभाव डाला है जिसके कारण वे अपनी स्थानिक सांस्कृतिक मान्यताओं, धार्मिक प्रथाओं, समृद्ध मौखिक परंपरा और बोली को खो रहे हैं , जो आने वाले समय में उनके समाज और संस्कृति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।[17]यद्यपी सरकार के द्वारा उनकी संस्कृति की रक्षा और संरक्षण के लिए कई उपाय किए गए हैं, लेकिन ये सभी प्रयास इनकी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रख पाने में असफल रही हैं। एक तरफ हम एक तकनीकी–आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश की ओर प्रगति कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी अपनी स्वदेशी जनजातीय संस्कृति विलुप्त होने की राह पर है। यदि ये सांस्कृतिक लक्षण विकास की गति से विलुप्त हो जाएंगे तो इनकी सांस्कृतिक पहचान भी खतरे में पड़ जाएगी और यदि संस्कृति और भाषा मर जाती है तो पूरे देश की मृत्यु हो जाती है। इसलिए, बिरहोर जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन करने और उसे संरक्षित करने हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता हैं और विकास का प्रतिमान उनके स्वयं के सांस्कृतिक मूल्यों और जरूरतों के अनुसार उनकी भागीदारी से बनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

वर्तमान में बिरहोर जनजाति विविध प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों से गुजर रही है। जिसने उनके पूर्व के स्थापित मान्यताओं और मूल्यों को आमूल चूल रूप से प्रभावित किया है। कहीं वे सांस्कृतिक समिश्रण से जूझ रहे हैं तो कहीं और वे अपने अस्तित्व को बचाये रख पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन परिस्थितियों मे उनके जीवन में विविध प्रकार की स्वास्थ्य समस्यायें भी उत्पन्न हो गई हैं, जो मुख्य रूप से बहु–आयामी कारकों जैसे कि दुर्गम इलाकों में निवास, विभिन्न पारिस्थितिक परिवर्तन, अशिक्षा, गरीबी, अलगाव, अंधविश्वास और वनों की कटाई के चलते बढ रही है। बिरहोरों की अपनी जीवन शैली, खान–पान, मान्यताएँ, परंपराएँ और सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं। जिसका दिन प्रतिदिन क्षरण हो रहा है।

वर्तमान अध्ययन में यह बात स्पष्ट तौर पर दिखाई पडती है कि तमाम परिवर्तनों व संचार तकनीकों के व्यापक विकास के बावजूद आज भी वे पूर्व कृषक अर्थव्यवस्था अर्थात फल फूल संग्रहण व आखेटन पर ही निर्भर हैं। अगर उनके दैनिक जीवन की गतिविधियों को देखें तो पाते हैं कि ये नियमित रूप से अपने

दांतों को साफ करने के लिए सखुआ के पेड़ों की स्थानीय रूप से उपलब्ध टहनियों का उपयोग किया करते हैं। और साल पौधे का प्रयोग चिकित्सा के लिए एक कसैले पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं।
यहां पर यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि बिरहोरों ने खुद में तंबाकू की आदत डाल ली है। खैनी जो वे उपयोग करते हैं, उसके स्वाद और निकोटीन को छोड़ने के लिए दांतों से कुचला जाता है और अवांछित रस को फिर से निकाला जाता है (मसाले)। यह आदत उन शराबी मजदूरों के बीच व्यापक रूप से फैली हुई है जो अपने दैनिक पीसने में एक चबाने की आदत को ढूंढते हैं और अपने घरों में लौटने पर इसे अपने मुंह में घुमाना जारी रखते हैं। अल्कोहल का अत्यधिक उपयोग और धुम्रपान जैसी अस्वास्थ्यकर गतिविधियों से उनका नाता व्यापक तौर पर जुड गया हैं। जो उनके जीवन के हानिकारक है।

स्वतंत्रता के बाद, केंद्र के साथ–साथ राज्य सरकारों ने खाद्य संग्रहण, शिकार और शिफ्टिंग खेती के रूप में भटक रही जनजातियों के पुनर्वास के लिए विशेष कार्यक्रम लागू किये हैं। कुछ बिरहोर परिवारों को भी उनके लिए बनी कॉलोनियों में बसाया गया है। पुनर्वास योजना के तहत, प्रत्येक परिवार को 5 एकड़ जमीन, घर बनाने वाले के लिए 10 डिसमिल या घर की हेड जमीन, एक जोड़ी बैलगाड़ी का कृषि औजार और बीज दिया जाता था। उनके बच्चों के लिए स्कूल भी शुरू किए गए। रस्सी बनाने के केंद्र भी खोले गए। शहद संग्रह में प्रशिक्षण केंद्र भी लगाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से, पुनर्वासित कार्यक्रम उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए उपयुक्त नहीं था। उन्होंने कॉलोनी को त्याग दिया और घुमंतु जीवन को जीना जारी रखा। नतीजतन, वे अभी भी शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। वे पीने के पानी, स्वस्थ, पोषण और स्वच्छता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अब तक उन्हें विकास के समकक्ष स्तर पर नहीं लाया गया है, वे देश की मुख्य धारा से बहुत दूर हैं और बहुत सी चीजें अभी भी उनके लिए की जानी बाकी हैं। हालाँकि, इन प्रयासों से बहुत कम सफल परिणाम प्राप्त हुए हैं क्योंकि अधिकांश बिरहोर खानाबदोश जीवन में ही वापस लौट गए हैं।

इस शोध कार्य से पता चलता है कि बिरहोर जनजाति के जीवन के सभी पहलुओं जैसेः नस्लीय इतिहास, जनसंख्या, प्रवास, जन्म, मृत्यु, लिंग राशन, शिक्षा, जनसांख्यिकीयगतिकी, विवाह, पोशाक, अंतिम संस्कार, आध्यात्मिक गतिविधियाँ, उनके भोजन की आदतें, विश्वास, पारंपरिक ज्ञान, पर्यावरण ज्ञान, आपदा प्रबंधन ज्ञान, नस्लीय पहचान, बसावट, राजनीतिक जीवन, प्रशासनिक व्यवस्था, पारंपरिक खेल, स्वदेशी पहचान, पारिस्थितिकी और उनके भू अनुसंधान संग्रह में राजनीतिक महत्व आदि मुददों पर शोध करने की आवश्यकता हैं । बिरहोर जनजातियाँ बहुत अलग–थलग अस्तित्व में रह रही हैं। वे गंभीर कुपोषण का सामना कर रही हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से वे त्वचा रोग और तपेदिक जैसी बिमारीयों का व्यापक तौर पर शिकार हो रही हैं। इनके समाज में शिशुओं और बच्चों का मृत्यु दर भी अधिक है।ये सभी मुददे नीति और रणनीति के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं, जिससे उनके संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।इससे बिरहोर जनजाति अपने आसपास की दुनिया को अर्थ प्रदान कर पाएगी है और उस दुनिया में अपनी जगह परिभाषित कर सकेगी।

इसका तात्पर्य है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का अल्पावधि में उपयोग करना ताकि ये संसाधन दीर्घकालिक में उपलब्ध हों। पारिस्थितिक स्थिरता यह विश्वास है कि सभी बिरहोर जनजातियों को प्राकृतिक और स्वदेशी संसाधनों का बुद्धिमानी और कुशलता से उपयोग करना चाहिए ताकि ये संसाधन कभी समाप्त न हों। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यावरण नहीं है। इनके हमेशा के लिए नष्ट हो जाने पर, मनुष्यों को ऐसे तरीके से रहना शुरू करना होगा जो पर्यावरण पर उनके दबाव को कम करेगा है और भविष्य के लिए प्रकृति के संसाधनों को संरक्षित करने में मदद करेगा है।

संदर्भ सूची

1. रिजले, हर्बट हापे,1915, कुक विलियम एडिटेड, द पिपुल ऑफ इंडिया द्वितिय संस्करण, थाकेर स्पींक एण्ड कंपनी लंदन, कलकता एण्ड शिमला पृ 45

2. बेली, एफ जी, 1960, ट्राइब कास्ट एण्ड नेशनः ए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी एण्ड पॉलिटिकल चेंज इन हाइलैंड उडिसा, मैनचेस्टर युनिवर्सिटी प्रेस मैनचेस्टर पृ 78
3. नाइक रंजीत पी, 1968, रिपोर्ट ऑफ ऑल इंडिया बंजारा स्टडी टीम, एआइबीएसएस, 147 नॉर्थ एवेन्यू नई दिल्ली पृ 342
4. शोबर्ट (1933) रेफर्ड इन बागची तिलोक,1992,अंडरस्टैंगिंग ए ट्राइबः एन ओवरव्यू–वन्यजाती रिप्रिंटेड एज ट्राइबल सिरीज 3, सबर संस्कृतिक गवेषणा केंद्र, कोरापुट पृ 6
5. राघवैया, वी, 1968, नोमेडस, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली पृ 43
6. घुरये, जी एस, 1959, शिडयूल्ड ट्राइब्स, गवर्नमेंट प्रकाशन, बॉम्बे, पृ 20
7- पटेल बी एम एल,1998, एगरेरियन ट्रांसफॉरमेसन इन ट्राइब्ल इंडिया, एम डी पब्लिकेसंस प्राइवेट लिमिटड, नई दिल्ली पृ 313
8- बागची जे एण्ड गुप्ता एस डी, 2005, द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वीमेन इन वेस्ट बंगाल, 1970–2000, सेज प्रकाशन नई दिल्ली पृ 130
9- सरकार आर एम, 2008, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया, ट्रेडिसंस, डेवलमेंट एण्ड ट्रांसफॉरमेसन, सिरियल पब्लिकेसंस, नई दिल्ली पृ 90
10. पूर्वोकत पटेल 1998 पृ 305
11. पी फेफर जी एण्ड बेहरा डी के, 1997, कंटेंमपोररी सोसाइटीः स्ट्रक्चर एण्ड प्रोसेसस, कंटेंमपोररी सोसाइटी ट्राइबल स्टडीज, कॉन्सेप्ट पबिलिसिंग कंपनी नई दिल्ली पृ 12
12. शर्मा ए एन, गौतम आर एण्ड घरामी ए के, 2006, इंडिजिनस हेल्थ केयर एण्ड एथनो मेडिसिन, इंडिजिनस पिपुल सरूप एण्ड संस नई दिल्ली पृ 299
13. अधिकारी असिम कुमार, 1995, द बिरहोर युनिवर्स, प्राइमल एलिमेंटस, द ओर ट्रेडिसंस, वैद्यनाथ सरस्वती वॉल्यूम 1 नई दिल्ली पृ 19
14. सरस्वती बी एन, 1970, कंट्रिब्यूंसस टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, धरवाड कर्नाटक पृ 44
15. अधिकरी, 1995 पूर्वोक्त पृ 29
16. भारत की जनगणना 2011
17. ,सोवन कमल किशोर, द बिरहोर रिट्राइभ ऑन 17 मार्च 2008

वैदिककालीन शिक्षा तथा बौद्धकालीन शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ0 सुनीता गुप्ता
प्राचार्या
डॉ० एस० राधाकृष्णन् शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
लारी, रामगढ़।

छः सौ ईसा पूर्व (600 B.C.) से पहले के समय को वैदिक काल के नाम से पुकारा जा सकता है। यह समय वेदों की रचना तथा वेदों पर अधारित शिक्षा व्यवस्था का काल है। इस काल के अन्तिम वर्षों में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् आदि ग्रन्थों की रचना भी वेदों के भाषा के रूप में हुयी थी। जबकि छः सौ ईसा पूर्व (600 B.C.) से 1200 (1200 A.D.) तक के काल को बुद्ध काल के नाम से पुकारा जाता है। इस काल में बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ तथ बौद्ध धर्म के अनुरूप एक नई प्रकार की शिक्षा व्यवस्था स्थापित हुआ।

प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है यह हिन्दुओं का सर्वाधिक पुराना साहित्य है। यह वेद किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है वरन भिन्न–भिन्न ऋषियों द्वारा रचित मंत्रों और यज्ञ की विधि बताने वाले ब्राह्मणों का एक संग्रह था। आचार–विचार व्यवहार तथा जीवन दर्शन के सम्बन्ध में रचे मंत्रों के साथ–साथ उसके इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विषयों का वर्णन है। वस्तुतः वेद उस समय का विश्वकोष है। जिसमें उस समय के रहन–सहन, सोचने उपासना करने, समाज व्यवस्था जैसी अनेक बातों की व्यवस्था संकलित है। वेद प्राचीन भारतीय समाज के जीवन–दर्शन समाज दर्शन व धर्म दर्शन जो प्रतिबिम्बित करन वाली रचना है। वेद का मुख्य विषय यज्ञ है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद है जिनमें ऋग्वेद को आदि वेद माना जाता है। जिसे न केवल हिन्दुओं का वरन समस्त भारतीय यूरोपियन भाषाओं का तााि मानवता का प्रधान साहित्य होने का गौरव प्राप्त है।

भारतीय शिक्षा का आदि स्रोत वेद ही था तथा इन्हीं के अनुरूप भारतीयों का जीवन दर्शन निर्धारित होता है वे ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों को भी वैदिक साहित्य में सम्मिलित किया जाता है। वैदिक कालीन यज्ञ सुविचारित वैज्ञानिक क्रियाकलाप थे जो वैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित होते थे। प्रत्यक्ष सहभागिता के द्वारा स्वतः शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन अनौपचारिक ढंग से निरन्तर होता रहता था जिसने कालान्तर में औपचारिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। परिणामतः वैदिक काल में गुरूकुल आधारित शिक्षा प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ।

यद्यपि वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली तत्कालीन राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन से जुड़ गयी थी तथापि इस शिक्षा–व्यवस्था पर धीरे–धीरे धर्म का प्रभाव अत्यधिक हावी होने लगा था। शिक्षा व्यवस्था में कर्मकाण्ड बढ़ने लगे थे। वैदिक काल में ज्ञान प्राप्ति का मुख्य आधार तप एवं ध्यान था तथा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास को अग्रसर करना था। परन्तु उत्तरवैदिक काल में यज्ञ, हवन आदि धार्मिक संस्कारों की विस्तृत विधि को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा परिणामस्वरूप पुरोहितवाद का उदय हुआ। शिक्षा पर ब्राह्मणों का एकाधिकार हो गया। शिक्षा को कर्मकाण्ड से जोड़ दिया गया फलस्वरूप शूद्रों तथा नहीं जाति का शिक्षा उपेक्षणीय हो गई। ऐसी परिस्थिति में गौतम बुद्ध (563–483 ईसा पूर्व) ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। व्यापक परिप्रेक्ष्य में बौद्ध धर्म का व्यापक हिन्दू धर्म का ही व्यापक रूप माना जा सकता ह। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध मठों तथा विहारों की स्थापना की गई थी जिन्हें बौद्ध संधाराम भी कहा जाता था। प्रारम्भ में इन मठों तथा विहारों का एकमात्र उद्देश्य बौद्धों को धर्म की शिक्षा प्रदान करना था, परन्तु कालान्तर में सभी धर्मों के छात्रों को इन मठों तथा विहारो में शिक्षा दी जाने लगी थी। जिस प्रकार से वैदिक काल में गुरूकुल ज्ञान तथा शिक्षा के केन्द्र बिन्दु थे ठीक उसी प्रकार से वैदिक ाकल में बौद्ध संघ या बौद्ध मठ या बौद्ध विहार शिक्षा व विद्या के केन्द्रबिन्दु थे।

वैदिककालीन शिक्षा तथा बौद्धकालीन शिक्षा की तुलनात्मक विशेषताएँ–

बौद्ध धर्म ने निर्वाण प्राप्ति पर अधिक जोर दिया। इसमें छात्रों को ऐसा आचरण सिखाना था जिससे मस्तिष्क को स्थिरता व शान्ति प्राप्त हो सके। बौद्ध धर्म में निजी आचरणों पर जोर दिया जाता था जबकि हिन्दू धर्म में संस्कारों तथा ज्ञान पर बौद्धकालीन शिक्षा तथा वेदकालीन शिक्षा में एक अन्तर यह था कि बौद्धकाल में वेदकाल की तरह पाठ्यपुस्तक वेदों के ज्ञान तक सीमित नहीं था तथा शिक्षक के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं। बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव ने समाज के एक विशेष वर्ग का शिक्षण व ज्ञान पाप्ति पर चले आ रहे वंशानुगत एकाधिकार के समाप्त कर दिया तथा जनमानस में शिक्षा के महत्व व मांग को बढ़ा दिया। नालन्दा बिहार (425 ई0 से 1205 ई0 तक) बौद्धकालीन शिक्षा का गौरव कहा जाता है।

1. शिक्षा के उद्देश्य–

वैदिक काल में जीवन दो प्रकारों में विभक्त था पर तथा अपरा। परा का अर्थ था कि ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा ब्रह्म अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति करना। जबकि अपरा का अर्थ था संगठित तथा नियोजित सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना। इस प्रकार वैदिक काल में शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य छात्रों का शारीरिक मानसिक तथा अध्यात्मिक शक्तियों का विकास इस तरह से करना था जिससे मोक्ष प्राप्ति के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। उस समय प्रदान की जाने वाली शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था नैतिक चरित्र का निर्माण करना, पवित्रता तथा धार्मिकता का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना सामाजिक कुशलता की उन्नति करना, संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना, जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना आदि। इस प्रकार सादा जीवन तथा उच्च विचार के महा–वाक्स से निर्दिष्ट होने वाली वैदिक शिक्ष में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था।

बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य वैदिक काल की शिक्षा के लगभग समान ही थे। अन्तर केवल इतना थ कि बौद्ध काल में आध्यात्मिक विकास पर अधिक जोर न देकर नैतिकात अथवा सील पर अधिक ध्यान दिया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे– नैतिक चरित्र का निर्माण करना, बौद्ध धर्म का प्रसार करना, व्यक्तित्व का विकास करना, जोवन के लिए तैयार करना, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना आदि। बौद्धकाल में नैतिक चरित्र में अन्य गुणों के साथ–साथ दैनिक जीवन में मधुर स्वभाव, अच्छा आचरण, निष्ठा कर्तव्य पालन तथ ापवित्रता जैसे गुण भी निहित थे।

2. उपनयन संस्कार और प्रव्रज्या संस्कार–

वैदिक काल में हिन्दू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्राणी के रूप में जन्म लेने वाला व्यक्ति पशु सदृश होता है जो गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि तक सोलह संस्कारों यथा–पुंसवन, नामकरण सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामाधेय, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद विद्यारम्भ जैसे विभिन्न संस्कारों के उपरान्त विद्यारम्भ के लिए उपनयन संस्कार होता था। इन संस्कारों द्वार ासंस्कारित होकर मानव सही अर्थों में मानव बनने का अधिकारी होता था तथा ये संस्कार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक धार्मिक, सामाजिक तथा अध्यात्मिक उत्कर्ष होता था।

उपनयन का अर्थ है– पास ले जाना अतः बालक को शिक्षा के लिए अध्यापक के पास ले जाना उपनयन संस्कार कहलाता था। उपनयन संस्कार के अवसर पर ब्राह्मणों को गायत्री मन्त्र, क्षत्रियों को त्रिष्टुप मन्त्र तथा वैश्यों को जगति मन्त्र का पाठ कराया जाता था। इस संस्कार के उपरान्त बालक वेदारम्भ करता था, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर, ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर ब्रह्मचारी कहलाता था। उपनयन के बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। बालक के जन्म लेने पर उसका शारीरिक जन्म होता था तथा आचार्य के यहाँ उपनयन के द्वारा दीक्षित होने पर उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारम्भ होता था। वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों के बालको ंका उपनयन संस्कार आवश्यक था तथा इसलिए इन तीन वर्णों को द्विज कहते थे, द्विज का अर्थ है दो बार जन्म लेने वाला। उपनयन के उपरान्त बालक गुरूकुल में रहकर, गुरूकुल की परम्पराओ ंका पालन करता था। विभिन्न वर्णों के लिए उपनयन की आयु तथा शिक्षा पूर्ण करने की आयु भिन्न–भिन्न निर्धारित थी। ब्राह्मण बालकों का उपनयन आठ वर्ष की आयु में वसन्तु ऋतु में कराया जाता था

जो 16 वर्ष तक चलता था, क्षत्रिय बालकों का उपनयन संस्कार ग्यारह वर्ष की आयु के ग्रीष्म ऋतु में कराया जाता था जो बाइस वर्ष तक चलता था तथा वैश्य बालकों का संस्कार बारह वर्ष की आयु में शरद ऋतु में होता था जो 24 वर्ष की आयु तक निर्धारित उपनयन की आयु निर्धारण विभिन्न वर्णों की क्षमता आवश्यकता तथा अभिवृत्ति को ध्यान में रखकर किया गया था। उपनयन संस्कार न कराने वाले बालकों को हीन दृष्टि से देखा जाता था उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक युग में शिक्षा प्रकारान्तर से अनिवार्य तथा सार्वभौमिक थी।

बौद्धकाल में बालकों का शिक्षा प्राप्त करने के लिए मठों में प्रवेश हेतु प्रव्रज्या या प्रवज्जा संस्कार होता था। प्रव्रज्या का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। मठ का सबसे बड़ा भिक्षु ही सामान्यतः इस संस्कार को सम्पन्न कराता था। प्रव्रज्या का इच्छुक भिक्षु सिर के बाल मुड़वाकर तथा पीले वस्तु पहनकर भिक्षु के चरणो में माथा टेककर ''शरणत्रयी'' लेता था अर्थात् बालक बुद्ध शरमण् गच्छामि, धम्मं शरणम् गच्छामि, संघं शरणम् गच्छामि का उच्चारण करता था। प्रव्रज्या आठ वर्ष के बालक को दी जाती थी तथा प्रव्रज्या के बाद बालक सामनेर कहलाता था और उसे मठ में ही रहना होता था। बौद्ध मठों के द्वारा सबके लिए खुले रहते थे तथा जाति का कोई बन्धन नहीं था। स्पष्ट है कि बुद्धकाल का प्रव्रज्या संस्कार वैदिक युग के उपनयन संस्कार से मिलता–जुलता था।

3. शिक्षा संस्थायें–

वैदिक काल में बालकों की प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही प्रारम्भ हो जाती थी। प्रायः पांच वर्ष की आयु में विद्यारम्भ संस्कार के द्वारा बालक को प्रथम बार अक्षर ज्ञान करायाजाता था, इसके गणेश और सरस्वती का पूजा करके परिवार का मुखिया या पुरोहित पाटी पर स्वास्तिक अथवा ओम ॐ का चिन्ह बनाकर बालक को वर्णमाला सिखाने का प्रारम्भ बालक को वर्णमाला सिखाने का प्रारम्भ होता था। शब्दों का उच्चारण शब्द ज्ञान भाषा, व्याकरण तथा गणित की प्रारम्भिक बातें बालकों को घर पर ही माता तथा परिजनों द्वारा सिखायी जाती थी इस प्रकार घर ही बालक का प्रथम शिक्षा संस्था होती थी। विद्यार्थियों को उपनयन के उपरान्त गुरूकुल में ही रहना होता था तथा गुरूकुल के नियम का पालन करना होता था। गुरूकुल प्रायः नगरों के कोलाहल से दूर उपवनों व जंगलों में प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण एकान्त रमणीय स्थान पर स्थित होते थे। गुरू ही आश्रम के सभी ब्रह्मचारियों का अभिभावक होता था तथा गुरू पत्नी माता की तहर आश्रमवासी शिष्यों की देखभाल करती थी। गुरूकुल में शैक्षिक तथा अध्यात्मिक वातावरण पर अत्यन्त बल दिया जाता था। गुरूकुल का जीवन अत्यन्त सरल होता था। उस काल में मिथिला, काशी, कांची कैकेय, उज्जैन, प्रयाग, तन्जौर मालखण्ड आदि स्थान शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे।

बौद्धकाल में शिक्षा संस्थागत हो गयी थी। वैदिक युग में शिक्षा जहां गुरू के व्यक्तिगत आश्रम में दिया जाता था वहीं बौद्धकाल में शिक्षा बौद्ध संघ या बौद्ध मठ में दिया जाता था। जिले बौद्ध विहार या बौद्ध संघाराम भी कहते थे। बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार के साथ ही उस समय सम्पूर्ण भारत वर्ष में स्थान धान पर बौद्ध मठ स्थापित हो गये थे। ये बौद्ध मठ प्रायः नगरों के कोलाहल से दूर पर्वत की कन्दाराओं अथवा जंगलों के बीच सुरम्य वातावरण में स्थित होते थे। इन बौद्ध मठों में धार्मिक, विद्यालयी तथा व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। छात्र तथा अध्यापक एक ही प्रांगण में रहते थे। बौद्ध मठ प्रासादों के समान विशाल, सुन्दर तथा सुविधायुक्त होते थे। इन बौद्ध मठों का वातावरण वैदिक काल के आश्रमों की अपेक्षा सामाजिक था। मठ के प्रशासन के लिए बनाये गये नियमों का पालन सभी छात्रों तथा अध्यापकों को अनिवार्य रूप से करना होता था। छात्र सामान्यतः बौद्ध मठों में 12 वर्ष तक रहकर अध्ययन करते थे तक्षशिला, नालन्दा, बल्लभी, विक्रमशीला, ओदन्तपुरी, नदिया, मिथिला तथा जगदल्ला आदि बौद्ध काल की प्रमुख शिक्षा संस्थायें थी।

4. छात्रगण–

गुरूकुल की परम्पराओं तथा नियमों के प्रतिकूल आचरण करने पर छात्रों को गुरूकुल से निष्कासित कर दिया जाता था। छात्र सामान्यता गुरूकुल में बारह वर्ष तक अध्ययन करते थे। ज्ञान प्राप्त करने के

इच्छुक, निष्कपट तथा उत्साही छात्र ही गुरूकुल में रह पाते थे। प्रत्येक वेद के अध्ययन में 12 वर्ष की अवधि लगती थी। एक वेद का अध्ययन करने वाला छात्र स्नातक दो वेदों का अध्ययन करने वाला वसु, तीन वेदों का अध्ययन करने वाला रूद्र एवं चारों वेदों का अध्ययन करने वाला छात्र को आदित्य कहते थे।

बौद्धकाल में छात्रों की दिनचार्या अत्यधिक कठिन था। छात्र भिक्षाटन करते थे तथा कड़े अनुशासन में रहते थे। गुरू छात्रों को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित करता था। छत्रगण जिज्ञासावश प्रश्न करते थे तथा गुरू उनका उत्तर उपदेश के रूप में देता था। सामनेर को दस आदेशों का दस सिक्खा पदानि अर्थात् दस शिक्षा पद कहते थे ये द आदेश थे– (1) अहिंसा का पालन (2) शुद्ध आचरण (3) सत्य बोलना (4) सत् आहार (5) मादक पदार्थों से दूर (6) निन्दा न करना (7) सरल जीवन व्यतीत करना (8) नृत्यादि तमाशों का न देखना (9) अपरिग्रह (10) सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जैसे बहुमुल्य वस्तुओं का दान न लेना।

5. वेशभूषा–

वैदिक काल में गुरूकुल के छात्रों का वेशभूषा निश्चित था। छात्र शरीर के ऊपरी भाग के वस्त्र के रूप में मृगचर्म का उपयोग करते थे। शरीर के निम्न भाग को ढकने के लिए सन, ऊन तथा रेशम से बने वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा यज्ञोपवीत धारण करते थे। ब्रह्मचारी अपने साथ एक सीधी पीपल की लकड़ी का डंडा रखते थे। जबकि बौद्धकाल में प्रव्रज्या का इच्छुक भिक्षु सिर का बाल मुड़वाकर पीला वस्त्र धारण करता था।

6. पाठ्यक्रम–

वदिक काल में पाठ्य विषयों को एकाग्र तथा समन्वित रूप में पढ़ाने की पद्धति प्रचलित थी। धर्म, दर्शन, वेद, वेदांग, नीतिशास्त्र जीव, आत्मा, परमात्मा जैसे विषयों का छात्र अध्ययन करते थे। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। अपरा विद्या के अन्तर्गत इतिहास, ज्योतिष, गणित, जीवविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विद्या, भौतिकशास्त्र कृषि चिकित्सा आदि विषय पढ़ाये जाते थे। सम्पूर्ण वेदांगों को समझने के लिए तर्कशास्त्र को विशेष वर्ण के अनुरूप ज्ञान दिया जाता था जैसे ब्राह्मण बालकों को धार्मिक कृत्यों का, क्षत्रिय बालको को युद्ध कला का एवं वैश्य बालकों को व्यापार कला का। वैदिककालीन शिक्षा बालकों का सर्वांगीण विकास, अध्यात्मिक, बौद्धिक व व्यवहारिक विकास करती थी। बौद्धकाल में 'सामनेर' बौद्ध धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते थे। बौद्धकाल में शिक्षा दो भागों में विभक्त थी–प्रारम्भिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत लिखना–पढ़ना तथा साधारण गणित सिखाया जाता था। उच्च शिक्षा के अन्तर्गत धर्म, दर्शन, इतिहास, भाषा–साहित्य, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, शिल्प कला, चित्रकला, सैनिक शिक्षा का अध्ययन कराया जाता था।

7. शिक्षण विधि–

वैदिक काल में शिक्षा प्रदान किया जाता था। शिक्षक का प्रमुख स्थान था। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। शिक्षण हेतु प्रश्नोत्तर, कथा, अन्योक्ति, व्याख्यान, वाद–विवाद, क्रियात्मक आदि विधियों का प्रयोग होता था। ज्ञान प्राप्त करने की दो विधियाँ तप तथा श्रुति प्रचलित थी। तप विधि में छात्र स्वयं मनन, चिन्तन तथा आत्मा अनुभूति करके ज्ञान प्राप्त करता था। इसके विपरीत श्रुति विधि में छात्र दूसरों से सुनकर ज्ञान प्राप्त करता था। कहीं–कहीं श्रवण, मनन, निदिध्यासन नामक तीन अध्ययन विधियों की चर्चा मिलती है उस काल में शिक्षा का सवाच्च रूप शास्त्रार्थ समूहों का वर्णन मिलता है जहाँ छात्र और गुरूजन एकत्रित होकर विचार–विमर्श और शास्त्रार्थ करते थे।

बौद्धकाल में शिक्षण विधि वेदकालीन शिक्षण विधि के लगभग समान ही थी। शिक्षण कार्य मौखिक होता था। प्रश्नोत्तर, वाद–विवाद देशाटन आदि के द्वारा छात्रज्ञान ग्रहण करते थे। शिक्षा का माध्यम प्राकृत या पालि भाषा थी। प्राकृत संस्कृत का अपभ्रंश अर्थात् विगड़ा रूप है जो जनसाधारण की भाषा थी। सैद्धान्तिक विषयों की शिक्षा में प्रायः व्याख्यान, व्याख्या व चर्चा नामक तीन विधियों का प्रयोग किया जाता था।

8. परीक्षा प्रणाली–

वैदिक काल में औपचारिक परीक्षायें नहीं होती थी अर्थात् परीक्षा विहीन प्रणाली थी। जब गुरू को लगता था कि छात्र ने आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तब उस छात्र का उस विषय का अध्ययन समाप्त समझा जाता था। तब छात्रों को विद्वानों की सभा में अथवा राजदरबार में शास्त्रार्थ के द्वारा अपने ज्ञान को प्रमाणित करना पड़ता था। बौद्धकाल में भी औपचारिक परीक्षायें नहीं होती थी।

9. गुरू–शिष्य सम्बन्ध–

वैदिक काल में अध्यापक तथा छात्रों के बीच अत्यन्त मधुर तथा आध्यात्मिक सम्बन्ध होते थे अध्यापक का स्थान महत्वपूर्ण तथा सम्मानित होता था। गुरू–शिष्य का पिता–पुत्र जैसा स्नेहपूर्ण सम्बन्ध वैदिक काल के अतिरिक्त किसी अन्य शिक्षा व्यवस्था में दृष्टिगोचर नहीं होता है। वैदिक काल की तरह बौद्ध काल में भी छात्र तथा अध्यापक के मध्य अत्यन्त मधुर पवित्र तथा स्नेहपूर्ण सम्बन्ध होते थे छात्रों के स्वास्थ्य, शिक्षा, आचरण, नैतिक व्यवहार तथा आध्यात्मिक विकास पर अध्यापक ध्यान देते थे। छात्र की अपनी आस्था, श्रद्धा विनय, विश्वास, आदर तथा सेवायुक्त व्यवहार से अध्यापकों को श्रद्धासुमन अर्पित करते थे।

10. नारी शिक्षा–

वैदिक काल में नारी शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया था। महिलाओं को विद्याध्ययन का पूर्ण अधिकार था। लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था। अधिकांश माता–पिता या तो स्वयं अथवा कुलपुरोहित के द्वारा लड़कियों को घर पर शिक्षा प्रदान करते थे। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अपाला जैसी विदुषियों ने नारी शिक्षा का अनुकरणीय स्वरूप प्रस्तुत किया। जबकि बौद्धकालीन शिक्षा को प्रारम्भिक वर्षों में नारी शिक्षा लगभग उपेक्षित ही रही। परन्तु आद में महात्मा गुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द के प्रयास से स्त्रियों को भी भिक्षुणी के रूप में मठों में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। भिक्षुणी मठों में रहकर पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए विद्याध्ययन करती थी। वे पुरूष भिक्षुकों से अलग रहती थी। कहीं–कहीं स्त्रियों के मठों का निर्माण भी हुआ। बौद्धकाल में शिक्षा केवल उच्च वर्ग की महिलाओं को ही उपलब्ध हो पाती थी। स्त्रियां दर्शनशास्त्र का गहन अध्ययन करती थी। काव्य के क्षेत्र में शील, भट्टारिका प्रभु देवी आदि ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था।

11. दण्ड व्यवस्था–

वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में दण्ड की आवश्यकता नहीं थी। शारीरिक दण्ड पूर्णतः निषिद्ध था, आवश्यकता पड़ने पर गुरू छात्र की शुद्धि के लिए उद्दालक व्रत का पालन करने का दण्ड देते थे। उद्दालक व्रत में छात्र को तीन माह की अवधि तक अत्यन्त अल्प आहार पर रहकर आत्मशुद्धि करनी होती थी। बौद्ध काल में बौद्ध मठ के नियमों का पालन छात्रों के लिए आवश्यक था यदि कोई छात्र बौद्ध मठ के नियमों का उल्लंघन करता था तो उसे मठ से निष्कासित कर दिया जाता था। नैतिकता के विकास के लिए दस शिक्षा पदों की व्यवस्था की गयी थी तथा नैतिकता के पालन करने के लिए 'आत्म निरीक्षण' एवं 'स्वदोष अनुभूति' के अनुशासन का पालन करना सभी के लिए आवश्यक था।

12. समावर्तन संस्कार और उपसम्पदा संस्कार–

समावर्तन शब्द का अर्थ है कि वेदाध्ययन के पश्चात् घर की ओर पुनः प्रस्थान करना। गुरू की अनुमति से ब्रह्मचारी समावर्तन संस्कार कराता था तथा गुरू को गुरूदक्षिणा के रूप में भेंट प्रदान करता था। समावर्तन ब्रह्मचर्य आश्रम का अन्तिम संस्कार होता था। वैदिक काल के समावर्तन उपदेश म गुरू द्वारा सत्य बोलने, कर्तव्य पालन, वेद अध्ययन, स्वास्थ्य रक्षा, माता–पिता व गुरू की सेवा दान आदि उत्तम कार्य करते रहने का आदेश दिया जाता था। ये उपदेश छात्र के जीवन को सुखद, सफल व सार्थक बनोन में योगदान करते थे। बौद्धकाल में बौद्ध मठ में 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने पर उपसम्पदा संस्कार होता था। वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में समावर्तन उपदेश के बाद ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था परन्तु बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में उपसम्पदा संस्कार के उपरान्त 'सामनेर' पूर्ण भिक्षुक बन जाता था। बौद्ध शिक्षा

में 12 वर्ष की शिक्षा क बाद छात्रों के लिए दो रास्ते होते थे– प्रथम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना तथा द्वितीय आजमन्म भिक्षुक बनकर बौद्ध धर्म का प्रचार करना। भिक्षुक बनने वाले छात्रों का ही उपसम्पदा संस्कार होता था।

13. वित्त व्यवस्था–

वैदिक काल में शिक्ष एक ही व्यक्ति अर्थात् गुरू तक केन्द्रित था। गुरू अपने त्याग, निःस्वार्थ सेवा, साधारण जीवन तथा उच्च विचारों के द्वारा छात्रों की प्रगति में तन, मन, धन से लगा रहता था। गुरूकूल के वित्तीय आय का साधन गुरू का निजी उपार्जित धन, शिष्यों द्वारा मांगकर लाई भिक्षा, गुरूदक्षिणा, दान में मिले पशुओं व भूमि से प्राप्त आय , उपहार राजकीय सहायता आदि थे। इस काल में शिक्षा में व्यय की मदें अत्यन्त कम थी, बौद्ध काल में शिक्षा व्यवस्था ने संस्थागत रूप ले लिया था। इस काल में शिक्षा का वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्थित तथा स्थायी हो गया था। शिक्षा में आय के साधन लगभग वही थे जो वैदिक काल में थे। परन्तु बौद्ध मठों को निरन्तर वित्तीय सहायता मिलती रहती थी। बौद्ध मठों को पूर्णरूपेण शासन कस सरंक्षकत्व प्राप्त हो गया था। राजस्व, धर्मस्व, उपहार, दान समाज द्वारा सहायता, भिक्षा तथा शुल्क इत्यादि बौद्ध विद्यापीठों की आय के प्रमुख साधन थे।

इस प्रकार वैदिक शिक्षा तथा बौद्ध शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना था। छात्रों को अपना शारीरिक, मानसिक सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास करने के पूर्ण अवसर दिये जाते थे। वैदिक ाकल की शिक्षा प्रणाली चरित्र निर्माण व्यक्तिगत विकास संस्कार डालने, सत्य की खोज, सामाजिक कुशलता तथा सांसारिक वैभव की प्राप्ति के उद्देश्य में पूर्ण सफल रही थी। परन्तु वैदिक कालीन शिक्षा के उत्तर काल में जाति–पाति, धनी–निर्धन, पुरूष–महिला के आधार पर शिक्षा प्रदान करने में जो भेदभाव आ गया था, उसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली में समाप्त कर दिया गया था। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था ने तत्कालीन जीवन में एक नूतनता का शिलारोपण किया। जीवन में संयम तथा अनुशासन लाने के प्रयास में बौद्ध शिक्षा को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुयी। जहाँ तक सामान्य शिक्षा–सिद्धान्त या कार्य–प्रणाली का सम्बन्ध था हिन्दुओं और बौद्धों में कोई अन्तर नहीं था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने प्रकारान्तर से हिन्दू संस्थाओं का अनुकरण किया और शिक्षा में ब्राह्मणों के एकधिपत्य को हटा कर उसे प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान किया। वैदिक शिक्षा एवं बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य की विवेचना करते हुए अल्तेकर ने लिखा है– ''आध्यात्मिकता तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन सामाजिक कुशलता की उन्नति तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार भारतोय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता, एस0पी0, डा0 गुप्ता, अलका : भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
2. लाल, रमन बिहारी, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्र सिद्धान्त, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ।
3. डा0 माथुर, एस0एस0, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशा़स्त्रीय पृष्ठभूमि, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
4. सिंह बी0एन0, डा0 एम0 हसन, डा0 ध्रुव कुमार, डा0 हरि प्रसाद, डा0 ओम प्रकाश तिवारी, शिक्षा सिद्धान्त, शिक्षा दर्शन और शैक्षिक समाजशास्त्र, नवदीप पब्लिकेशन पटना।
5. सिंह, बी0एन0, मो0 इरशाद खान, डा0 जितेन्द्र कुमार, डा0 तनवीर युनुस शिक्षा का और तुलनात्मक शिक्षा, नवदीप पब्लिकेशन, पटना।

––00––

सुशीला टाकभौरे की कविताओं में दलित विमर्श

विकाश कुमार
हिन्दी विभाग
वीर कुँवर सिंह विश्वविधलय आरा

शोषण चाहे मानसिक हो या समाजिक, आर्थिक हो या धर्मिक, उसके विरूद्ध विद्रोह होना स्वाभविक ही है। भारत में सदियों से एक वर्ग, धर्म के नाम पर सामाजिक, मानसिक और आर्थिक शोषण सहता अया है लेकिन उस वर्ग में जरा–सी चेतना जागृत होते ही विद्रोह का विस्फोट हुआ, जिसका परिणाम है 'दलित साहित्य' या यूं कहें दलित विमर्श। हिन्दी में 'दलित–साहित्य' के सृजन की एक लंबी व समृद्ध परंपरा रही है। अनेक विधाओं में 'दलित–साहित्य' या 'दलित–विमर्श' पर लेखन–कार्य द्वारा समाज का इस ओर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु, हिन्दी–कविता में दलित–विमर्श का प्रारंभ सितंबर 1914 में 'सरस्वती' में प्रकाशित 'हीरा डोम' की भोजपुरी कविता 'अछुत की शिकायत' से माना जाता है।

साहित्य संवेदना का विषया रहा है। 'वियोगी होगा पहाल कवि' 'आह से उपजा होगा गान' सुमित्रानंदन पंत जी की इन पंक्तियों से आशय लिया जा सकता है कि दर्द की अनुभवि जितनी गहरी और तीव्र होगी, कविता उतनी ही अच्छी, सटीक या उत्कृष्ट होगी। सदियों से शोषित होते आ रहे मानव के क्रोध को आज साहित्यकारों ने बखूबी आवाज दी है।

21 वीं सदी की कवयित्रियों ने भी दलित–विमर्श को सही अर्थों में अभिव्यक्त किया है, जो समाज को झकझोर देने में समर्थ है। इन्हीं कवयित्रियों में दलित–वर्ग से आई 'सुशीला टाकभौरे' एक ऐसी कवयित्री हैं, जिनहोंने अपनी कविताओं के माध्यम से दलित–वर्ग को नहीं अपितु प्रत्येक उस व्यक्ति को, जो शोषण का शिकार है, कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित किया है।

सुशीला टाकभौरे किसी आंदोलन से नहीं जुड़ी परन्तु इनकी कविताएं ही आंदोलन के समान हैं जिनमें समाज को हिलाकर रखने की ताकत है। इनकी लेखनी का जादू ही है, जिससे यह शीर्ष की कवयित्रियों में अपना स्थान बनाने में सफल हुई हैं। इन्होंने 'स्वाति बूंद और खारे मोती' 'यह तुम भी जानो' 'हमारे हिस्से का सूरज' तुमने उसे कब पहचाना' आदि काव्य–संग्रहो का सृजन किया है, जिनमें दलितों के अधिकार, शिक्षा, अस्तिमा, कुण्ठा व संत्रास, असमानता का विरोध आदि स्वरों को वाणी दी है।

सुशील जी स्वंग वाल्मीकि समाज में जन्मी, पली–बढ़ी हैं । इसीलिए इनकी कविताओं में दलितों की संवेदनाओं और यातनाओं का स्वर अत्यंत मार्मिक है। यह समाज दलितों में भी दलित है और वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले डंडे पर स्थित है। इनका मानना है कि दलित, अंधेरे के अभ्यस्त हो चुके हैं। समाज में हमेशा ही उन्हें नीचा रखने की कोशिश की गई है परन्तु आम्बेडकर व फूले जैसे महामानवों के अथक प्रयास व परिश्रम के करणइनके अंधकारमय जीवन में रोशनी आई है फिर भी कमी दलित–वर्ग की ही हैं कि वे ऊपर उठकर नहीं देखना चाहते और अपनी आने वाली पीढी को विरासत में वही अपमान भरी जिदगी दे रहे है। पुश्तैनी पेशों के विरूध उनका यही आक्रोश इनकी कविताओं में भी दृष्टव्य है–

''कैसी स्वतंत्रता, कैसा लोकतंत्र?
जानते नहीं संविधान में मिले अधिकार आज भी
नरक सफाई के पुश्तैनी रोजगार में लगे

अभाव और अपमान का जीवन जी रहे हैं।'''

कवयित्री ने स्वंय समाजिक विषमता का देश झेला है, फलस्वरूप उनकी कविताएं इस भेद को एक प्रहार के साथ व्यक्त करती हैं। इनकी कविताएं दबी–कुचली मानवीय–संवेदना को आंदोलित कर समस्याओं का समाधान ढूंढने को प्रेरित करती है वे स्वंय अपनी बिरादरी को स्थिती के कारण टूटना नहीं चाहती, इसीलिए वे कहती हैं–

'' बदलना होगा नासमझप्रतीक्षा को
सघर्षशील क्रांतिकारी आंदोलन में
अन्यथ पिएच. डी. प्राप्त कॉलेज की प्राध्यापिका जाति के नाम
आज भी कहती है
रहेगी सिर्फ झाड़ूवाली।'''

ये कवयित्री के मन के भाव ही हैं जिनका वह अपने वर्ग के उत्थान के लिए अपनी लेखनों का प्रयोग, एक हथियार के रूप में कर रही हैं। वे दलितों के शोषण का विरोध स्पष्ट रूप से करती नजर आती हैं। इनकी कविताओं में क्रांति का स्वर है। दलित स्वं क्रांति का आरंभ करे, इसलिए वे कहती है–

''पूछती हूं
क्यो शर्म नहीं आती तुम्हें
अपने आप पर, कब तक, कितनी पीढ़ियों तक
लगती रहेागी झाड़ू?
कब समझोगी सम्मान और अपमान के अंतर।''

वे अन्य साहित्कारों को भी उनकी कमल के समाजिक उत्तरदायित्व का बोध करते हुए कहती है

'' अपमानित दलित शोषित जन
उठाओ उनके हित में
कलम हथियार की तरह।''

वे जिस परिवेश से आती हैं आज भी उनके पैर उसी जमीन पर हैं और वे स्वंय वे इस वर्ग के प्रति समाज की दृष्टि को बदल डालने को तत्पर है–

'' शोषितों के मर्म को पीड़ितों के दर्द की
चीतकार को हुंकार में, मै बदल देना चाहती हूं
पंख मेरे फडफड़ाते हैं।''

सशीला टाकभौरे स्वंय शिक्ष के महत्व को समझाती ही हैं और इसे दलित–वर्ग को समझाने में प्रयत्नरत हैं।उनका माना है कि आज का दलित–व्यक्ति अपने दायित्वों और अधिकारों को समझने तो लगा है फिर भी अभी और जागृति के लिए इस बारूद के ढेर को मशाल दिखाने की आवश्यकता है।

''समझने लगे हैं अब ये भी
क्रांति की हर बात को/जरूरत है।
बारूद के ढेर को/मशाल दिखाने की।''

कवयित्री केवल मुद्दों को सामने ही नहीं रखतीं अपित उस पर बात भी करती है। वर्तमान में शिक्षा का प्रभाव दलितों पर पड़ रहा है उन्हें विश्वास है कि अब ये दलित–वर्ग के लोग भी गुलामी–दास्यत्व की जंजीरें

तोड़कर नया इतिहास रचेगे। इसलिए वे अपनी कविता 'बुद्धिजीवी चिंतन' में कहती है–

'बुद्धिजीवी चिंतन' में कहती हैं
ये कोटि–कोटि दलित, शोषित मानव
स्वंय सूरज बन जाएगे/इनसे उपजी संतान
भवी पीढ़ी/संसार में युग परिवर्तन लाएगी।''

समाज में स्त्री की स्थिति अत्यंत शोचनीय रही है चाहे वह किसी वर्ग की हो। सुशीला टाकभौरे स्त्री की स्थिति को सुदृढ़ बनाने पर जोड देती है। इस पुरूषप्रधान सामज में स्त्री के अधिकारों की मांग पूरे जोर–शोर से करती हैं और रूढ़िवादी परंपराओ का जोरदार खण्डन भो करती हैं। 'तुमने उसे कब पहचाना' 'आस की पीडा' मैने कुछ शब्द जोड़े हैं' 'प्रशंसनीय नारी' ' आज की खुद्दार औरत' विद्रोहिणी' आदि ऐसी ही कविताए है, जिनमें उठाते हुए वे पुरूष–प्रधान समाज को चुनौती देती नजर आती हैं।

आज की नारी अपनी शक्ति को पहचान चुकी है। वह समाज के साथ कंधे–से–कंधा मिलाकर चलने का पूर्णरूप से सक्षम भी है और तैयार भी।

''आज वह खुद्दार औरत
अपने आपको पहचान गई है
इसे यूं न सताओ/वरना यह भी
तुम्हारे वर्चस्व को नकार कर
तुम्हे नीचा दिखाएगी।''

आज की नारी पुरूषप्रधान समाज में होते आ रहे स्त्री–पूरूष के भेद को नकारते हुए कहती है–

''पुरूष–प्रधान सामज में
स्त्री भी/समानता की अधिकारी है।''

सुशीला टाकभौरे कहती हैं जि आज की नारी जाय चुकी है। आज वह सभी बंधनों को तोड़ अपनी प्रगति के रास्ते तय कर रही है–

''आज खुशी की बात यही है
शोषित नारी जाग चुकी है
काट सभी बंधनों को, वह
प्रगति का पथ जान चुकी है।''

उपरोक्त वर्णत के आधार पर कहा जा सकता है कि सुशीला टाकभौरे दलित–समाज को विशेषतः दलित–शोषित नारी को उसके अधिकारों के प्रति सजग कर, उसे गुलामी की जंजीरो से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करती हैं और यही उनकी लेखन–शक्ति का प्रणाम है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 21 वीं सदी की कवयित्रियो में यू तो दलित व गैरदलित कवयित्रिया भी दलित–विमर्श पर काव्य–सृजन कर रही हैं परन्तु सुशीला टाकभौरे का योगदान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका काव्य दलितों के साथ–साथ पूरे समाज को भी आदोलित करने में समर्थ है। ऐसा साहित्य दलितों के प्रति साज की मानसिकता बादलने में भ सक्षम होता है।

संदर्भ सुची

1. सुशीला टाकभौरे : हमारे हिस्से का सूरज पृ.10
2. सुशीला टाकभौरे : हमारे हिस्से का सूरज पृ.12
3. सुशीला टाकभौरे : हमारे हिस्से का सूरज पृ.15
4. सुशीला टाकभौरे : हमारे हिस्से का सूरज पृ.20
5. सुशीला टाकभौरे : हमारे हिस्से का सूरज पृ.62
6. सुशीला टाकभौरे : हमारे हिस्से का सूरज पृ.20
7. सुशीला टाकभौरे : हमारे हिस्से का सूरज पृ.66
8. सुशीला टाकभौरे : तुमने उसे कब पहचाना पृ.38
9. सुशीला टाकभौरे : तुमने उसे कब पहाचाना पृ.24
10. सुशीला टाकभौरे : तुमने उसे कब पहाचाना पृ.27
1. आचार्य रामचंद्र शुक्ल : वृहत् प्रामाणिक हिंदी कोश लोक भारती प्रकाशन, पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद–211001, नव संपादित बारहावां वृहत् सस्करण–20121
2. (संपादक) रामचंद्र : मानक हिंदी कोश, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयास।
3. सुशीला टाकभौरे : हमारे हिस्से कस सूरज, नेहा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 4832/24 प्रहलाद लेन, एस–207, अंसारी रोड, नई दिल्ली–110021
4. सुशीला टाकभौरे : तुमने उसे कब पहचाना स्वराज प्रकाशन, 4837/224 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली–1100021
5. हरदेव बाहरी : उच्चतर हिंदी कोश, वाणी प्रकाशन, 21 ए, दरियागंज, नई दिल्ली–110021

पारिवारिक मूल्यों में हो रहा बदलाव

डॉ0 हरिओम मिश्र
सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग,उदित नारायण पी0जी0कालेज,
पडरौना, कुशीनगर (उ0प्र0)

मानव की सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत एवं सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। संस्कृति के सभी स्तरों में चाहे उन्हें उन्नत कहा जाय या निम्न, किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन अव□य पाया जाता है। शारीरिक आवश्यकताओं एवं कामवासनाओं की पूर्ति ने ही परिवार को जन्म दिया। परिवार ही नवजात शिशुओं एवं गर्भवती माताओं की देखभाल करता है, यौन सम्बन्धों एवं सन्तानोत्पत्ति का नियमन कर उन्हें सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। परिवार की इन विशेशताओं का समावेश हमें भारतीय परिवारों में भी देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ ही भारतीय परिवारों के अपने कुछ विशेश पारिवारिक मूल्य भी पाये जाते हैं जो इसे विश्व के अन्य देशों से पृथक करते हैं। इन पारिवारिक मूल्यों के अन्तर्गत परिवार के सदस्यों में परस्पर सेवा भाव का पाया जाना, संयुक्त उत्तरदायित्व के साथ–साथ परस्पर मधुर एवं घनिश्ठ प्राथमिक सम्बन्धों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होना, सामूहिकता की भावना के साथ रहते हुए बुजुर्गों का सम्मान एवं बच्चों का आदर्श पालन पोशण करते हुए अपनी संस्कृति का संरक्षण करना एवं इस प्रकार एक समाजवादी ढांचे का निर्माण करना जैसे तत्वों का प्रमुखतया समावेश है। भारतीय परिवार के अन्तर्गत पाये जाने वाले ये कुछ ऐसे पारिवारिक मूल्य हैं जो विश्व के अन्य परिवारों में सर्वथा दुर्लभ है।

परन्तु वर्तमान में इन पारिवारिक मूल्यों में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज सामूहिकता के तत्वों में कमी महसूस हो रही है और इसके स्थान पर व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहन मिल रहा है। आज व्यक्ति अपने और अपने बीवी बच्चों की ओर केन्द्रित होता जा रहा है। परिवार में पाये जाने वाले मधुर घनिष्ठ सम्बन्धों में बिखराव हुआ है, सदस्यों में पूर्व की भांति परस्पर सेवा भाव जैसी भावना अब कम दिखायी दे रही है बल्कि इनके स्थान पर दिन प्रतिदिन पारिवारिक टूटन, विवाद, बिखराव इत्यादि के मामलें सामने आ रहे हैं। पहले परिवार में बुजुर्गों के प्रति जो सम्मान एवं श्रद्धा की भावना पायी जाती थी उसमें भी अब कमी आ रही है। पहले बुजुर्ग परिवार में मुखिया के रूप में रहते हुए निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते थे तो वहीं आज की पीढ़ी इन बुजुर्गों को परिवार का बोझ समझने लगी है। समाज में वृद्धाश्रम की बढ़ती संख्या को देखकर हम इसे सरलता से समझ सकते हैं। आज परिवार का समाजवादी ढांचा बिखरता जा रहा है। जिस संयुक्त परिवार के लिए हमारा देश जाना जाता है वह अब धीरे–धीरे अतीत बनता जा रहा है। संयुक्त निवास, संयुक्त रसोई, संयुक्त सम्पत्ति, संयुक्त पूजा घर इत्यादि समाजवादी ढांच के तत्व अब कल्पना मात्र बनते जा रहे हैं। भारतीय परिवार बच्चों के आदर्श पालन पोषण हेतु जाने जाते रहे हैं। भारतीय महिलायें मातृत्व सुख के बिना अपूर्ण मानी जाती रही हैं और इस सुख को प्राप्त करने के पश्चात् वे अपने सन्तानों हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने हेतु तत्पर रही हैं। परन्तु आज जिस प्रकार पारिवारिक मूल्यों में बदलाव हो रहा है उस क्रम में बच्चों का आदर्श पालन पोषण तो दूर की बात महिलायें स्वयं को ही जहां तक सम्भव हो रहा मातृत्व सुख से वंचित रखने का प्रयास कर रही हैं। आज लिव इन रिलेसनशिप और बच्चो के गोद लेने की प्रथा का व्यापक रूप से प्रसार हो रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि परम्परागत पारिवारिक मूल्यों में व्यापक बदलाव हो रहा है। ये बदलाव एका एक और अकारण हुये हों ऐसा नही है, बल्कि इन बदलावों के पीछे कुछ प्रमुख कारण जैसे–पाश्चात्य शिक्षा, औद्योगीकरण, नगरीकरण, यातायात व संचार के

साधनों का विकास, पारिवारिक कार्यों को अन्य संस्थाओं द्वारा ग्रहण करना, महिला आन्दोलन का प्रभाव, वैश्वीकरण, कानूनों का निर्माण इत्यादि उत्तरदायी है।

अंग्रेजी राज्य की स्थापना के परिणामस्वरूप भारतीयों का पाश्चात्य शिक्षा, सस्कृति व विचारधारा से परिचय हुआ। अंग्रेजों के सामाजिक मूल्यों एवं दर्शन को भारतीयों ने भी अपनाया। जिसके परिणामस्वरूप भारतीयों में व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद एवं भौतिकतावाद की विचारधारा का विकास हुआ। सह शिक्षा का विकास हुआ और महिलायें भी घर से बाहर निकलकर पुरूषों के साथ शिक्षा ग्रहण करने लगीं तथा आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने लगी। महिलाओं के आत्मनिर्भर होने के परिणामस्वरूप अब परिवार में उनकी भूमिका निर्णायक होने लगी तथा साथ ही पति व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनके पूर्व सम्बन्धों में बदलाव होने लगा। महिलाओं की आत्मनिर्भरता ने उनके अन्दर व्यक्तिवादिता का विकास किया और आज महिलायें अपने व्यावसायिक हित हेतु स्वयं को मातृत्व सुख से तथा परिवार की सामूहिकता से दूर रखने का प्रयास कर रहीं हैं। इस प्रकार परम्परागत मूल्यों में बदलाव हो रहा है। मूल्यों में आ रहे बदलाव के उत्तरदायी कारकों में औद्योगीकरण एवं नगरीकरण भी प्रमुख हैं। जैसे–जैसे उद्योगों का विकास हुआ उसमें कार्य करने हेतु श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी और लोगों ने उद्योगों में कार्य करने हेतु गांव को छोड़ दिया। बाद में आगे चलकर औद्योगिक क्षेत्रों के किनारे लोगों के बसने से नगरीकरण को गति मिला। इस प्रकार औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के परिणामस्वरूप परम्परागत रूप से चले आ रहे संयुक्त परिवार की संरचना में बदलाव हुआ एवं सामूहिकता, घनिष्ठता जैसे मूल्यों में कमी आयी।

इसी प्रकार यातायात एवं संचार साधनों के विकास के चलते भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना–जाना सरल व सहज हुआ तो वहीं दूर होकर भी संचार के साधनों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दूरी का एहसास नही हुआ और व्यक्ति धीरे–धीरे परम्परागत पारिवारिक मूल्यों से दूर होने लगा। सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ती सुविधाओं ने व्यक्ति को संरचनात्मक रूप से परिवार के निकट तो लाया है लेकिन शारीरिक समीपता के अभाव ने उनमें भावनात्मक रूप से विरक्ति पैदा की है। आज व्यक्ति अपने घर बैठे मोबाइल, टेलीवीजन, इण्टरनेट इत्यादि के द्वारा देश दुनिया की सभी खबरों से अपना सम्पर्क साध लेता है लेकिन वहीं दूसरी ओर वह अपने परिजनों, पड़ोसियों, मित्रों एवं रिश्तेदारों से दूर होता जा रहा है। सूचना एवं मनोरंजन के साधनों ने व्यक्ति को आत्मकेन्द्रित बना दिया है।

परम्परागत परिवार आत्मनिर्भर होता था और व्यक्ति की अधिकांश आवश्यकतायें परिवार के माध्यम से ही पूरी होती थीं। परन्तु वर्तमन में परिवार द्वारा किये जाने वाले बहुत से कार्य विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जाने लगे हैं। महिला एवं पुरूष दोनों की व्यावसायिक गतिशीलता ने इन संस्थाओं की उन्नति में और योगदान दिया है। उदाहरण स्वरूप आज माता–पिता द्वारा जन्म के कुछ ही समय बाद अपने बच्चों को डे केयर होम में छोड़ा जाने लगा है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे आवासीय विद्यालय में भेज दिया जाता है तो वहीं किशोरावस्था के दौरान विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में भेजकर माता–पिता अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आज समाज में विभिन्न संस्थाओं द्वारा धर्मशालाओं, वृद्धाश्रमों, विधवाश्रमों, अनाथालयों, भोजनालयों, चिकित्सालयों इत्यादि की व्यवस्था की गयी है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति को परिवार की कमी महसूस नही हो रही है। इस प्रकार परिवार के कार्यों जैसे–पालन, पोषण, संरक्षण, संवर्धन, समाजीकरण एवं सामाजिक बीमा इत्यादि में व्यापक बदलाव हो रहा है।

मूल्यों के इस बदलाव में महिला आन्दोलनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन आन्दोलनों के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के कानूनों जैसे–हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति अधिकार अधिनियम 1937, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिन्दू विवाह विच्छेद अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 इत्यादि का निर्माण हुआ। इन अधिनियमों ने महिलाओं की स्थिति में व्यापक बदलाव किया। महिलायें आत्मनिर्भर

हुयीं, परिवार में उनकी स्थिति में बदलाव हुआ। वे अब सास–श्वसुर से पर्दा नही करतीं बल्कि पारिवारिक एवं बाहरी मामलों में खुलकर चर्चा करती हैं। आज महिलायें अपने पतियों को ए जी, ओ जी जैसे संबोधनों के स्थान पर उनके नाम से बुलाती हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि परम्परागत रूप से चले आ रहे पारिवारिक मूल्यों में बदलाव हो रहे हैं। परन्तु मूल्यों में हो रहे इन बदलावों के बावजूद परिवार रूपी संस्था आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाये हुये है और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेगी क्योंकि सदियां गुजर गयी, आदमी कहां से कहां पहुँच गये लेकिन इसके बावजूद परिवार आज भी जहां की तहां अपने पांव गड़ाये हुये स्थिर है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

- सिंह हिरेन्द्र प्रताप, समाजशास्त्र की मूल अवधारणायें, मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन, वाराणसी, 2002
- पाण्डेय एस.एस., समाजशास्त्र, McGraw Hill Education (India) Private Limited, New Delhi, 2013
- आहूजा राम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1999
- मोहम्मद नूर एवं लवानिया एम.एम., भारतीय समाज विस्तृत अध्ययन, कालेज बुक डिपो, जयपुर, 2003

Socio-Demographic Dimensions of Dowry System in India

Dr. Bharti Rastogi
Assistant Professor,
Department of Sociology
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi

Abstract

Women, who constitute nearly half of the humanity, have been held back in many social and economic areas. It has been felt that a lower status of women is a handicap for the growth of mankind as a whole. In a traditional society the women grow up in a fairly sheltered environment and most decisions affecting their future are made by others. In reviewing the history of recent socio-political dynamics, specially in the third world countries, it is clearly observed that irrespective of the change of regimes, women are oppressed and exploited in various repressive ways (Suguna, 1985). In India, in most cases, the socio-economic status of a girl is determined by the event of her marriage – the education, occupation and income of her husband. But a boy with good occupation and income is difficult to be available without offering adequate amount of dowry. The parents are generally worried about arrangement of the dowry sums since the time a daughter is born. The daughter is considered as a liability while a son is treated as an asset. In many Hindu castes a deep-rooted perception that bridal family is inferior to that of the family of a groom, provides adequate strength to dowry seekers to exploit the other side. The study of the dowry system is complicated as its perpetuation has orientations in the mechanism of 'gender gap effects' and various socio-economic and demographic forces.

An attempt has been made in the present paper to study the causes of the prevailing dowry system in India against the background of a brief discussion on its evolution. It has also been tried to examine the socio-demographic effects of this evil custom. The analysis is mainly based on the surveys conducted in different parts of the country during the recent past.

Key Words: Dimension**,** Socio- economic, Socio-demographic, Dowry, Custom

Evolution of the dowry system

In India the historical evidence about the pre-vedic marriage patterns is inadequate. The dowry system has been derived from an ancient Hindu custom which was intended to ensure financial security to the birde (Stan, 1979). During vedic period the marriage hymns of the Rigveda and the Atharvaveda showed the prevalence of the dowry system but at that time dowry was regarded as dakshina (gift), a part of the

ceremony of Kanyadan (giving away girl as a gift to bride groom by her father). In ancient period traditionally a girl had no right to any immovable property in her natal lineage and all that she got in her marriage from her parents and close relations were gifts of jewellery, clothing and cash. All these along with the gifts made to her by her husband constituted stridhana (exclusive property of the woman). These marriages were of very young persons and they needed financial support from their parents and in-laws. All gifts whether in kind or cash were given voluntarily by father of a girl and there was usually no bargaining in this regard.

In the pre-British period, dowry was mainly offered by father of a girl due to his attachment and affection for the daughter. A person was not socially degraded if he could not afford adequate gifts in his daughter's marriage. Gradually a religious thinking developed among Hindus that it would be sinful if father did not give dowry in marriage of the daughter.

The dowry as an evil system developed only during the 20th century, particularly since the second world war. During the war period prices increased and many people earned high profits. Marriages became more expensive as larger amount of money was spent on marital gifts. But after the war the business activities, profits and the prices were reduced while the dowry market remained unaffected (Hooja, 1969).

At present the 'dowry' has become an ánti-social institution'. Those who cannot afford it expect that marriage of their daughters would cause their financial ruin. Now the marriage has largely lost the sanctity of a sacrament. The marriage ceremony has taken the form of a big business in which the bride-groom's father tries to make as much money as possible. The more educated and qualified the boy is, the more money is demanded in his marriage.

Causes of the custom

In a particular society if there is surplus of marriageable boys over the marriageable girls the parents should face no major problem to find matches for their daughters. If the problem is faced by them it means that the forces of the demand and supply relating to boys and girls are not perfectly operating in the marriage market and certain other socio-economic factors are more dominant.

It appears that in the marriage market the forces of demand and supply relating to boys and girls play their limited role as the necessary supply of both sexes do not forthcome in the right place and in right numbers particularly due to caste factors, lack of

knowledge about boys and girls belonging to different regions and immobility among people. In India most of the Hindus prefer to marry their daughters within their castes which in many cases live within small geographical regions. In such traditional society parents of the girls do not like to marry them with boys belonging to other castes even if no dowry is demanded. It has been stated that 'the pressure to pay dowry was compounded by the twin needs of having to get girls married before puberty, and to find grooms within the same caste (jati) (Srinivas, 1978). When parents of a girl do not get the match easily within the caste and sub caste, they are frustrated. As the suitable boy is searched in a limited group and area, the match is found with dowry demand.

One of the important reasons for persistence of this evil system is that large amount of dowry is considered as status symbol. It has been observed that the dowry is regarded to be a matter of prestige and in some cases a glimpse of the gifts at display becomes a part of the marriage ceremony (Awasthi, 1979). The rich and the poor, people belonging to lower or upper castes generally get intrinsic joy and satisfaction if they can give ample 'property' to their daughters (Hooja, 1969). In a traditional Hindu society of India if the amount of dowry in large, the family gets respect and high social status.

Another reason for wider prevalence of the dowry custom is rise in the level of general prices. Under the inflationary pressure it is difficult for many to raise their economic status in short period. If they get large dowry they become rich very quickly. Mrs. Subhadra Butalia of Delhi, in this regard, says 'marriage has now become a market transaction with grooms party seeking dowry under a 'get-rich-quick' scheme and the brides' parents eager to buy their daughter a comfortable future (Northern Indian Patrika, 1982). As education has become expensive, the parents demand heavy dowry for their educated sons. The dowry is also desired in the wedding of sons to give it in the daughter's marriage (Ghosh, 1984).

It has also been found that the dowry sums increase with higher age of marriage of the girls. A survey conducted on child marriage during 1986 in the selected rural areas of 3 districts of Uttar Pradesh (Dehradun, Pratapgarh and Lucknow) by the Population Research Centre of Lucknow University revealed that many parents got their daughters married during their childhood due to their belief that amount of dowry could be demanded with the delayed marriage (Rastogi, 1998)

Illiteracy, ignorance and lack of education among people makes the legislative enactment relating to dowry as ineffective. The Bihar Dowry Restraint Act was enacted in 1950. First all-India anti dowry legislation was the Dowry Prohibition Act of 1961. The Act prescribes the punishment for giving or taking dowry. The Act was recently amended and

the punishment was made more stringent. But most of the illiterate and uneducated people are not aware of the anti dowry legislation. It has been observed that the 'women are upholding the dowry custom, because they are the least educated to understand its ramifications' (Hooja, 1969). A survey conducted in Lucknow city revealed that 23 percent of the male and 62 percent of the female respondents in the sample were not even aware of the Dowry Prohibition Act (Avasthi 1979).

Another important reason for the persistence of dowry system has been felt as the income differentials. Many people have black money and they demonstrate their prosperity in marriage parties by offering heavy dowries. A rich man can afford to give lakhs of rupees in cash or in kind in the shape of dowry but he fails to realise that the others in the society cannot afford to do this.

Consequences

The preceding analysis shows that a direct effect of the dowry custom is related with undue pressure on earnings of the poor parents having daughters. Such pressure on limited income of the parents may compel many of them to raise their earnings through undesirable ways. It has been observed that many fathers have to arrange the amount of dowry through heavy debts or by selling their property. Sometimes it happens that the bridegroom's father returns the marriage party (Barat) without the marriage ceremony being performed simply because the dowry has not been offered in full tune of the demand made, thus causing psychological maladjustment in a section of the society (Hellen, 1963). This indicates that in marriage ceremonies the matter that occupies the sole consideration is money.

The institution of dowry is highly damaging in the context of demographic attitudes and practices among people. As the dowry is irksome and uneconomical, the daughters are rarely wanted by the couples. In most cases the birth of a son is an event of a joy while a daughter is considered as a burden on the family. Many parents invest more in nutrition, education and overall growth of the boys than the girls. This leads to hamper the qualitative growth of the female population and leads to lower status of women in the society. It is believed by the demographers that 'son preference' and 'lower status of women' create conditions favourable to higher levels of fertility and faster rate of population growth. Couples generally continue child-bearing till they get two or more sons. They actually do not want daughters but are bound to accept female issues for having the sons during the reproductive period of their life. This ultimately raises the level of fertility. If the birth rate is to be reduced in the country, it is necessary that couples get pleasure in having daughters and they stop child bearing even if they

have two female issues. Thus, if population of the country is to be controlled, value of the daughters is to be raised through removal of the dowry custom and raising the status of women.

Conclusion

The study shows that the dowry system has been derived from an ancient hindu custom and in the beginning no stigma was attached with it. The dowry was regarded as an exclusive property of the woman and was known as Stridhan. All gifts whether in cash or kind were voluntarily given as dowry in the marriage. The dowry as an evil system developed only during the 20^{th} century. After the second world war general prices and profits increased which raised the amount of dowry. Gradually the system became an anti-social institution and in most cases marriage took the form of market transaction. The dowry seekers go to the extent of strangulating or burning daughters-in-law. Growing dowry deaths are to be checked by all means. Regarding effects of the dowry custom it has been noticed that many parents arrange the amount of dowry through heavy debts or by selling their property. As the dowry is irksome and uneconomical, people generally feel unhappy on birth of a female child. A survey conducted in the selected rural areas of Uttar Pradesh showed that rural couples largely feel unhappy on birth of a daughter because dowry sums will have to be arranged for marriage. But these couples feel great pleasure if a son is born. Most of the couples do not want daughters but are bound to accept female issues for having the sons during the reproductive period of life. They generally continue child bearing till they get two or more sons. This ultimately raises the level of fertility and promotes population growth.

On the basis of above findings following suggestions can be made :

1- Stronger social resistance is needed against the dowry evil and more public attention should be focused on such abuse through different media. Wider awareness is needed among people regarding anti-dowry legislation. Effective implementation of the dowry Prohibition Act should be ensured through greater involvement of the women's organizations in curbing the evil.
2- Hindu marriage system based on caste pattern should be rejected by all sections of the society. Inter-caste marriages are to be encouraged to widen the area where parents of the girls may easily get the match. An Inter-caste marriages can help remove disappointment and frustration that the girl's parents usually face when large dowry sums are demanded.
3- A demographic massage should be spread among the parents that men are more than women and boys outnumber the girls in the country. In this regard further

knowledge should be provided that the scarcity of grooms and dowry demands may largely be eliminated if matrimonial matches are sought without religious and caste considerations.

4- Parents should change their negative attitude towards daughters and develop a rational view that a girl is not inferior to a boy. They should pay full attention towards nutrition and health care of the girls to prepare them as healthy citizen. If they intend to develop girls like boys it should not be thought that a daughter is burden on the family and her role is to be limited to home, husband and children.

5- Stronger efforts are needed to promote the level of education and economic independence among the girls. If the girls are well educated and self-dependent they can effectively protest against the dowry taking in their marriage. Women should not be an object of change rather than they should become agent of the change. If girls and women are highly educated, professionally trained and occupationally rich, they themselves may organise and curb the dowry evil through collective consciousness.

6- If the civil marriage system is encouraged, where girls find out a suitable match for themselves, the dowry system can be eliminated to a great extent.

7- Income differentials should be reduced in the society and rich people should be motivated and educated on socio-economic and moral grounds not to pay and take dowry sums openly or secretly.

8- The incidence of dowry can also be reduced by having lesser number of children and providing daughters their share of father's property.

References :

D'Souza Stan, 1979, 'Nuptiality Patterns and Fertility Implications in South Asia' in Ruzicka Lado T. (Edited by) *Nuptiality and Fertility. International Union for the Scientific Study of Population*, Liege (Belgium), P. 305

Hellen G.C., 1963, 'Dowry- A Social Evil', *Indian Sociological Bulletin* (Society Publications, Ghaziabad), October, Vol. 1, No. 1, P.3

Hooja S.L., 1969, *Dowry System in India*, Oxford University Press, Delhi, P. 226

Hooja S.L., Op. cit. P. 21

Ghosh S.K., 1984, *Women in a Changing Society*, Ashish Publishing House, New Delhi, P. 61.

Northern India Patrika, Lucknow (Daily), September 6, 1982.

Paul Suguna, 1985, 'The Economics of Women's oppression' in Kaushik Susheela (Edited by) *Women's Oppression : Patterns and Perspective*, Shakti Books, Vikas Publishing House, New Delhi, P. 85

Rastogi S.R., 1988, *Son Preference and Family Building in Rural Areas of Uttar Pradesh*, (Mimographed), Population Research Centre, University of Lucknow, June, pp. 12-16.

Srinivas M.N., 1978, *The Changing Position of Indian Women*, Oxford University Press, New Delhi, P. 25

MANJU KAPUR'S NOVELS: A NEW PARADIGM OF FEMINISM

Dr. Radhey Shyam Suman
Patna University,Patna

Abstract

The belief and aim that women should have the same rights and opportunities as men are called feminism. It has always been a burning issue in Indian English Literature. The movement was first started by Mary Wollstonecraft, the first feminist. Her premier feminist work "A Vindication of the Rights of Women" is a milestone in the history of modern feminism. The work argued that the rights of man applied equally to both sexes. Thus the feminist movement sweeping through Europe, America and Australia came to India. Indian writers during both the pre and post independence period have articulated the social reforms and agencies of people. This study of feminism is based on her novels such as Difficult Daughters, A Married Women, Home and The Immigrant.

Key Words:- *Paradigm, Feminism, Phallogocentric, Deconstruction, Assimilation.*

Feminism means a belief in the principle women that should have the same rights and opportunities (legal, political, social, economical etc.) as men. It became a movement when the problem of inequality between the sexes was highlighted in ***A Vindication of the Rights of Women by Mary Wollstonecraft.***

Feminism as an international socio-political Movement since 1960s is a struggle oppression and subjugation of woman in a dominant phallogocentric, patriarchal symbolic order which is based on irrational discrimination on the basis of gender. In recent times, feminist ideology tries to destroy masculinist hierarchy rather the sexual dualism. It is an effort to rebalance between women and men in their play of social, political and economic power within a given society. Towards the end of the twentieth century, feminism as a concept recognizes world realities in relation to human relationship, more specifically man-woman relationship. Recent fiction has responded to the new awakening of the feminist consciousness and deconstructs human relationship in social, political, psychic, cultural and economic planes. 'Feminism's crucial struggle against the oppressive culture of patriarchy is of immense significance in Indian context and Indian English fiction. During the last two decades of the 20th century in India, there was emergence of the rebellious, self-assertive, 'New women' replacing the subdued, confined and submissive women of forties and fifties as well as the educated and the assertive female of the sixties and the seventies. The New Woman is not necessarily a

western model; she is rather authentically an Indian. That is therefore the insights and precision of western feminist theories, which are generally applied to the study of Indian literacy texts, are to be modified with reference to the indigenous ethos rather than the borrowed ones. It is so because Indian has a different history, different forms of social stratification, ideologies, caste configurations and patriarchal domination.

Feminism emerges as a concept that is based on a critical analysis of male privilege and woman's subordination within any given society. It opposes woman's subordination to men in the family and society. Feminism is a global and revolutionary ideology that is political because it is concerned with the question of power. A feminist is one who is awakened and conscious about woman's life and problems. The feminist apprehends certain features of social reality as intolerable as to be rejected if one is to transform the society for a better future. The concept of woman is of central importance in the formation of feminist theory. Themes explored in feminism and *feminist* theory include patriarchy, sexual objectification and oppression. In literary theory Feminism means challenging the patriarchal canons Feminist theory studies a structural inequality of women caused by systematic social injustice.

The study of feminist theories begins with the eighteenth century and continues until the present times. Feminist theories try to identify such bases and then negotiate them by sensitizing readers to their existence. Feminism is a political perception based on two fundamental premises. Gender difference is the foundation of a structural inequality between women and men by which women suffer systematic social injustice. The inequality between the sexes is not the result of biological necessity but is produced by the cultural construction of gender difference. Sex refers to the determining of identity on the basis of biological category while gender connotes the cultural meaning attached to sexual identify. In other words gender is the product of cultural meaning attached to sexual identity. In other words gender is the product of cultural conditioning. Feminist theories range themselves against various structures and inter relationships of power the state, the Church, law and the academy which they see as patriarchal. Socialism and feminism at the beginning of the nineteenth century emphasized the ways in which discrimination against women is manifested and how this can be resisted.

For feminist the text is battleground where actual power relations between men and women are placed out. The representation of women in literature was felt to be one of the most important forms of socialization. The women's movement of the 1960s was a renewal of an old tradition of thought and action. This movement was literary in the beginning in the sense that it realized the significance of the images of women promulgated by literature. The women's movement became a major political issue in

economics and culture. Literary critics influenced by the movement undertook a whole new project. Feminist critics assume that literary texts operate on the lines of power struggle between men and women. The text naturalizes the oppression of women. Feminist critics argue that literary texts reproduce social basis that see woman as only the other partner of male. Religion, social conditions and cultural traditional perceive the woman as an adjunct to the male. This means that the women's identity is never separate but is subsumed under that of the male. The woman is typecast as "Mother Nature" thus reducing her to the perpetually giving all forgiving nature that never demands anything and is willing to suffer anything for her son. Sex is biological while gender is socially constructed. There is no necessary link between gender and biological sex. Masculinity and feminity are essentially coercive categories.

In 1960s and 1970s feminism largely represented and was concerned with problems faced by Western middle class women while at the same time claiming to represent all women. Feminist activists emerged from diverse communities.

Many feminist argue that feminism is a grass root movement that seeks to cross boundaries on social class, race, culture and religion. In 1970 in feminist criticism the major effort went into exposing what might be called the mechanisms of patriarchy and women which perpetuated sexual inequality. In 1970 Elaine shows alter detects in the history of women's writing a feminine please. In 1980 feminist criticism explored the nature of the female world and outlook.

Indian writing in English is replete with various women writers of English who have heralded a new concept and vision about women empowerment and identity crisis of women. These writers are Kamala Das, Shashi Deshpande, Nayantara Sahgal, Anita Desai, Namita Gokhale, Arundhati Roy, Shobha De etc. Among them the name of Manju Kapur is very remarkable because she had presented the miser plights and sufferings of women in a conservative atmosphere. Kapur's novel, *Difficult Daughters (1998), A Married Woman (2002), Home (2006) and The Immigrant (2008) very* brilliant portray the present day woman who attempt to break through the sufferings that traditional society imposes on them.

Manju Kapur teaches English literature at Miranda House College, Delhi University. Her first novel '***Difficult Daughters'*** received huge international acclaim. This novel was published in 1998. Her second novel '***A Married Women'*** was published in 2002. Her third novel '***Home***' was published in 2006. Her fourth novel, '***The Immigrant'*** was published in 2009. '***Difficult Daughters***' was awarded the Commonwealth Writers

Prize for the best first book (Eurasia) and was a number one best seller in India. She is married to Gun Nidhi Dalmia and lives in New Delhi.

The portrayal of woman in Indian English fiction as the silent suffer and up holder of the tradition and traditional values of family and society has undergone a tremendous change and is no longer presented as a passive character. Kamala Markandaya, Nayantara Sehgal, Anita Desai, Shashi Despande and many women as an individual rebelling against the traditional role, breaking the silence of suffering trying to move out of the caged existence and asserting the individuals self. This woman is trying to be herself and yet does not wish to break up the family ties. Since Gandhiji helped the women to cross the threshold of family life and move out into the outer world of freedom struggle and social reform, the woman is presented with varied opportunities not only today but also yesterday during freedom movement. Yet writing in 1998, Manju Kapur, in her novels presents women who try to establish their own identity. The women of India have indeed achieved their success in half a century of Independence, but if there is to be a true female, independence, much remains to be done. The fight for autonomy remains an unfinished combat.

In her quest of identify, Virmati the central character of the novel, rebels against tradition. She is impelled by the inner need to feel loved as an individual rather than as a responsible daughter. The title of the novel, ***'Difficult Daughters'*** is an indication to the message that a woman, who tries in search o an identity, is branded as a difficult daughter by the family and the society as well.

'Difficult Daughter' is the story of a young woman, named Virmati born in Amritsar into austere and high mined household. The story tells how she is torn between family duty, the desire for education and elicit love. This is a story of sorrow, love and compromise. The major portion deals with Virmati's love affairs with professor and rest part describes fighting struggle for freedom.

Virmati is the eldest daughter of Kasturi and Suraj Prakash. Kasturi has eleven children. One after another she gives birth to children and thus whole burden of household work increases over Virmati, being the eldest daughter. Due to her busy routine she does not do well in her studies and fails. She falls in love with a professor, a man who is already married. He sublets a portion of Virmati's house. Thus professor develops on intimate relationship with Virmati and decides an appropriate place for regular meeting. Here Virmati's parents decides marry her to an engineer Inderjeet but due to the death in his family marriage is postponed for two years. During this period Virmati's passes her FA exam and denies for marriage. Professor insists Virmate on being

firm. Now Virmati becomes mentally disturb and goes to Tarashika and drowns herself. She is escaped by the servants of her grandfather Lala Divan Divan chand and returns to her house at Lepel Griffin Road. Everybody inquires the reason and finally she declares that the does not like the boy and wants to study further. So marriage is settled with Indumatim the second daughter.

Now Kasturi has to go with Virmati to Lahore for getting her admit in RBSL college and principal assures Kasturi that there will be no problem and she has her eye fixed firmly on each one. Sakuntala who has been a source of inspiration for Virmati, visits her regularly. Professor's course of meeting to Viru has yet not stopped and during this period she becomes pregnant. She becomes restless and with the help of her room mate Swarnlata

She gets abortion.

After completing her B.T. she returns to Amritsar and is offered the principal ship of a college, she joins it but in Sultanpur too Harish visits her and there meetings are observed by Lalaji. She is dismissed so she decides to go to Nariniketan but on the way she meets Harish's close friend Poet who is already aware of their intimate relationship. So he does not let her go and calls Harish. He performs all the rituals of marriage. Professor with Virmati returns home.

During her conjugal life Virmati feels that it would have been better is she had not been married with Harish. After sometimes she gives birth to a daughter Ida. And at the beginning of the Novel this girl Ida ponders over her mother's life.

Virmati has to fight against the power of the mother as well as the oppressive forces of patriarchy symbolized by the mother figure. The rebel in Virmati might have actually exchange one kind of slavery for another. But towards the end she becomes free, free even from the oppressive love of her husband. Once she succeed in doing that, she gets her husband all by herself, her child the reconciliation with her family. In the patriarchal Indian Society marriage is a means of deliverance from being socially condemned and it relieves a woman from the sense of insecurity and uncertainty. To the older generation marriage is no reason to rebel, it was accepted as a part of life's pleasure and was a phase of initiating certain Dharmas associated with social and religious institutions. Off course love was not the prerequisite or a desired basis for marriage, if Virmati's mother Kasturi and Ganga (Prof. Harish Chandra's first wife) seeks pleasure in domestic up doings. Virmati struggle between the physical and moral, the head and the heart. Finally she gives way to her heart and body.

In her novel '***A Married Woman'*** Manju kapur has taken writing as a protest a way of mapping from the point of a woman's experience. Kapur negotiates different issue emerging out of a socio-political upheaval in her country. In a realistic way, she has described the Indian male perception of woman as a holy cow even though women are not very interested in history and those in power trying to twist and turn historical facts to serve their own purposes.

Ms, Manju Kapur's second novel '***A Married Woman'*** is the story of Astha an educated, upper middle class, working Delhi woman. As a girl, she was brought up with large supplements of fear. She was her parents only child. Her education, her character, her health, her marriage these were her parent's burdens. But like a common school going girl she often imagines of romantic and handsome Young man holding her in his strong manly embrace. In her adolescence she falls in love with a boy of her age. Day and night the though of him kept her insides churning. She was unable to eat, sleep or study. In the main time she is emotionally engage with Rhan and they enjoy physical relationship. This relationship is finished within a few days as Rohan moves to Oxford for further studies and her marriage is settled with Hemant who belongs to a bureaucrat family. They live in Vasant Vihar, a posh colony in New Delhi. They start their married life and soon As the is fed up with it. Astha starts teaching in public school after much resistance from her husband and her parents. During her staying in this schoold she participates in a workshop on communalism which is being led by an intellectual artiste Aijaz Akhtar Kha, the founder of 'The Street Theater Group'. Aijaz teaches history and during the holidays he performs plays in school, slums, factories, streets small town an villages to create empathy and to generate social awareness. Although Astha and been a mother of a son and a daughter by this time. She is festinated by the multifaceted personality of Aijaz. But ferocious soon this relationshop is over as the workshop finishes. After a few days Astha reads the news of Aijaz's murder. Babri Masjid is demolished in Ayodhya and there is a lot of turmoil throughout the country. To establish religious harmony and social integration processions are organized by 'The Street Theater Group'. In one of such processions Astha meets Pipeelika and she comes to know that she is the widow of Aijaz. She feels great empathy to Pipeelika and a powerful physical relationship is establish between them. This relationship is a challenge for her husband and family. They both live together and deep emotional attachment develops between them. Astha is on the verge of loosing her conventions marriage. Pipeelika leaves Indian to study abroad and Astha returns back to her family.

'***A Married Woman'*** is beautifully, honest and seductive story of love and deep attachment set at a time of political and religious turmoil.

'*Home'* is the third novel, by Manju Kapur. This is fast moving story which makes an ordinary middle class family's life in Delhi. The man character or the patriarch of a cloth business Banwarilal lives in New Delhi neighborhood of Karol Bagh. Banwarilal believes in the old ways and is the firm believer of that men work out of the home, woman within. Men carry forward the family line, women enable their mission. His two sons unquestioningly follow their father but their wives do not. Both brothers carry their lives as well as business according to the wishes of their father. As the time passes Banwarilal dies and the whole burden of the family comes to Yashpal, being the elder one. He has one sister who becomes widow in house in Karol Bagh. At the beginning of the story Sona and Rupa both sisters are childless. They could not conceive for a long time. Sona keeps but it is of no use. Sona belongs to a rich family in comparison of her sister Rupa. Rupa's husband is an educated man. They passes their lives happily. After a long time Sona gives birth to Nisha and then to Virat. Nisha is physically tortured by Vicky, her cousin. She feels mentally disturb so she is sent the Rupa's home for a change. Here she gets education well. After some time she returns to her home where no one pays much attention towards her studies and she gets compartment in two subjects. She is guided by Premanth. She passes in it and enters in college for getting higher education. She meets a boy and decides to marry him ignoring his caste and creed.

'*The Immigrant'* is the fourth novel, by Manju Kapur. Since her popular debut, Difficult Daughter, Manju Kapur has written a series of comic and wordly novels detailing the common concerns of middle class Indian woman. A married Woman ever included a lesbian romance. The Immigrant, her fourth work, chronicles the lives of two NRIs (non-resident Indians), Nina and Ananda, and their newly-married life in 1970s Canada.

Anands, a freshly trained dentist, is still grieving for his parents, recently killed in a rickshaw accident; Nina,, a 30-year-old teacher from Delhi, realizes that Ananda is her last shot a marriage and children. The couple embrace the "empty prettiness" of Nova Scotia with enthusiasm. Novels about the trials of assimilation are two-a-penny but Kapur, an astute observer, gives the familiar story a cheerily satiric spin. While Ananda finds it scarily easy to exchange dhal for spareribs, and Nina soon ditches her saris in favour of sweat pants, what proves more difficult is adaption to the alien rituals of married life.

Thus the novel depicts how family norms are is ignored by the new generation. Manju Kapur's novels present the changing image of women moving away from traditional portrayals of enduring, self sacrificing women towards self assured assertive an ambitious women making society aware of their presence and demands and in this way providing a puissant medium for self expression in the works of Manju Kapur.

It will be interesting to note man woman relationship in all the three novels of Manju Kapur which determines the various yardsticks of the exiting human world and more contemporarily and emerging is feminism. As a element of feminism especially in the realm of biological, sexual, cultural and racial aspects have been appropriately evaluated and introspected in her creations,

Notes & References:

1. Kapur Manju : 'Difficult Daughter' New Delhi : Pengium,1998.
2. Kapur Manju : 'A Married Women' New Delhi : India Ink, 2002.
3. Kapur Manju : 'Home' New Delhi : Random House, 2006.
4. Kapur Manju : 'The Immigrant', New Delhi : Random House India, 2009.

A Comparative study of Level of Aspiration of Secondary Teachers of Government-aided and Private Schools

Dr. Surendra Pal Sharma
Associate Professor
Department of Teacher Education
D.A.V. (P.G.) College
Muzaffarnagar, U.P.

Amit Kumar
Research Scholar
Department of Teacher Education
D.A.V. (P.G.) College
Muzaffarnagar, U.P.

Abstract

The present study was designed to compare level of aspiration of Government-aided and private school secondary teachers. The main objective of the study was to know the level of aspiration of government-aided and private school teachers. To compare the level of aspiration of government aided and private secondary school teachers.

The sample for the present study consisted of 200 secondary schools teachers (100 Government-aided secondary school teachers and 100 private school secondary teachers) selected randomly from the different schools in Meerut district of Uttar Pradesh. In the order to assess the level of aspirations of government-aided and private school teacher level of aspiration tools by Dr. Mahesh Bhargawa and Late Prof. M.A. Shah was used to measure the level of aspiration of the teacher in Secondary schools.

The result revealed that there is a significant difference between government - aided secondary school teachers and private school teachers. It was found that level of aspiration of government aided secondary school teachers was higher than private school teachers.

Keywords:- Level of Aspiration, Secondary Teachers, Measure, Government-aided schools, Private schools.

INTRODUCTION

Education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge skills values beliefs and habits. The reason the modern contemporary society is the fast changing in nature because of the scientific progress and technological achievements. Education is the vital instrument, it is therefore clearly visualized that education is most potent or vital instrument will never suffice until and unless we give it a practical shape. This can be through teaching as a profession where teacher will handle this teaching task by accepting teaching as their process and get proper identification and placement when teaching is

accepted as a profession. Level of aspiration is an approach to perform a group or as an individual which assumes the level of emotional and motivation consequences of a talk will not only to determine by the success of the task but the goal to finish it too. The level of aspiration theory states the success of the task will be determined at least in some part by the drive to complete it.

The level of aspiration means, what a person aspired or desired to achieve in a particular area, subject or field. It has been observed that most of the teachers do not have high level of aspiration. They worked hard but still lack in their performance strong desire to achieve something such as success.

Level of Aspiration' is a psychological construct which reflects a cognitive type of motivation of the reasons. Frank defines it in terms of the Level of future performance in a familiar task which an individual knowing his level of past performance in that task, explicitly undertakes to reach. James Dreyer explains it as a frame of reference involving self-esteem or alternatively as a standard with reference to which an individual experiences i.e. if he has the feeling of success or failure. Thus, the term Level of Aspiration involves the estimation of his ability (whether over, under or realistic) for his future performance on the strength of his past experience (goal discrepancy), his ability and capacity, the efforts that he can make towards attaining the goal, thus set by him. The goal setting behavior as well as the process of attaining the goal is consequences of his past experience, whether failure oriented or success-oriented, level of efforts made by him in that direction and his capacity achieve the destination. The degree or quality of performance exhibited in a testing situation that a person desire to attain or feels he or she can achieve.

Aspiration has been shown to be a strong predictor of outcomes in other words achievements. The aspiration level of teacher has a great impact on the outcomes of education system. If a teacher has high aspiration the result will definitely be high and low with low level of aspiration. Therefore there arises a need to study the level of aspiration. The Level of Aspiration is usually measured in terms of Goal Difference Score. When GDS is very high or low, it may be claimed that one is merely imaginative, unrealistic, below or above his self esteem, on the notion when, actual performance and expectance of the individual is about the same, it may be said that person is realistic and practical in life. Thus, setting of level of aspiration may itself motivate the individual to try his level best, though sometimes acknowledge how well one has performed previously may equally be effective. The performance in the last trial makes one able to estimate how well he will do in the next trial whether he would exceed or fail short of his estimate. It is generally found that majority of the people tend to set their level of aspiration slightly above the previous performance and continue to adjust the level on successive trial. If one has reached the level set by him previously, the number is lowered on the subsequent trials. The greater

the success, the stronger the tendency to raise the level whereas the greater the failure, the stronger is the tendency to lower it. Level of Aspiration (LOA) is an individual's future expectation or ambition. It refers to the estimate of one's future in a given task. In today's world of competitiveness there is not a single person who is devoid of ambition in some or other form. A great deal of individual variation is found with regard to goal setting behavior. Persons with an equal amount of ability may also differ significantly in their goal setting behavior. Person set their aspiration level high and low. Thus, in choosing life goals and in doing daily activities people differ largely in their expectations and aspirations. Dembo, one of the Lewin's student, was first of all introduced the level of Aspiration in 1931 in the course of an experimental investigation of anger.

The word '**Aspire**' refers to the ambition or desire, which has yet not been fulfilled and a man still works for it. Hoppe (1930) defined the 'Level of Aspiration' as 'a person's expectations, goals or claims on his own future achievement in a given task. On the basis of experimental analysis, Hoppe found that a given performance is accompanied by a feeling of failure if it falls below the LOA and a given performance is accompanied by a feeling of success if it goes above the LOA Therefore, LOA according to Hoppe, was essentially qualitative in nature, he ascertains LOA through the following lines of evidence:

1. The individuals' goal subjective nature.

2. The incident of success and failure experienced after the goal is achieved, conflicting and decision taking experience, and

3. The influence of instantly past experience on the subsequent level of goal setting behavior.

Not only this, psychologist Hoppe has also investigated the various factors which effect goal-setting behavior. He concludes that individual variations are found in level of aspiration in his capabilities for doing a particular task. Thus, Hoppe Conceived level of aspiration as a technique for studying dynamic factors which let operate in the prediction of feeling of success and unsuccessful. **Frank** lighted his quantitative technique and altered.

"Joshi (1963) pointed out that in Level of Aspiration individual strives positively towards the goal which is generally in keeping with his assets, whereas in wish fulfillment fantasies one is lost in them. According to Hurlock (1967) Aspiration means "a longing for what is above one's achieved level with advancement on it as its end. In other words, Aspiration means the goal an individual sets for himself in a task, which has intense personal significance for him." In short, many researchers have pointed out that Level of Aspiration is the expected level of achievement of the individual where difference is

obtained between person's performance in a task and his estimate of future performance in that task. A considerable number of variables in the level of aspiration situations have been worked out by foreign and Indian researchers. Alwin & Otto in 1971 found that parental influences on aspirations are crucial because parents control both financial and psychological resources and are key factors in socialization. Aspirations can also be shaped through the social milieu of school setting; Bhargava (1976) found that level of aspiration of the child is closely related to his self concept and educational achievement. Sarala Ram (1978) observed insignificant, very low relationship between level of aspiration and three areas of adjustment like-emotional, social and educational. On the whole, there are wide individual differences in level of aspiration.

Determinants of Level of Aspiration

Level of aspiration is usually influenced by two types of factors personal and environmental. In early age of childhood, before the child is old enough to know what his abilities, capacity, interest, social value and moral value his aspirations are largely shaped is environment. As he grows up and becomes more aware of his abilities, capacity, social value, moral value, value and interests, personal factors have a greater influence. But many of his aspirations, his values, for example, are still environmental in origin.

OBJECTIVES OF THE STUDY

The present investigation has been undertaken with a view to fulfill the following objectives:

1. To assess the Level of aspiration of secondary teachers of Government aided schools.
2. To assess the Level of aspiration of secondary teachers of Private schools.
3. To compare the Level of aspiration of secondary teachers of Government aided and Private schools.
4. To compare the level of aspiration of male and female secondary school teachers.

HYPOTHESIS OF THE STUDY

1. The Secondary teachers of Government- aided schools have moderate Level of aspiration.
2. The Secondary teachers of Private schools have moderate level of aspiration.
3. There is no significant difference between Level of aspiration of secondary teachers of Government aided and Private schools

4. There is no significant difference between Level of Aspiration of male and female secondary school teachers.

OPERATIONAL DEFINITIONS OF THE VARIABLES

Level of Aspiration:

Everyone aims at reaching a definite goal or excellence in performance and in doing so; he sets a desire for distinction which has an inner structure known as "level of aspiration"

Government-aided school

The schools who gets aid from the government is termed as aided school. The Government pays salary to the teachers of the aided schools and proper pay scale is given to the teachers.

Private School

The schools that do not get any funds or aid from the government are called private schools. The Salary of the private school teacher is paid by Management.

POPULATION OF THE STUDY

A population is the totality of an object under consideration. The population for the purpose of this study has been defined as the total number of teachers teaching in Govt.-aided and Private Secondary Schools of Meerut District. Thus, the result of the present study will only be applicable to this population of teachers.

SAMPLE

The principle purpose of the research will be to discover principles that have universal application, to arrive at generalization. To collect data from whole population would be impracticable, or not possible. The Process of Sampling makes it possible to draw valid inferences on the basis of careful observation or manipulation of variables with in a relatively small proportion of the population. 100 government aided secondary school teachers and 100 private schools secondary teachers was randomly selected from Meerut District. A total of 200 teachers was selected for the study.

TOOL USED

For measuring the Level of Aspiration of Secondary teachers of government-aided and private schools the investigator used Level of Aspiration (LoA) developed by Dr Mahesh Bhargav and Late Prof M A Shah.

Level of Aspiration of Secondary Teachers of Government – aided schools:

Objective 1: To assess the Level of aspiration of Secondary Teachers of Government-aided schools.

Hypothesis 1: The Secondary teachers of Government-aided schools have moderate level of aspiration

It is evident that the mean value of level of aspiration of secondary teachers of government aided schools is 3.48 and Standard Deviation is 3.36. Also from the norms table of Level of aspiration, the value falls in the category of high aspiration. Furthermore the

distribution of level of aspiration of secondary teachers of government aided schools is shown in the table-1 given below

Table-1

Category wise of Level of Aspiration of Secondary teachers of Government –aided schools

Level of Aspiration	$\mathbf{f_o}$	f_e	x^2
High	30	16	
Average	51	68	17.06
Low	19	16	
Total	**100**	**100**	

Significant at 0.01 Level

In above table the chi-square test of independence was applied to test the divergence of observed results from those expected on the hypothesis of equal probability distribution of a trait in the sample. As per chi-square value, the distribution of Level of aspiration in whole sample was not normally distributed.

Thus it can be interpreted that sample holds high average Level of Aspiration. Therefore it is concluded that secondary teachers of government aided schools are good average with regard to Level of Aspiration

As the mean value comes in the category of high and standard deviation is not too high these two trends in conjugation indicates that the hypothesis "The secondary teachers of government aided schools have moderate level of aspiration" is Rejected as the secondary teachers of government aided schools are having high level of aspiration.

Level of Aspiration of Secondary Teachers of Private schools:

Objective 2:To assess the Level of Aspiration of Secondary Teachers of Private schools

Hypothesis 2: TheSecondary teachers of Private schools have moderate Level of Aspiration.

It is evident that the mean value of Level of aspiration of secondary teachers of Private schools is 2.08 and standard deviation is 3.06. Also from the norm table of Level of aspiration, the value falls in the category of average. Furthermore the distribution of level of aspiration in secondary teachers of private schools is shown in the Table-2 given below:

Table-2

Category wise Level of Aspiration of Secondary Teachers of Private schools

Level of Aspiration	$\mathbf{F_o}$	$\mathbf{F_e}$	x^2
High	22	16	
Average	58	68	5.62
Low	20	16	
Total	**100**	**100**	

Not Significant at 0.05 Level

In the above table the chi-square test of independence was applied to the test the divergence of observed results from those expected on the hypothesis of equal probability distribution of trait in the sample. As the chi-square value 5.62 is lower than the table value 5.991, at 0.05 level of significance. The chi- square value is not significant and the distribution of Level of aspiration of secondary teachers is normally distributed. Thus it can be interpreted that sample holds moderate/Average level of aspiration. Therefore it is concluded that secondary teachers of private schools possess moderate/Average level of aspiration.

As the mean value comes in the category of average and standard deviation is not too high two trends in Conjugation Indicates that the hypothesis "The Secondary teachers of private schools have moderate level of aspiration." is retained as the secondary teachers of private schools have moderate level aspiration.

Comparison of Level of Aspiration of secondary teachers of government-aided and private schools:

Objective 3:To compare the level of aspiration of secondary teachers of government aided and private schools.

Hypothesis 3: There is no significant difference between level of aspiration of secondary teachers of government aided and private schools.

Table-3

Comparison of level of aspiration of secondary teachers of government aided and private schools

Variable	Sample Size	Mean	SD	SE_M	Critical Ratio
Secondary teachers of government –aided schools	100	3.48	3.36	0.454	3.08
Secondary teachers of private schools	100	2.08	3.06		

Significant at 0.01 level

The above table reveals that the obtained critical Ratio value is 3.08 which is significant at 0.01 level. It seems to be safe to interpret that there exist significant difference in the level of aspiration of secondary teachers of government aided and private schools. The mean value of secondary teachers of government aided schools seen to be higher than secondary teachers of private schools. This results leads up to the inference that the secondary teachers of government aided schools possess significantly higher level of aspiration than secondary teachers of private schools.

Therefore the hypothesis that "There is no significant difference between level of aspiration of secondary teachers of government aided and private schools is rejected.

Objective 4:To compare the level of aspiration of male and female secondary school teachers.

Hypothesis 4:There is no significant difference between level of aspiration of male and female secondary school teachers.

Table 4

Comparison of level of aspiration of male and female secondary school teachers

Variable	Sample Size	Mean	SD	SE_M	Critical Ratio
Male Secondary School teachers	106	3.80	3.16	0.2142	2.89
Female Secondary School teachers	94	3.18	3.36		

Significant at 0.01 level

The above table reveals that the obtained C.R value is 2.89 which is significant at 0.01 level of significance. It seems to be safe to interpret that there exist significant difference in the level of aspiration of male secondary teachers and female secondary school teachers The mean value of male secondary school teachers seems to be higher than female secondary school teachers.

The result leads up to inference that the male secondary teachers possess significantly higher level of aspiration than Female secondary school teachers.

Therefore the hypothesis that " There is no significant difference between teaching competence of male and female secondary school teachers" is **rejected.**

CONCLUSION

From the data analysis it is clear that the secondary teacher of government-aided schools possess high level of aspiration while their counterpart's secondary teacher of private schools possess average level of aspiration. There also exists significant difference with respect to level of aspiration among secondary teachers of government-aided schools and private schools. Secondary teachers of government -aided schools have higher level of aspiration than private schools teachers.

When we compared the level of aspiration of male and female secondary school teacher we find that there exists significant difference with respect level of aspiration among male and female secondary school teachers. The male teachers of secondary schools have high level of aspiration than female teachers

REFERENCES

Athery, Arun (2004), 'A Text Book of Teacher Education', Prominent Publishers, New Delhi pp320-322.

Asels, M. (2008), 'Teachers Competency of Secondary School Teachers', Journal: Institute of Educational Research, Vol.12 pp 40-45.

Lewin, K. et.al (1994), "Level of Aspiration, Personality and Behaviour Disorder" Vol. I Ronald Press, New York.

Asha, R .(2000), 'A Comparative Study of Attitude of Teachers towards Teaching Profession', Journal of Education Research and Extension, Vol.30 No.3, pp25-30 .

Banerjee, S. & Behera, S. K. (2014), 'An Investigation into the Attitude of Secondary School Teachers towards Teaching Profession in Purulia- District of West Bengal, India' *International Journal of Academic Research in Education and Review*, *2(3)*, 56-63.

Goyal.M. & Prakash,J. (2011), 'Empowering Women for High Aspiration', Journal of Multidisciplinary International Research, Vol.1,5, pp 42-47.

Manisha (2016), 'Level of Aspiration among Secondary School Teachers', International Journal of Indian Psychology, Vol. 3, Issue 4, pp 66.

अनुसूचित जातियों की सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास : कैमूर जिला के संदर्भ में

डॉ0 चित्रलेखा कुमारी
ग्राम–अमेठ पोस्ट–भिठी
जिला–कैमूर, बिहार

भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति अति प्राचीन है जिस समय शेष विश्व में सभ्यता अभी विकसित हो रही थी, उस समय भी अपने देश में पूर्ण विकसित सभ्यता मौजूद थी। भारतीय सभ्यता के विकास के कालक्रम में वर्णव्यवस्था का भी विकास हुआ। यही वर्ण व्यवस्था आधुनिक भारतीय समाज में एक नांसूर की भाँति अपना प्रकोप दिखा रही है क्योंकि इस व्यवस्था के कारण समाज का एक वर्ग जो हमेशा से उपेक्षित रहा है, आज भी उपेक्षित है। विकास के क्रम में वह सबसे पिछले पायदान पर बना हुआ है, वह समाज है अनुसूचित जाति का।

भारत एक कल्याणकारी राज्य है। समकालीन भारत मे होने वाले विकास और प्रगति के सुखद परिणामों पर देश के हर नागरिक का अधिकार है। अतः भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण उद्देश्य कमजोर वर्गों को संरक्षण देना, उनकी सुरक्षा का भार वहन करना है ताकि धीरे–धीरे वे भी समाज के अन्य वर्गों के समान सुख–सुविधाआ का उपभोग कर सके और उत्तरदायी नागरिकों के रूप में अपनी भूमिका निभा सके। कल्याणकारी राज्य का यह प्रशासनिक कर्तव्य है कि इन कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक और नैतिक जीवन का विकास किया जाए और उनकी विभिन्न प्राकृतिक तथा सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने की दृष्टि से उन्हें विशेष संरक्षण दिया जाए। समकालीन भारत में कमजोर वर्गों के संरक्षण की दृष्टि से अनेक कदम उठाए गए हैं।

भारत में कमजोर वर्गों में गिने जाने वाले समूहों में अत्यधिक चर्चित समूह उन जातियों का है, जिन्हें अस्पृश्य माना जाता है और जो हजारों वर्षों की अवधि तक अपवित्रता के प्रतीक के रूप में समाज की घृणा तिस्कार और शोषण के पात्र रहे हैं। अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण हिन्दू वर्ण व्यवस्था, धार्मिक विधियों, शुद्धता–अशुद्धता, ऊँच–नीच, भेदभाव एवं अंतर–जातियों संबंधों के आधार पर किया गया। इसके मुख्य आधार सामाजिक–सांस्कृतिक पृथक्करण, निर्योग्यताएं, अस्पृश्यता, सामाजिक सहवास, सामुदायिक अन्तःक्रियाएँ इत्यादि है। हमारे देश में कमजोर एवं वंचित समूहों को संवैधानिक शब्दावली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा गया है। वास्तव में ये वर्ग परम्परागत हिन्दू सामाजिक संगठन की रीढ़ कही जाने वाली वर्ण–प्रणाली के तहत शूद्र वर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों वस्तुतः भारतीय सामाजिक संरचना में क्रमशः अछूत और आदिम समुदायों को अभिव्यक्त करती है। इन दोनों श्रेणियों का अनुसूचित इसलिए कहा गया है क्योंकि इन जातियों का संविधान की अनुसूचियों के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है।

सदियों से वंचित दलित, पिछड़ी कमजोर और दबी–कुचली ये जातियाँ अनेक समस्याओं से ग्रस्त रही है–गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, अस्पृश्यता, ऋणग्रस्तता, बंधुआ एवं बलात् श्रम, सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव इत्यादि। अनुसूचित जातियों को शोषण तथा प्रताड़नाओं से बचाने के

लिए समय–समय पर कई सुधारवादी और वैकल्पिक आंदोलन हुए। सुधारवादी आंदोलन दरअसल संस्कृतिकरण के आंदोलन हैं। इनका यह प्रयास रहा है कि अनुसूचित जातियाँ धर्म–विधि और हिन्दूवादी को अपने जीवन में अपनाएँ और समाज की मुख्यधारा से जुड़े, शाकाहारी भोजन करें, धार्मिक उत्सवों एवं सांस्कृतिक–क्रियाकलापों में भागीदारी करें, व्रत–पाठ पूजा करें। मद्यपान का निषेधकर सात्विक जीवन पद्धति को अपनाएँ जिससे जातीय सोपान में इन्हें उपर उठने के अवसर मिल सके।

संस्कृतिकरण पर आधारित सुधारवादी आंदोलनों के विपरीत वैकल्पिक आंदोलानों का आग्रह है कि अनुसूचित जातियोंको हिन्दू धर्म छोड़ देना चाहिए तभी उन्हें छुआछूत के छुटकारा मिल सके। एक अन्य विकल्प आर्थिक उन्नति से संबंधित है। आर्थिक प्रगति एवं संपन्नता से उनकी प्रतिष्ठा और परिस्थिति दोनों परिवर्तित हो सकते है। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रेणता राजा राम मोहन राय (1772–1833), महर्षिदयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिबा फुले (सत्यशोधक समाज) आदि संत रहे। दक्षिण भारत (केरल) में वैकोम सत्याग्रह (1924–25) ने अनुसूचित जातियों को मंदिर प्रवेश कराकर दलित आंदोलन को राजनीतिक दिशा प्रदान की दलित पेंथर जैसे क्रांतिकारी आंदोलन (1973) के आगाज ने महाराष्ट्र समेत देश के अधिकांश भागों में दलित चेतना का संचार किया।

जातीय भेदभाव, शोषण एवं छुआछूत का प्रत्यक्ष दंश झेलने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर (1891–1956) ने 14 अक्टूबर, 1956 को अपने लाखों समर्थकों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर वैकल्पिक दलित आंदोलन का शंखनाद किया। दलित भारत म भी सामाजिक रूप बहिष्कृत अनेक दलितों ने ईसाई धर्म को अपनाया।

अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा उनकी सामाजिक आर्थिक–शैक्षणिक एवं राजनीतिक समस्याओं के समाधान हेतु महात्मा गांधी और डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने लम्बी लड़ाई लड़ी है। ब्रिटिश शासन के दौरान साम्प्रदायिक पंचाट द्वारा अछूतों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देश स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन पूना समझौते के अन्तर्गत पंचाट को वापस ले लिया गया और देश को जातिगत, साम्प्रदायिक एवं पृथकतावादी आंदोलन की आग से बचा लिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज अनुसूचित जाति के करोड़ों लोग संविधान में प्रदत विशेषाधिकारों एवं विशेष सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं।

स्वतंत्र भारत के संविधान में अस्पृश्य जातियों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और इसके प्रचलन को दण्डनीय अपराध माना गया है। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों द्वारा व्यक्तियों के मध्य भेद समाप्त कर दिया गया है। अस्पृश्यता को देश के कानून के अनुसार अपराध समझा जाएगा।

देश की आजादी के बाद भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये–स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अत्योदय अन्न योजना, इंदिरा आवास योजना, अन्नपूर्णा योजना, कुटीर ज्योति कार्यक्रम, पधानमंत्री रोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, किशोर बालिका योजना, मातृत्व अनुदान योजना बालिका समृद्धि योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आंगनबाड़ी केन्द्र, बंधुओ मजदूर पहचान एवं पुनर्वास कार्यक्रम आदि।

अनुसूचित जातियों के हितों के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 23, 29, 38, 46, 330, 332, 334, 169, 224, 339, 320, 335,

338, 350, 243, में अनुसूचित जातियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था किया गया है। देश में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। लोकसभा की 545 सीटों में से 79 सीट अनुसूचित जाति के लिए तथा 40 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित की गई है। कैमूर जिला सासाराम लोकसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, मैं आता है। यहाँ से अनेकों बार बाबू जगजीवन राम जीतकर भारत सरकार में मंत्री के रूप में सुशोभित हुए। कैमूर जिला मोहनियॉ (204) विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में 40 सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थितियाँ को मजबूत करने के लिए नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। शैक्षिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं देश में चलायी जा रही है। विद्यालय में छात्रवृति, नामांकन में आरक्षण, निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, पाठ्यसामग्री की भी व्यवस्था की गयी है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति के लोगों में शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा है जो सराहनीय है।

भारत में सदियाँ से ऊँच जातियाँ द्वारा सदैव उपेक्षित एवं प्रताड़ित रहने के लिए कारण अनुसूचित जातियाँ में जातीय चेतना आयी है लेकिन यह अभी भी बहुत कम है। इसका आज भी परम्परागत समाज से विशेष झुकाव एवं लगाव बना हुआ है फिर भी नवयुवकों एवं शिक्षितों में सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिशीलता अपेक्षाकृत अधिक पायी जा रही है। कैमूर जिला में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि सदियों से चली आ रही अनुसूचित जातियों के प्रति छुआछूत, उपेक्षा, घृणा, एवं निम्न धारणा को मिटाकर एक नये मानववादी समाज के निर्माण में योगदान करें।

संदर्भ सूचीः–

1. कौलेश्वर राय, ब्रिटिश कालीन भारतका सामाजिक–आर्थिक इतिहास, पटना, नई दिल्ली, 1987
2. सिन्हा एवं मधुबाला, श्रम एवं समाज कल्याण, पटना
3. क्षिति मोहन सेन, भारत वर्ष में जाति भेद, कलकत्ता
4. प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, आगरा
5. सुभाष कश्यप, हमारा संविधान, 1995

जननायक कर्पूरी ठाकुर : अंग्रेजी और कर्पूरी डिवीजन

डॉ0 दिनेश सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग
भूपेश गुप्त महाविद्यालय
भभुआ, कैमूर, बिहार

जननायक कर्पूरी ठाकुर राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीति के एक ऐसे पुरोधा थे, जिनके जीवन का प्रत्येक सांस दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित जनता के विविधमुखी विकासार्थ सतत् निवेदित रही। सदा भूखे, नंगे व असहायों के लिए लड़ते रहे। एक बेहतर समाज निर्माण के सपनों को धरती पर उतारने के लिए जीवन पर्यन्त लड़ने वाले योद्धा और धरतीपुत्र का ही नाम था कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर ने महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जय प्रकाश नारायण की राजनीति की संत परम्परा को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी अवधारणाओं को मूर्त रूप दिया। देश की आजादी मिलने के बाद कर्पूरी ठाकुर ने समाजवाद और संघर्ष का रास्ता अपनाया। कर्पूरी जी जितने संघर्षशील थे उतने ही मननशील थे।

भारतीय समाजवाद के पुरोधा, गैर कांग्रेसवाद के सूत्रधार और उपेक्षितों की आत्मा डॉ0 राम मनोहर लोहिया के देहावसान के बाद उत्पन्न रिक्तता की भरपाई कर कर्पूरी जी ने समाजवादी विचारधारा को जन–जन तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखा। सामाजिक न्याय की अवधारणा को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से डॉ0 लोहिया ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष अवसर का सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो सरकारी नौकरियां में आरक्षण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसी के परिप्रेक्ष्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण प्रावधान को क्रियान्वित करके चारित्रिक दृढ़ता, नैतिक साहस और अद्भुत कौशल का परिचय दिया।

कर्पूरी ठाकुर, जिनका सक्रिय राजनैतिक जीवन 36 वर्षों का रहा, उनमें चार वर्ष उन्होने जेल में बिताया। तीन साल दो माह सत्ता में ओर शेष जीवन विपक्ष की मुखर राजनीति करते हुए। विपक्ष की राजनीति करते हुए उन्होंने जिन मुद्दों को सबसे ज्यादा और पुरजोर शब्दों में उठाया उनमें शिक्षा, श्रम, कृषि, मजदूरी, भूमि सुधार शामिल थे। बिहार में पहली बार पिछड़ों के लिए आरक्षण उन्होंने ही लागू किया था। उनका सरल जीवन, भाषा–संस्कार, और सरलता आम आदमी के जीवन दर्शन से बना था।

जननायक हिन्दी के पक्के हिमायती थे लेकिन अंग्रेजी भाषा के भी अच्छे जानकार थे। जब वे पहली बार 1967 में सत्ता में आये और महामया प्रसाद के नेतृत्व वाली सरकार में शिक्षा मंत्री बने तब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की दी अर्थात् अंग्रेजी में फेल छात्र भी मैट्रिक पास होगा। इस निर्णय के पीछे उनकी वैचारिक समझ बिल्कुल साफ थी। कर्पूरी जी को यह पता था कि मैट्रिक में अधिकांश छात्र इसलिए उत्तीर्ण नहीं हो पाते क्योंकि वे अंग्रेजी में पास नहीं हो पाते। इस अनुत्तीर्ण छात्रों में गरीब तबकों के छात्रों की संख्या ज्यादा होती है। इस असफलता की वजह से वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते और आधा–बीच में ही उन्हें पढ़ाई छोड़नी पडती है। उन गरीब बच्चों की पढ़ाई आगे जारी रहे इसलिए उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त

कर दी। उनके इस निर्णय का अभिजात वर्ग के लोगों ने उपहास उड़ाया और बिना अंग्रेजी के मैट्रिक पास छात्रों को कर्पूरी डिवीजन में उत्तीर्ण कहना शुरू कर दिया। इसका बहुत बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार किया गया।

अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करने के पीछे समाजवादियों की सिर्फ वैचारिक समझ ही नहीं है बल्कि उनका जीवन दर्शन भी है। अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक थी। जो पीढ़ी गुलामी देखी थी वह पीढ़ी वस्तुतः हर उस चीज में मुक्ति चाहती थी जो अंग्रेजी हुकुमत की याद दिलाती थी। अंग्रेजी भाषा जिसमें एक थी लेकिन यह एक सामान्य बात थी। वास्तविकता यह थी कि कर्पूरी जी मालूम था कि किसी भी व्यक्ति के विकास में अन्य चीजों के अलावा भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्ति प्रतिदिन जीवन में जिस भाषा को बोलता है उसी में उसका सम्पूर्ण विकास होता है। इसलिए कि उसके सोच की प्रक्रिया और उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम वह भाषा ही होती है जिसका वह उपयोग करता है। यदि उसके सोच की प्रक्रिया की भाषा हिन्दी है तो वह हिन्दी में ही स्वयं को सहजता से अभिव्यक्त कर पायेगा, किसी दूसरी भाषा में नहीं। अंग्रेजी की अनिवार्यता की समाप्ति के पीछे एक ऐसे समाज के निर्माण की परिकल्पना थी जो सम्पूर्णता में हिन्दी का होता, जिसका मानस जिसकी सोच, जिसकी समझ जिसकी अभिव्यक्ति हिन्दी की होती।

मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर देने का परिणाम हुआ कि शिक्षा में ग्रामीण परिवेश के छात्रों की भागीदारी बढ़ गयी। अंग्रेजी के चलते जो लोग मैट्रिक में फेल हो जाते थे वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे। अब वैसे लोग मैट्रिक पास होने लगे और आगे की पढ़ाई करने लगे। इस दौरान मैट्रिक तक लड़किया की शिक्षा निःशुल्क कर दी गयी। बाद में मुख्यमंत्री बनने पर कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक तक की शिक्षा सबके लिए निःशुल्क कर दी।

जननायक कर्पूरी ठाकुर को धन संचय के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। लगभग 36 वर्षों तक बिहार विधानसभा का सदस्य रहते हुए दो बार मुख्यमंत्री, एक बार उपमुख्यमंत्री तथा अनेकों बार नेता प्रतिपक्ष के पद को सुशोभित किया। उनका सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन अभाव में गुजरा और अपने परिवार के लोगों को भी अभाव में जीने के लिए प्रेरित करते रहे। अपने 36 वर्षों के राजनीतिक जीवन में कोई धन सम्पत्ति अर्जित नहीं की, कोई जमीन जायदाद नहीं खरीदी, कोई धन बैंक में जमा नहीं कराया। कभी भी उन्होंने अपनी संतानों को राजनीतिक और आर्थिक प्रोत्साहन नहीं दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर ईमानदारी एवं सद्आचरण को अपनी जान से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया। पिताजी से विरासत में फूस की झोपड़ी मिली थी और वह ऐतिहासिक झोपड़ी उनके जीवन के अंतिम ाणों तक उनके त्याग, समर्पण एवं ईमानदारी की धरोहर बनी रही।

कर्पूरी जी सामाजिक विकास के लिए शिक्षा को प्राथमिकता सूची में सर्वोपरि स्थान देने के प्रबल समर्थक थे। अपने वेतन व भत्ते से अर्जित आय से कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की और उनका सम्पोषण भी किया। 1952 में ताजपुर के विधायक बनने पर अपने विधानसभा क्षेत्र में दो महाविद्यालयों की स्थापना, संबंधन तथा उसके विकास में अपना अर्जित धन लगाया। इतना ही नहीं शैक्षणिक गुणवत्ता और शोधकार्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दुर्लभ पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं से सुसज्जित अपना सम्पूर्ण पुस्तकालय आलमीरा सहित कॉलेजों में दान स्वरूप दे दिये। कर्पूरी जी अपने सम्पूर्ण जीवन काल में अनेकों शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की एवं उनका सम्पोषण भी किया।

जननायक कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर ऐतिहासिक कार्य किया जिसके परिणामस्वरूप गरीब, पिछड़े ग्रामीण इलाकों के छात्रों को जबरदस्त फायदा पहुंचा और वे लोग उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो गये। शिक्षा की क्रांति में बाधा हो रहे कारण को समझकर उसका निदान करना उनकी दूरदर्शिता थी जिसके कारण शिक्षा दलित, पिछड़े महिला तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से पहुंच गयी। जिसका सुखद परिणाम समाज को प्राप्त हुआ।

सन्दर्भ–

1. आचार्य हवलदार त्रिपाठी, कप्री ठाकुर अभिनंदन ग्रंथ–1986
2. डॉ0 विष्णुदेव रजक, कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक दर्शन, (अप्रकाशित ग्रंथ)
3. डॉ0 नरेन्द्र पाठक, भारतीय राजनोति में कर्पूरी ठाकुर की भूमिका, (अप्रकाशित ग्रंथ)

सोठातरी हिन्दी उपन्यासों में युगीन समस्याएँ

डॉ0 संजय कुमार सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर
हिन्दी विभाग
भूपेश गुप्त महाविद्यालय,
भभुआ, कैमूर, बिहार

उपन्यास का जीवन के साथ निकट संबंध होता है। स्वतंत्रता के पहले भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने का बहुत श्रेय उपन्यास को रहा है। स्वतंत्रता के बाद भी युग चेतना का प्रतिनिधित्व उपन्यास कर रहा है। साठोत्तरी उपन्यासों में व्यक्ति, समाज और युग की समस्याओं को सीधे रूप से प्रस्तुत किया गया है। साठोतर उपन्यासों में जिन कथानकों और पात्रों का निर्माण हुआ है, वे कथानक और पात्र युग की समस्याओं से सीधे जुड़े हैं।

साठोतरी हिन्दी उपन्यासों में प्रमुख युगीन समस्याएँ–

1. विधवा विवाह–

भारत देश अपनी परम्पराओं के लिए प्रसिद्ध है लेकिन कुछ परम्पराएँ ऐसी हैं जो समाज की प्रगति मे बाधक है। सती प्रथा, विधवा विवाह, विधवा समस्या, बाल विवाह, दहेज आदि प्रथाएँ ऐसी ही हैं जो नारी जीवन के लिए अभिशाप है। भारतीय समाज की विड़म्बना है कि पुरूष चाहे कितने ही विवाह कर सकता है किन्तु स्त्री के लिए दूसरा विवाह अनैतिक माना गया है। विधवाओं की दुःखद स्थिति का मुख्य कारण यही है कि उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी जाती है। यदि कोई महिला साहसपूर्वक पुनर्विवाह कर भी लेती है तो समाज उसे बहिष्कृत कर देता है किन्तु एक जीवित स्त्री जीवनपर्यन्त दुःख सहे, कहाँ तक उचित है? धर्मशास्त्रों का सूक्ष्म अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में विधवा विवाह पर कोई प्रतिबंधन नहीं था। दफ्तरी के अनुसार '' विधवा का पुनर्विवाह तथा नियोग प्राचीन भारत की विशेषता थी।''[1] आवलेकर ने कहा है कि ''नियोग के साथ–साथ विधवा पुनविवाह भी वैदिक समाज में प्रचलित था।''[2] राजकमल चौधरी के उपन्यास 'नदी बहती थी' में बाल विधवा कृष्णा पुरूष की कामवासना का शिकार हो जाती है। ऐसी विधवाओं को समाज अपनाता नहीं है। वह किसी से अपने लिए बच्चा तो ले सकती है, मगर बच्चे को पिता नहीं दे सकती।[3] इसी प्रकार की विधवा विवाह की समस्याओं 'परन्तु'–प्रभाकर माचवे, 'अमृत और विष'– अमृत लाल नागर, 'उग्रतारा'– नागार्जुन, 'जब टूटता हुआ' 'राम दरश मिश्र, 'पानी के प्राचीर'– रामदरश मिश्र, कितने चौराहे– फणीश्वर नाथ रेणु, का वर्णन हुआ है। इस प्रकार विधवा समस्याओं का साठोतरी उपन्यासकारों ने बड़ी सावधानी से सुलझाने का प्रयत्न किया है। देहातों में विधवाओं की यह दशा है कि जहाँ वह अपने ही रिश्तेदारों और समाज के कर्णधारों की वासना का शिकार बनती है और वहाँ आर्थिक दृष्टि से भी उनका शोषण होता है। इस स्थिति से छुटकारों मात्र विधवा विवाह में है। यही विधवाओं के जीवन में नयी आस्था तथा चाह प्रदान कर सकता है।

2. पारिवारिक विघटन–

आजादी के पूर्वकाल में हिन्दू समाज का आधार संयुक्त परिवार था। पारिवार ही उनका समाज था वह संस्था हिन्दू कानूनों तथा रीतिरिवाजों के अनुसार चलती थो। इसका आधार प्रेम था जो धीरे–धीरे युग स्थितियों के परिवर्तन के साथ लुप्त होने लगा। छठवें दशक से व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ने संयुक्त परिवार की नींव को हिला दिया है। 'नदी फिर बह चली'– हिमांशु श्रीवास्तव, 'माटी की महक'– सच्चिदानंद धूमकेतु, 'जल टूटता हुआ'– राम दरश मिश्र, 'यह पथ बुंधुआ'– नरेश मेहता, 'वैसाखियों वाली इमारत'– रमेश बक्षी, 'रूकेगी नहीं राधिका'– उषा प्रियम्बदा की इन उपन्यासों संयुक्त परिवार की समस्याओं का वर्णन है जो एकल परिवार की ओर जाने के लिए तत्पर है परिवार की नई मान्यताएँ जीवन–धारा को बदल देती हुई दिखाई देती है। भावना के स्थान पर बौद्धिकता, आर्थिक स्वतंत्र्य की भावना, समष्टि के स्थान पर व्यष्टि का महत्व, नारी–विद्रोह, धर्म में अनास्था, आदि कार्यों ने संयुक्त परिवार विघटन एवं एकांकी परिवार को उजागर किया है। पाश्चात् सभ्यता का प्रभाव और परिवर्तन जीवन मूल्य के कारण परिवार में नये नैतिकता के प्रतिमान उदित किये है।

3. नारी मुक्ति–

प्राचीन काल में शिक्षा का अभाव, पारिवारिक उत्तरदायित्व और समाज के विरोध के कारण स्त्री का व्यक्तित्व एक सीमित दायरे में बंद था अब बदलते युग में स्त्री में जागृति आयी है। महिलाओं की स्थिति मे परिवर्तन हो रहा है। प्राचीन काल में नारी की स्थिति सम्मानयुक्त थी। मध्य युग में स्त्री भोग्या बनकर रह गयी। आधुनिक युग में नारी को अपने व्यक्तित्व के प्राप्ति का मार्ग खुला हुआ है। आजादी के बाद से ही रूढ़िवादिता का खास दृष्टिगोचर होता है। नारी पुरूष की भोग्या बनकर नहों रहना चाहती। आर्थिक क्षेत्र में स्वावलम्बी बनकर वह पुरूष से मुक्त होना चाहती है। समाज में स्त्री स्वतंत्र व्यक्तित्व के आग्रह के कारण रूढ़िवादियाँ में बौखलाहट उत्पन्न हुई। इनके द्वारा ''नारी के उन्मुक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा।''[4] हिन्दू समाज की परम्पराएँ नारी को किसी दायरे में बाँधकर रखती है। वह यदि एकांकी जीवन व्यतीत करना चाहे तो दुनियाँ उसे जीने नहीं देती। पुरूष का साया उनके लिए इतना जरूरी बन गया है कि उसके बिना रहना असंभव कर दिया गया है।''[5] साठोतरी उपन्यासों में चित्रित मुक्त नारी का रूप देखते हुए हमें यह समझना गलत है कि वह मुक्ति द्वारा पुरूष को हेय समझने लगी है। बल्कि वह तो पुरूष को पूरक बनाने का प्रयास कर रही है। शिक्षित नारी के लिए वर्तमान ही महत्वपूर्ण है, अतीत निरर्थक परम्पराएँ, रूढ़ियाँ उसके लिए मूल्यहीन है। अधिकांश विवाहिता नारियों को मानसिक विसंगतियों के मूल में पति के साथ सहकार्य या सहनशीलता का अभाव है। आज स्त्री मुक्त होना चाहती है परन्तु पूर्ण मुक्ति के लिए उसके सामने प्रश्न है, जिससे उसे जुझना आवश्यक है। अंत में यह देखते हैं कि साठोतरी उपन्यास नारी के आधुनिकता की ओर अग्रसर उसे जीवन का चित्रण प्रस्तुत करता है जो न पूर्णतः पाश्चात्य रंगों में रंगा है और पूर्व की प्राचीन परम्पराओं में बंधा है।

4. निराशा और विवशता–

साठोतरी हिन्दी उपन्यास सामाजिक, आर्थिक, विषमता से उपजे संत्रास, निराशा, विवशता और अभिशप्त आदि युग के यथार्थों से प्रतिविम्वित है। साठोतरी हिन्दी उपन्यासकारों ने उन विवशताओं की गहराई में जाकर उन्हें पहचानने और अन्तनिहित सत्य को उद्घाटित करने की चेष्टा की है। साठोतरी हिन्दी उपन्यासों में जो रिक्तता बोध उभरकर आया है वह आधुनिक मानव संबंधों की विवशता से उत्पन्न हुआ है। आधुनिक काल की विसंगतियों, मूल्यहीनता, निरर्थक बोध के साथ महानगरीय सभ्यता, औद्योगीकरण और बढ़ती जनसंख्या से मनुष्य के वैयक्तिक रूप पर पड़ते असंगत दबावों ने आज के मनुष्य को अजनवी, अकेला और सत्रस्त बना दिया।[6] साठोतरी उपन्यासों के अध्ययन करने पर पता चलता है कि इनमें घुटन और पीड़ा को व्यक्त किया गया है। अर्थ और काम के पीछे पड़े हुए इन मानवों की जिंदगी विखरी सी हो गयी है।

5. दहेज प्रथा–

हर देश और जाति के लोग अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर विवाह के बारे में सोचते है। समाज के अस्तित्व के लिए विवाह अनिवार्य है। विवाह के साथ दहेज एक पारंपरिक प्रथा रही है। किन्तु आज उसका रूप इस हद तक विकृत हो गया है कि वह रूढ़ि न रहकर समस्या बन गयी है। सच्चिदानंद धूमकेतु के उपन्यास 'माटी की महक' में दहेज प्रथा का सुन्दर चित्रण है। इसे देखकर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि दहेज प्रथा किस प्रकार हमारे समाज को निगलने के लिए तत्पर ह। दहेज प्रथा ऐसी कुप्रथा है जो आदमी को आदमी नहीं रहने देती बल्कि आदमी को हैवानियत की पक्ति में बैठा देती है। आर्थिक विवशताओं के कारण लड़कियों को भी हाथ बाँध दिया जाता है। दहेज न दे सकने की स्थिति में गरीब युवतियों का जीवन नष्ट हो रहा है। इस तरह साठोतर कालीन उपन्यासों में दहेज की कूर विभीषिका अंकित है।

6. आर्थिक विषमता–

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक संतुलन की ओर सबसे पहले ध्यान दिया गया क्योंकि प्रत्येक युग का सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन अर्थ–प्रक्रिया से ही संचालित होता है। इसके अभाव में समाज में अनेक बुराइयाँ जातिगत द्वेष, पूँजीवाद, वर्ग–संघर्ष, बेमेल–विवाह, बाल–विवाह आदि फैलते हैं, जिसके कारण राष्ट्र के विकास में रूकावट निर्माण होती है। साठोतरी उपन्यासों ने इस आर्थिक विषमता की समस्याओं को लक्ष्य करते हुए उन्हें समाप्त करन का आह्वान भारतीय जनता को किया है। इस आर्थिक विषमता का वर्णन अमृत और विष–अमृत लाल नगर, 'जुंलुस'–रेणु, 'असंतुलन'– मनहरचौहान, 'सामर्थ्य और सीमा'– भवगती चरण वर्मा, 'सबही नचावत राम गोसाई'– भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों से रोचक हुआ है। यह विषमता का चक्र टूट नहीं रहा है। सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए जो साधन जुटाये हैं, वह सही ढंग संचालित नहीं हैं इसका मूल कारण अज्ञानता है। अज्ञानता का मूल कारण अशिक्षा है।

7. राजनीतिक संघर्ष–

साठोतर कालीन उपन्यासों में राजनीतिक दलों के क्रियाकलापों का वर्णन है। भारत नाम मात्र का धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ में धार्मिक भेदभाव पैदा करके धर्म के नाम पर लूट–खसोट करते जा रहे हैं एवं सामाजिक न्याय के नाम पर चारा घोटाला, दवा घोटाला, वर्दी घोटाला आदि कररवाकर भीषण नरसंहार करवा रहे हैं। सत्ता प्राप्ति हेतु विपक्षी पार्टिया गुंड़ो से गरीबों, दलितों एवं पिछड़ो का नरसंहार करवाकर चुनाव में अपना मुद्दा बनाकर प्रचार–प्रसार करके वोट मांगने का काम करती है। धार्मिक, कट्टरता राष्ट्र के विकास के लिए घातक है। 'अमृत और विष' एवं 'मछली मरी हुई' उपन्यास में इस प्रकार का वणन है।

निष्कर्षतः यह कहना गलत नहीं होगा कि साठोतरी हिन्दी उपन्यासों में युगीन राजनीति का सच्चा स्वरूप नग्नता के साथ प्रस्तुत है। राजनीति के क्रिया कलाप अब मात्र अधिकार लोलुपता और गुंडई आदि तक ही सीमित रह गये हैं। मानववादी दृष्टिकोण का संकुचन दिखाई देना है। हर आदमी अपने उचित अधिकार के लिए विद्रोह का कदम उठा रहा है। उधर राजनेता अपने पद दृढ़ रखने के लिए कुचक्रों में फँसे हुए अनाचार भ्रष्टाचार फैला रहे हैं।

संदर्भ–

1. डॉ0 स्वर्णलता, स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास साहित्य की समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि, पृ0 158
2. ए.एस. अलतेकर– दिपोजिशन आफ विमेन इन हिन्दूसिविलाइजेशन, पृ0 150
3. चौधरी, राजकमल, नदी बहती थी, पृ0 67
4. डॉ0 बेचन, आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और चरित्र विकास, पृ0 256
5. कमलेश्वर, डाक बंगला, पृ0 107
6. राय, विद्याशंकर, हिन्दी उपन्यास और अजनबीपन–पृ0 74

पटना शहर के रिक्शाचालकों में एच0 आई0 वी0 एड्स के प्रति ज्ञान मनोवृति का एक समाजभाास्त्रीय अध्ययन

डा0 सूर्यकांत कुमार
एम0ए0 पीएच0 डी0 समाजशास्त्र
पटना विश्वविद्यालय, पटना

प्रस्तुत शोध पत्र पूर्णतः प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के द्वारा उत्तरदाताओं से प्राप्त किये गये तथ्यो,सूचनाओं एवं आंकड़ों पर आधारित हैं। अनेक बीमारियां बहुत भयानक होती है, जिसके कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है । लेकिन इन बीमारियों से बचाव के लिए अनेक तरीके उपलब्ध है । जिससे इन बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है । लेकिन एड्स ऐसी बीमारी है जिसकी औशधि अभी तक उपलब्ध नही हैं । इस शोध पत्र में एड्स के प्रति रिक्शा चालकों का ज्ञान एवं मनोवृति में एड्स से सम्बधित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है ।

एड्स मनुष्य की उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ती बिल्कुल समाप्त या कम हो जाती है। एड्स के प्रारम्भिक रूप को एच0आई0वी0 (HIV) कहा जाता है। एड्स को सर्वप्रथम 1981 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहचाना गया । एड्स के संक्रमण वाले व्यक्ति में सभो लोग समलिंगी थे। जिसमे बोलचाल की भाषा में लम्पट (गे) कहा जाता है। इसके बाद यूरोप और आस्ट्रेलिया में सबसे पहले इन्हीं व्यक्तियों में पाया गया। इसलिए इस बीमारी को "गे" रिलेटेड इम्यूनोडेफीशिएन्सी सिंड्रोम (ग्रिड) नाम दिया गया । एड्स से प्रभावित व्यक्तियों म अधिकांश की मृत्यु होने लगी। इस प्रकार मृत्यु और सेक्स के विचित्र संयोजन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और अनेक कपोल कल्पित कथाओ और भ्रान्तियों का जन्म हुआ।

प्रारंभिक अवस्था में एड्स आर्थिक रूप से सम्पन्न औद्योगिक देश अमेरिका, फ्रांस ओर पश्चिमी यूरोप में प्रकट हुआ। एड्स के संलक्षण की पहचान 1981 में हुई । 1983 में फ्रांस के वैज्ञानिकों ने एड्स विषाणु को खाज निकाला जो वास्तव में नया था। सन् 1984 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अपने रिपार्ट में कहा कि एड्स के लिए विषाणु जिम्मेदार है। एड्स के नामकरण के लिए फ्रांस और अमेरिका में मतभेद रहा लेकिन अन्तराष्ट्रीय समिति के हस्तक्षेप से इसका नाम एच0आई0वी0 स्वीकार किया गया। "ह्यूम्न इम्यूनोडेफीशिएन्सी" वायरस (एच0आई0वी0) नामक एड्स का विषाणु लोगों को संक्रमित करता है परंतु काफी दिनों तक बीमारी को जन्म नहीं देता है। विषाणु के संपर्क में आने और रोग के संलक्षण अर्थात एड्स के प्रकट होने के बीच के अंतराल को उद्भवन अवधि कहा जाता है। एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्ति इस अवधि में सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप से स्वस्थ रहते हैं । भारत में सर्वप्रथम एच0आई0वी0 पॉजीटिव के रूप में सन् 1986 में चेन्नई में प्रदर्शित हुआ । साथ ही बम्बई में पथम एड्स रोगी की पहचान की गई। 1997 ई. में राष्ट्रीय एड्स संगठन ने देश भर में 29 लाख लोगों की जाँच करायी । जिसमें 49,537 व्यक्ति को एच0आई0वी0 पॉजीटिव पाये गए। इनमें से 3161 मामले पूर्ण रूप से एड्स के रूप में परिवर्तित हो चुके थे । एक सर्वेक्षण में पाया गया कि तमिलनाडु में एड्स रोगियों की संख्या 16,677, महाराष्ट्र में 7823, आंध्र प्रदेश में 1567, मणिपुर म 1122, नागालैण्ड में 246, कर्नाटक में 1437, तथा दिल्ली में 702 थे । बिहार में 1

नवम्बर, 2007 तक के अध्ययन में पाया गया कि यहाँ 3266 व्यक्ति एड्स से पीड़ित थे तथा कुल 16,054 व्यक्ति एच0आई0वी0 संक्रमित थे । भारत में एच0आई0वी0 संक्रमण की दर इस समय 21.6 प्रति हजार पाई गई है ।

सन् 2005 के एच0आई0वी0 सेन्टाइण्ड सर्वीलेन्स रिपोर्ट में पाया गया कि 15 – 49 आयु समूह के भारत में 15.2 मिलियन व्यस्क एच0आई0वी0 से ग्रसित हैं । एच0आई0वी0 को दो भागों में विभक्त किया गया है – **(i)** एच0आई0वी0 –1 तथा **(ii)** एच0आई0वी0 –2 । एच0आई0वी0 –2 में संक्रमित व्यक्ति एच0आई0वी0 की अपेक्षा अधिक समय तक जीवित रहते हैं। एच0आई0वी0 का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करने में अनेक माध्यम हैं – जैसे संक्रमित रक्त चढ़ाना, संक्रमित सीरिंज एवं सूई का उपयोग करना, संक्रमित माँ से जन्म लेने वाले शिशु को,संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित योन समागम। यौन संचारित संक्रमण की कुछ ऐसी दशा है जिसके उपयोग करने से एच0आई0वी0 एड्स की संभावना नहीं होती है। जब गोदना करवाना है तो गोदना करने वाली सूई को शुद्ध कर लेनी चाहिए। रक्त दान करने में कोई जोखिम नहीं है, सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग किया जा सकता है। गहरा चुम्बन लेने से संक्रमण नहीं होता है। एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्ति को मच्छर काटने से यह दूसरे में संक्रमण नहीं फैलाते है, घर में या नाई की दुकान में दाढ़ी बनाने वाले उस्तरे; ब्लेड की साझेदारी से, खाँसने तथा छींकने वाले एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्ति के निकट रहने से संक्रमण का डर नही होता है। चूँकि यह बीमारी नवीन स्थिति में हैं इसलिए इस क्षेत्र में बहुत कम अध्ययन हुए हैं।

वर्तमान अध्ययन को निम्नलिखित उद्देश्यों के अंतगर्त किया गया है –**(i)** रिक्शा चालकों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को जानना, –**(ii)** रिक्शा चालकों के शैक्षणिक स्तर को जानना, **(iii) HIV/AIDS** के सम्बन्ध में रिक्शा चालकों के ज्ञान के स्तर को जानना, **(iv) HIV/AIDS** से ग्रसित रोगियों के प्रति उनकी मनोवृति एवं व्यवहार को जानना, वर्तमान अध्ययन में उद्देश्यों के आधार पर उपकल्पना का निर्माण किया गया। क्योंकि किसी भी शोध को ठीक दिशा प्रदान करने के लिए पूर्वानुमान आवश्यक हो जाता है। इस सम्बन्ध में गुडे एवं हॉट का विचार है कि "प्राक्कल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है, जो ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है ।" वर्तमान अध्ययन् के लिए निम्नलिखित उपकल्पनाएँ बनाई गई हैं। **(i)** शिक्षित रिक्शाचालकों की तुलना में निरक्षर रिक्शाचालक एच0आई0वी0/एड्स को एक छूत की बीमारी मानते हैं ।**(ii)** निरक्षर रिक्शाचालक की तुलना शिक्षित रिक्शाचालक की जानकारी एड्स पीड़ित की जाँच के सम्बन्ध में अधिक है ।**(iii)** शिक्षित उत्तरदाताओं को एड्स के बचाव के तरीकों के बारे में अधिक जानकारी है ।**(iv)** एड्स के विषाणु एड्स पीड़ित में कहाँ पाए जाते हैं, इस बारे में शिक्षित रिक्शा चालकों को अधिक जानकारी है ।**(v)** एड्स प्रभावित व्यक्ति का मौत कितनी अवधि में होती है, इसकी जानकारी शिक्षित उत्तरदाताओं में अधिक पाई जाती है ।**(vi)** शिक्षित उत्तरदाता निरक्षर उत्तरदाता की तुलना में एच0आई0वी0/एड्स का सगम माध्यम के सम्बन्ध में अधिक जानकारी है ।**(vii)** निरक्षर उत्तरदाताओं की तुलना में शिक्षित उत्तरदाताओं का एच0आई0वी0/एड्स के लक्षण के सम्बन्ध में अधिक जानकारी पाई जाती है। वर्तमान अध्ययन में तथ्यों का संकलन दो स्रोतो में किया गया है –(1) प्राथमिक स्रोत, (2) द्वितीयक स्रोत। तथ्य संकलन में द्वितीय स्रोत में लेख, प्रलेख, पुस्तक तथा पत्रिका का सहयोग लिया गया है । प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्यों का संकलन अनुसंधान क्षेत्र से किया जाता है। इस सम्बन्ध में राबर्टसन का विचार है कि वे तथ्य प्राथमिक होते हैं, जिन्हे एक विशेष शोध

समस्या को हल करने के लिए विशेष उद्देश्य से संकलित किया गया है। प्राथमिक स्रोत में तथ्यों के संकलन करने के लिए लिखित प्रश्नों की सहायता ली जाती है जैसे प्रश्नावली या अनुसूची।

प्राचीन काल में पटना में परिवहन का मुख्य साधन टमटम और बग्घी के रूप में था। इस नगर में रिक्शा का परिचालन 20वीं शताब्दी में आरम्भ हुआ। चूँकि रिक्शा नगर के संकीर्ण गलीयों तक आसानी से जा सकता है। इसलिए लोग रिक्शा पर चढ़ना अधिक पसंद करने लगे। जिसके फलस्वरूप रिक्शा की माँग में वृद्धि होने लगी। अनेक आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न व्यक्ति अपना निजी रिक्शा भी रखने लगे। बच्चों को स्कूल जाने में सुविधा होने लगी। रिक्शा चालक के रूप में अधिकांश संख्या निम्न जातियों की थी। कुछ स्वर्ण जाति के लोग भी रिक्शा चलाने लगे, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे। स्वतंत्रता के बाद नगरपालिका की स्थापना की गई, जहाँ से रिक्शा का पंजीयन होने लगा। बाद के वर्षो में पंजीयन का कार्य करीब बन्द हो गया। केवल रिक्शा के पंजीयन का नवीनीकरण होने लगा। वर्तमान में पटना नगर में पंजीकृत रिक्शा की संख्या करीब 35000 के करीब है। रिक्शाचालक की प्रतिदिन की कमाई बहुत कम होती है। इसलिए व किसी कमरे को किराये पर लेने में असमर्थ होते हैं। इसलिए अधिकांशा रिक्शा चालक रात्रि विश्राम या तो अपने रिक्शा पर करते हैं या मैदान अथवा फुटपाथ पर करते हैं। रिक्शा चालक में अधिकांशा को शराब पीने की आदत होती है। इसलिए आर्थिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर होते हैं। यह मनोरंजन के रूप में अधिकतर सिनेमा देखना अधिक पसंद करते हैं सरकार की ओर से रिक्शा चालकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलायी गई है। जिसमें उन्हे रिक्शा का मालिक भी बनाया गया है। उनके रात्री विश्राम के लिए रैन बसेरा का निर्माण कराया गया है, लेकिन रैन बसेरा उनके जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम।

तथ्यों के विश्लेषण में पाया गया कि अधिकांश रिक्शा चालक (26–35) आयु समूह में आते हैं। बहुत कम संख्या (46–55) आयु समूह के रिक्शा चालकों की है। रिक्शा चालक के शैक्षणिक स्तर के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश संख्या निरक्षर रिक्शा चालकों की है। केवल 15 प्रतिशत रिक्शा चालक की शैक्षणिक स्तर माध्यमिक तक है। उत्तरदाताओं के आय के विश्लेषण से स्पष्ट होता हैं कि सबसे अधिक रिक्शाचालक (4001–5000) आय समूह में आते हैं जबकि सबसे अधिक आय समूह अर्थात 600 रू. से अधिक में 7.5 प्रतिशत उत्तरदाता आते हैं।

इससे स्पष्ट होता है कि एड्स के सम्बन्ध में जानकारी और शिक्षा के बीच धनात्मक सम्बन्ध पाया जाता है। एच0आई0वी0/एड्स को छूत की बीमारी के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की मनोवृति के विश्लेषण से पता चलता है कि निरक्षर उत्तरदाताओं में करीब 72 प्रतिशत एच0आई0वी0/एड्स को छूत की बीमारी मानते हैं तथा मध्य शैक्षणिक स्तर के उत्तरदाताओं में अधिकांश एच0आई0वी0/एड्स को छूत की बीमारी नहीं मानते हैं। एड्स जैसे लाईलाज बीमारी को शैक्षणिक स्तर के आधार पर विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि निरक्षर उत्तरदाताओं में अधिकांश एड्स का लाईलाज बीमारी मानते हैं। साथ ही मध्य एवं माध्यमिक स्तर के उत्तरदाताओं में भी अधिकांश एड्स को लाईलाज बीमारी मानते हैं। इससे यह पता चलता है कि सभी स्तर में रिक्शा चालकों को एड्स के भयंकर रूप की जानकारी है।

एड्स से संक्रमित होने के कारणों को शैक्षणिक स्तर पर विश्लेषण करने से पता चलता है कि निरक्षर उत्तरदाताओं में अधिकांश का मत है कि एड्स माता –पिता के द्वारा संतान को होता है जबकि साक्षर उत्तरदाताओं में सबसे अधिक का मत है कि एड्स कि बीमारी किसी महिला से असुरक्षित यौन सम्बन्ध स्थापित करने से होता है। दूसरी ओर मध्य एवं माध्यमिक शैक्षणिक स्तर के उत्तरदाताओं में सभी का मत है कि एड्स किसी महिला के साथ असुरक्षित यौन सम्बन्ध स्थापित करने एवं माता–पिता से संतान को हस्तांतरित होता है। दूसरी आर साक्षर उत्तरदाताओं में केवल 11.9 प्रतिशत का मानना है कि एड्स की बीमारी पीड़ीत को छूने तथा 28.5 प्रतिशत उसे चुम्बन एवं सहलाने से होता है। एड्स की जाँच से सम्बन्धित उत्तरदाताओं की जानकारी को विश्लेषण करने से पता चलता है कि निरक्षर उत्तरदाताओं में एड्स की जाँच का सबसे उपर्युक्त तरीका खून की जाँच है। साक्षर उत्तरदाताओं में 47.6 प्रतिशत हैं तथा मध्य शैक्षणिक स्तर में इसकी संख्या 60 प्रतिशत हैं जबकि पेशाब की जाँच के बारे में सबसे अधिक मध्य शैक्षणिक स्तर के उत्तरदाता हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शैक्षणिक स्तर क उत्तरदाताओं के एड्स की जाँच से सम्बन्धित जानकारी पर प्रभाव नहीं डालता है। एड्स से बचाव के सबसे अधिक उपर्युक्त तरीकों के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की जानकारी का विश्लेषण करने से पता चलता है कि निरक्षर उत्तरदाताओं में सबसे अधिक 9.2 प्रतिशत एड्स से बचाव के लिए सबसे उपर्युक्त तरीका एक ही स्त्री से यौन सम्बन्ध स्थापित करना है तथा साक्षर उत्तरदाताओं में 92.8 प्रतिशत तथा मध्य शैक्षणिक स्तर में इसकी संख्या 93.3 प्रतिशत है। एड्स से बचने के लिए कण्डोम का व्यवहार करने वाले उत्तरदाताओं में निरक्षर उत्तरदाताओं में 66.3 प्रतिशत, साक्षर में 57.1 प्रतिशत तथा मध्य शैक्षणिक स्तर में 66.7 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। सभी शैक्षणिक स्तर के उत्तरदाताओं का मत है कि लोगों को एड्स की जानकारी के साथ–साथ जागरूक्ता भी पैदा करने का कार्य करना चाहिए।

आयु के आधार पर एड्स से बचाव के उपर्युक्त तरीकों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सभी आयु समूह में अधिकांश उत्तरदाताओं का मत है कि एड्स से बचाव के लिए सबसे उपर्युक्त तरीका एक ही स्त्री से यौन सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। इसके बाद यौन सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कण्डोम का व्यवहार करना चाहिए। सबसे अधिक 91.4 प्रतिशत (36–45) वर्ष आयु समूह में उत्तरदाताओं का मत है कि एड्स से बचने लिए उपर्युक्त तरीका लोगों को एड्स के विषय में पूरी जानकारी देनी चाहिए। एड्स के स्वरूप को शैक्षणिक स्तर पर विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक एवं मध्य शैक्षणिक स्तर के उत्तरदाताओं में अधिकांश एड्स को लाईलाज बीमारी मानते हैं जबकि निरक्षर उत्तरदाताओं में 38.1 प्रतिशत एड्स को एक सामान्य बीमारी मानते हैं। साक्षर उत्तरदाताओं में 21.4 प्रतिशत को एड्स के स्वरूप के संबंध में जानकारी नहीं है। शैक्षणिक स्तर पर एड्स में पाये जाने वाले विषाणु के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की जानकारी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि शिक्षित में उत्तरदाताओं में अधिकांश का विचार है कि एड्स के विषाणु रक्त में पाए जाते हैं जबकि निरक्षर उत्तरदाताओं में अधिकांश का मत है कि एड्स के विषाणु पेशाब में पाये जाते हैं तथा 36 प्रतिशत निरक्षर उत्तरदाताओं को एड्स के विषाणु के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। इससे पता चलता है कि शिक्षित उत्तरदाताओं में एड्स के प्रति जागरूकता अधिक पाई जाती है। एड्स से प्रभावित व्यक्ति के मृत्यु अवधि का शैक्षणिक स्तर के आधार पर विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सभी शैक्षणिक स्तर के उत्तरदाताओं में अधिकांश का विचार है कि एड्स प्रभावित व्यक्ति कुछ वर्षो बाद मर जाते हैं। बहुत कम उत्तरदाताओं की संख्या जिनका विचार है कि एड्स प्रभावित व्यक्ति की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। एड्स के लक्षणों को शैक्षणिक स्तर पर विश्लेषण से पता चलता है कि 90

प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं का विचार है कि एड्स एवं एच0आई0वी0 में टी.वी., थकान महसूस करना, कमजोरी महसूस करना तथा भोजन का पाचन ठीक ढंग से नहीं होना आदि लक्षण पाये जाते हैं जबकि 50 से 70 प्रतिशत उत्तरदाता का विचार है कि एच0आई0वी0/एड्स के लक्षणों में खाँसी होना, बुखार, पेचिस एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है। शैक्षणिक स्तर पर पता चलता है कि सभी उत्तरदाता एड्स के मुख्य लक्षणों से सहमत हैं। उत्तरदाताओं को अपनी सुरक्षा के लिए एच0आई0वी0/एड्स की जाँच कराने को वैवाहिक स्तर के आधार पर विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विवाहित और अविवाहित उत्तरदाताओं में अधिकांश ने एच0आई0वी0/एड्स की जाँच नहीं कराया है। विवाहित उत्तरदाताओं में केवल 20 प्रतिशत और अविवाहित उत्तरदाताओं में 13.3 प्रतिशत ने एच0आई0वी0/एड्स की जाँच कराया है।

इससे स्पष्ट होता है कि रिक्शाचालकों में एच0आई0वी0/एड्स के प्रति जागरूाकता में बहुत कमी पायी जाती है। एड्स को पाप समझने से सम्बन्धित तथ्यों से पता चलता है कि सभी शैक्षणिक स्तर पर उत्तरदाताओं में अधिकांश कि मनोवृति है कि एड्स पाप नहीं है। कुछ उत्तरदाताओं में इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं दिया है। आयु के आधार पर एड्स पीड़ित से घृणा करने से सम्बन्धित मनोवृति का आकलन करने से पता चलता है कि सभी आयु वर्ग में अधिकांश उत्तरदाता एड्स पीड़ित से घृणा करने से सहमत नहीं है। घृणा करने से सहमत होने वाले उत्तरदाताओं की संख्या निम्न है। एड्स पीड़ित मरीजों की सहायता करने को आय के आधार पर विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि अधिक आय वाले उत्तरदाताओं में अधिकांश में एड्स पीड़ित की सहायता किया। इससे पता चलता है कि आर्थिक सहायता करने के लिए आय का अधिक होना आवश्यक है। एड्स पीड़ित के साथ एक ही थाली में खाने से सम्बन्धि तथ्यों को शैक्षणिक स्तर पर विश्लेषण करने से पता चलता है कि निरक्षर एवं साक्षर उत्तरदाताओं में अधिकांश एड्स पीड़ित के साथ एक थाली में खाने से सहमत नहीं है जबकि मध्य एवं माध्यमिक शैक्षणिक स्तर के उत्तरदाताओं में अधिकांश एड्स पीड़ित के साथ एक थाली में खाने से सहमत है। इससे पता चलता है कि शिक्षा रिक्शाचालकों को एड्स के बारे में जानकारी पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एडस पीड़ित महिलाओं से विवाह करने से सम्बन्धित उत्तरदाताओं की मनोवृति का विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सभी शैक्षणिक स्तरों में अधिकांश उत्तरदाता एड्स पीड़ित महिला से विवाह करने से सहमत नहीं है। एड्स पीड़ित को समाज से बाहर कर देने से सम्बन्धित रिक्शाचालकों कि मनोवृति का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि सभी शैक्षणिक स्तर के उत्तरदाताओं के एड्स पीड़ितों के साथ सहानुभूति पायी जाती है जिसके फलस्वरूप वे एड्स पीड़ितों को समाज से बाहर किये जाने से सहमत नहीं है। आयु के आधार पर एड्स पीड़ितों को कठोर से कठोर दण्ड देने से सम्बन्धित उत्तरदाताओं की मनोवृति से स्पष्ट होता है कि सभी आयु समूह में अधिकांश उत्तरदाता एड्स पीड़ितों को कठोर से कठोर दण्ड देने से सहमत नहीं है। साथ ही सभी शैक्षणिक स्तरों के उत्तरदाताओं में अधिकांश एड्स पीड़ितों को कठोर दण्ड देने से सहमत नहीं है। साथ ही सभी शैक्षणिक स्तरों के उत्तरदाताओं में एड्स पीड़ितों के कठोर दण्ड देने के विरूद्ध है। एड्स पीड़ितों की सरकार द्वारा उचित उपचार करने कि व्यवस्था करने से सम्बन्धित उत्तरदाताओं कि मनोवृति के विश्लेषण से पता चलता है कि सभी शैक्षणिक स्तर के उत्तरदाताओं में अधिकांश यह चाहते है कि सरकार को एड्स पीड़ितों के उचित उपचार के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। एड्स पीड़ितों को समाज के मुख्यधारा से जोडने से सम्बन्धित उत्तरदाताओं कि मनोवृति से पता चलता है कि अधिकांश उत्तरदाता यह चाहते है कि एड्स पीड़ितों को समाज की मुख्यधारा से जोडना चाहिए। एड्स के रोकथाम से सम्बन्धित तथ्यों को

शैक्षणिक स्तर पर वर्गीकृत करने से स्पष्ट होता है कि सभी शैक्षणिक स्तर के उत्तरदाताओं में अधिकांश का विचार है कि एड्स के रोकथाम के लिए कानून कि सहायता लेनी चाहिए। इससे सम्बन्धित कड़े कानून बनने चाहिए। एड्स पीड़ितों के साथ सहानुभूतिपूर्ण भावना रखने से सम्बन्धित उत्तरदाताओं के मनोवृति से पता चलता है कि अधिकांश उत्तरदाता यह चाहते है कि एड्स पीड़ितों के साथ अधिक से अधिक सहानुभूति रखनी चाहिए। स्वयं को अच्छे रखने से किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। इस उक्ति पर आधारित शैक्षणिक स्तर के आधार पर उत्तरदाताओं को एड्स पीड़ितों के प्रति अच्छी सोच की मनोवृति के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सभी शैक्षणिक स्तर में अधिकांश उत्तरदाताआ का मत है कि एड्स पीड़ित को स्वयं में अच्छी सोच रखनी चाहिए। जिसके परिणामस्वरूप एड्स पीड़ित स्वस्थ एवं जीवन के प्रति आशावान हो सके। दूसरी ओर निरक्षर उत्तरदाताओं का मत है कि एड्स ऐसी भयंकर बीमारी है जिसके डर से लोग इतना भयभीत हो जाते है कि वह अपन में अच्छी सोच पैदा करने में असमर्थ हो जाते है। एड्स पीडितों के प्रति विद्वेषपूर्ण भावना रखने से सम्बन्धित उत्तरदाताओं की मनोवृति के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का मत है कि एड्स पीड़ितों के साथ विद्वेषपूर्ण भावना नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार का मत निरक्षर उत्तरदाताओं की तुलना में साक्षर उत्तरदाताओं में अधिक पाया जाता है। अर्थात शिक्षा के स्तर में वृद्धि के साथ– साथ एड्स पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना रखने तथा विद्वेषपूर्ण भावना कम होने कि प्रवृति में वृद्धि होती है।

सन्दर्भ

1. एड्स के प्रति जागरूकता, यूनिसेफ की एक रिर्पोट, योजना, 2001
2. जयनारायण पी0 के0 "सावधानी बरतें,एड्स से बचें कुरूक्षेत्र, दिसम्बर, 2002"
3. मलिक सत्यपाल, "एड्स का फैला घातक जाल योजना, 2005"
4. सिंह एम0 एन0/सिंह विनीता, एड्स का सबसे बड़ा संवाहक यौन संक्रमण, योजना,जून, 2001
5. समरी बुकलेट, बिहार रेड क्रास सोसायटी, रिपार्ट
6. प्रियवचन, डॉ0 सुनिल कुमार, "एड्स"
7. समाज कार्य, दैनिक भास्कर, सितम्बर 20, 1995
8. "एच0आई0वी0/एड्स के विरूद्ध बचाव" जीवन के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
9. पवरी, खुर्शीद एम0, एड्स की चुनौती रिक्शा चालकों में आर्थिक, सह सामाजिक स्थिति का अध्ययन प्रतिवेदन (पटना शहरी क्षेत्र) 1989–90 योजना विभाग सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना

A STUDY ON SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION: A WAY TOWARDS SUSTAINABLE CONSUMPTION IN INDIAN PERSPECTIVE

Shashibala Pandey
Research scholar
Department of Economics
Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur

This study examines the processes of formulation of Sustainable Development Goal 12 (SDG 12) I. e. 'Ensure Sustainable Consumption and Production Patterns' – and its targets and indicators. We argue that business interests have steered its narrative of sustainable growth. The outcome of the SDG 12 negotiations reflects a production- and design-centered perspective that emerged in the 1990s and has a business-friendly regulatory approach and faith in solutions through new technologies. We show how the targets and indicators emerged in debates between national governments, UN agencies, civil society and private sector organizations – and how they reflect both the political process and technical and practical considerations in translation of a broad concept into the SDG format. While the emergence of SDG 12 as a standalone goal stems from a push by developing countries to build pressure on developed countries, and its presence may open space for attention to this area in the future, many of its targets were watered down and left vague. The indicators to measure progress on the targets further narrow the scope and ambition of Goal 12, whose current content does not adequately reflect earlier more transformative conceptualizations of Sustainable Consumption and Production Exponential growth of industries and globalization has lead to the growth of multinationals those are main reason of environmental damage in different ways. Indians since ancient time believe in resource preservation and need base consumption. Changing economic condition and improvement in income level resulted into a remarkable shift in the consumption behavior of Indian middle class. Government and social organizations are trying to educate organizations about sustainable consumption. This paper aims to study the challenges of sustainable consumption inIndia. An integrated approach with participation of various stakeholders is essential to adopt the sustainable consumption practices.

1. INTRODUCTION AND BACKGROUND OF THE STUDY:

Rising incomes and lifestyle changes and continued resource-intensive growth patterns are expected to further exacerbate resource depletion and ecosystem degradation. Concerted public and private action is needed to increase resource

efficiency.Fundamentally shift in consumption patterns and production processes, improve waste management systems and transition toward a more circular economy approach. Sustainability is the need of present for having a good future (WCED, 1987). Sustainability was defined as "meeting the need of current without compromising the need of future generations". Many definition of sustainability has come around since then. Elkington (1998) defined triple bottom line of sustainability as: economical, social and environmental. In the Earth Summit at Rio de Janerio in 1992 (Jennifer et. al., 2008) 143 nations of the world have signed the 'Earth Summit Treaty", in order to provide recognition to sustainable development and consumption. In Rio (1992) Summit, Kyoto (2001) Summit, and Copenhagen (2009) summit have continued the dialogue, reading to international agreements, and national laws for the sustainability.

2. SCOPE AND OBJECTIVE OF THE STUDY:

The major objective of the proposed study is to frame the understanding of concept of SCP beyond the SDG 12 and expand it beyond its current environment dimension. The concept shall be studied taking consideration of its presence in UN guidelines for Consumer Protection under Right to Healthy Environment which goes beyond environment protection and is driven by views and rights of the consumers. At the same time, there is also need to study if the global goal of SDG 12 is making the desired progress in India.

The study also proposes to study the concept of SCP from the perspective of consumers who are the main force to drive change in any direction. The designs of policies, schemes, regulations, treaties or any agreement cannot be considered as appropriate without taking into consideration the views and suggestions of people whose lives will be affected by these documents.

3. SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION:

3.1. Sustainable Consumption and Production in Global Context

Sustainable consumption and production is about promoting resource and energy efficiency, sustainable infrastructure, and providing access to basic services, green and decent jobs and a better quality of life for all. Its implementation helps to achieve overall development plans, reduce future economic, environmental and social costs, strengthen economic competitiveness and reduce poverty. Humans use up more resources than what the planet can renew in a year. Should the global population reach 9.6 billion by 2050, we will need three Earths to sustain current lifestyles for everyone. The global material footprint, which is the quantum of raw materials extracted to meet the consumption demands, has increased by 113 per cent from 43 billion metric tonnes in 1990 to 92 billion tonnes in 2019. It is projected to grow to 190 billion tons by 2060, which could be disastrous for the planet and its life. Another striking development is the

shift of energy and resource-intensive stages of production to developing countries with less resource efficiency, which results in the usage of more resources.

Each year, an estimated one-third of all food produced – equivalent to 1.3 billion tonnes worth around USD 1 trillion – ends up rotting in the bins of consumers and retailers or spoiling due to poor transportation and harvesting practices. More than one billion people still do not have access to freshwater. Less than 3 per cent of the world's water is fresh (drinkable), of which 2.5 per cent is frozen in Antarctica, the Arctic and glaciers. Humanity must, therefore, rely on the rest 0.5 per cent for all freshwater needs

3.2. Sustainable Consumption and Production in Indian Context

India faces a unique challenge in the imperative to lift millions of people out of poverty and at the same time, conserve the natural resources required to sustain development. In October 2015, India committed to reduce the emissions intensity of its GDP by 20-25 per cent from its 2005 levels by 2020 and by 33-35 per cent by 2030. There are efforts to adopt and implement environmental sustainability measures, which would help reduce the ecological footprint of economic growth by changing the patterns and processes of production and consumption of goods and resources. Key areas involved in working on targets associated with SDG 12 include efficient management of natural resources like land, water, and air; limiting the generation of toxic waste and pollutants and their safe disposal; and adoption of sustainable consumption practices in public as well as private spheres. Thus, stakeholders like industries, businesses and consumers play a large part in achieving SDG 12, while the government has pre-eminently an enabling and facilitative role. As a part of its commitment, India is moving towards implementing the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production (10YFP), which is a global commitment to accelerate the shift towards sustainable consumption and production in both developed and developing countries. The 10YFP has six programme areas: sustainable public procurement, sustainable buildings and construction, sustainable tourism, including ecotourism, sustainable food systems, consumer information, and sustainable lifestyles and education. The government has incorporated critical strategies from the 10-YFP in respective sectoral programmes and initiatives.

3.2.1. Natural Resource Management and Food Systems

Sustainable agriculture is indispensable for a sustainable food system in India. The National Mission on Sustainable Agriculture (NMSA), in tandem with other missions under the National Action Plan on Climate Change, strives to optimize agricultural productivity and mitigate climate change impacts. Soil Health Management (SHM) initiative promotes organic manures and bio-fertilizers and low-input sustainable agriculture. In the field of sustainable farming, India's global rank in 2019 in terms of landmass under organic agriculture moved up to 8th and continued to be first in terms of

the total number of organic producers.68 The government extensively supports certified organic farm production in a value chain model in the North-East Region, one of the 18 mega biodiversity hotspots in the world. Farmers' access to new information, knowledge and skills is being strengthened through the network of Krishi Vigyan Kendras (KVKs) or Farmers' Science Centres, and agriculture extension support. Comprehensive strategies on climate-resilient agriculture have been developed and promoted by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) producing adaptive crop regimes and crop management practices for different agricultural seasons. Surface and rainwater harvesting has seen continuous progress in terms of improved water conservation and storage through check dams, open wells, percolation tanks, among others. Reuse of wastewater has also been promoted.

3.2.2. Resource Efficiency

India strives to curb resource extraction rate and improve material productivity. Concerted action is being taken to conserve the dwindling water resources. There is an effort to reduce import dependency for the majority of the 'most critical' materials, such as, cobalt, copper and lithium, which are extensively used in the high-end technology industry. There are also efforts to ease the pressure on crude oil, over 80 per cent of which is imported. Multi-stakeholder efforts are targeted at increasing the extent of recycling taking place in the country, which is currently in the range of 20-25 per cent.

3.2.3. Sustainable Construction and Buildings

Rising awareness is leading to an upward trend in the adoption of green building and construction principles and parameters in India. According to the US Green Buildings Council, India is witnessing a dramatic increase in sustainable development practice. It ranks third as of 31st December 2018 in the global listing for the top ten countries for Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), with more than 899 LEED-certified projects totalling over 24.81 million gross square meters of space. Green buildings are making a significant difference as the top 10 states in LEED certification are home to more than 840 million Indians and together account for more than 475 million gross square feet of LEED-certified space. Besides having a positive environmental impact, this green movement is also facilitating a transformation of urban habitat and adding more green jobs.

3.2.4. Public Procurement

Government has given a boost to reforms in public procurement policy and practice. Several public sector entities and government departments have already incorporated environmental and energy efficiency criteria in their procurement decisions.

3.2.5. Sustainable Tourism

Tourism's direct contribution to India's GDP is expected to grow from USD 98 billion in 2018 to USD 106.9 billion in 2019. The Travel services and Hotel segments are expected to be the drivers of growth in 2019, expanding at a rate of 12 per cent and 13.2 per cent respectively. Therefore, it is essential to build in sustainable practices in this sector. The Government has launched the Comprehensive Sustainable Tourism Criteria for three major segments of the tourism industry, namely, tour operators, accommodation and beaches, backwaters, lakes & rivers sectors, which incorporates various eco-friendly measures like Sewage Treatment Plant (STP), rain water harvesting system, waste management system, pollution control, introduction of non-Chlorofluorocarbon (CFC) equipment for refrigeration and air conditioning, measures for energy and water conservation among others

4. TARGETS OF SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION:

- Implement the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, all countries taking action, with developed countries taking the lead and taking into account the development and capabilities of developing countries
- By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources
- By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses
- By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all wastes throughout their life cycle, in accordance with agreed international frameworks, and significantly reduce their release to air, water and soil in order to minimize their adverse impacts on human health and the environment
- By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse
- Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting cycle
- Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance with national policies and priorities
- By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with nature

- Support developing countries to strengthen their scientific and technological capacity to move towards more sustainable patterns of consumption and production
- Develop and implement tools to monitor sustainable development impacts for sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products
- Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption by removing market distortions, in accordance with national circumstances, including by restructuring taxation and phasing out those harmful subsidies, where they exist, to reflect their environmental impacts, taking fully into account the specific needs and conditions of developing countries and minimizing the possible adverse impacts on their development in a manner that protects the poor and the affected communities

5. CHALLENGES OF SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION:

- Since sustainable consumption and production aims at "doing more and better with less," net welfare gains from economic activities can increase by reducing resource use, degradation and pollution along the whole life cycle, while increasing quality of life. There is the imperative of decoupling economic growth and environmental degradation. Against the backdrop of the interventions discussed above, the following issues remain essential: It is crucial to retain focus on operating a sustainable supply chain, involving everyone from producer to the final consumer. This includes educating consumers on sustainable consumption and lifestyles, providing them with adequate information through standards and labels and engaging in sustainable public procurement, among others.
- Ineffective solid waste management needs attention, especially in urban centers. About a third of the population lives in urban areas. By 2050, it is expected that about 50 per cent of India's population will be urban, and waste generation will grow by 5 per cent per year. It is anticipated that by 2021, 2031, and 2050, waste arising will be around 101 Million Metric Tonnes (MMT), 164 MMT, and 436 MMT per year, respectively.
- According to the FAO, up to 40 per cent of the food produced in India is wasted. This also implies that water, fertilizers, and other resources that go into producing food also are wasted. Food disposed of in landfills produces methane, a potent greenhouse gas. India's ambitious development plans call for better resource efficiency.
- Estimates show that nearly 74.6 lakh tonnes of hazardous waste are generated in India annually. Of this, waste which can be disposed of in landfills constitutes for about 34.1 lakh tonnes or 46 per cent of the total. The recyclable hazardous waste

consists of 33.5 lakh tonnes or 45 per cent of the total. Since the amount of recyclable hazardous waste is a considerable percentage of the total, efforts must be directed towards upgrading the waste recycling mechanisms.

- **6. CONCLUSION OF THE STUDY:**

India does not have a comprehensive sustainable consumption policy or framework, though most of its elements are captured in several policies in different areas. Having an integrated policy or framework could be a good idea. Energy efficiency has been an important policy concern in India for several decades, but same cannot be true for other resources, particularly in case of water and mineral resources. While, per capita resource consumption is quite low, India must adopt measures to ensure delinking of its economic growth from resource consumption. In India avoiding waste and recycling have been the cherished habits of people since ages. But things are changing gradually. For example, while farmers in eastern part of the country uses paddy straw as fodder and for other purposes, in north-western states like Punjab and Haryana, they are simply burnt down which is not only a wastage of bio-resources but also causes severe pollution. Awareness campaigns should be launched to ensure that people do not give up their good habits and do not adopt bad practices. There are several good examples in different parts of India which can be shared not only within India, but also outside. On the other hand, India can learn from other countries, particularly from the developing world.

SDG Index Score for Goal 12 ranges between 30 and 100 for States and between 39 and 77 for UTs. Nagaland and Chandigarh are the top-performing among States and UTs, respectively. Nagaland has scored 100, making it an Achiever. Six States and four UTs bagged a position in the category of Front Runners (with Index score higher than/equal to 65). However, seven States and three UTs fell behind in the Aspirants category (with Index score less than 50)

REFERENCES

1. SDG INDIA INDEX 2019
2. Sustainable Development Goals Report 2019
3. Abreu, M. de P., M. Agarwal, S. Kadochnikov, M. Mikic, J. Whalley, Y. Yongding. 2009. “The Effect of the World Financial Crisis on Developing Countries: An Initial Assessment.” Centre for International Governance Innovation, Ontario. Retrieved from https://www.cigionline. org/sites/default/files/task_force_1.pdf (accessed on 23 July 2015).
4. Canady, C. 2009. “Access to Climate Change Technology by Developing Countries: A Practical Strategy.” Issue Paper No. 25. International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva. Retrieved from http://www.ictsd.org/

downloads/2009/11/access-to-climate-change-technology by- developing-countries- cannady.pdf (accessed on 13 July 2015)

5. IIPA. 2013. Report on Assessment of Wastage of Food and Ostentatious Behaviour During Social Gatherings (Marriages/Parties/Meetings, etc) in National Capital Region Delhi. Indian Institute of Public Administration (IIPA), New Delhi.
6. Clapp Jennifer, Peter Dauvergne Path to a Green World: The Political Economy of the Global Environment (Academic Foundation, New Delhi, 2008)
7. SWITCH-Asia (2018), Launch of the First Higher Education Course on Sustainable Consumption and Production for Developing Countries, available fr http://www.switch-asia.eu/news/launch-of-the-firsthigher- education-course-on-sustainable consumption-and-production-for-developing/. The SWITCH-Asia Programme entered into a partnership with TERI University as the lead national policy school for SCP to develop this course in New Delhi.
8. Ministry of Environment and Korea Environmental Industry & Technology Institute (2014), Policy Handbook for Sustainable Consumption and Production of Korea, availablefromhttp://www.scpclearinghouse.org/sites/default/files/policy handbook for sustainable consumption_and_production_of_korea.pdf